खण्ड-367, अंक-3
शुक्रवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1906
(6 अप्रैल, 1984 ई0)

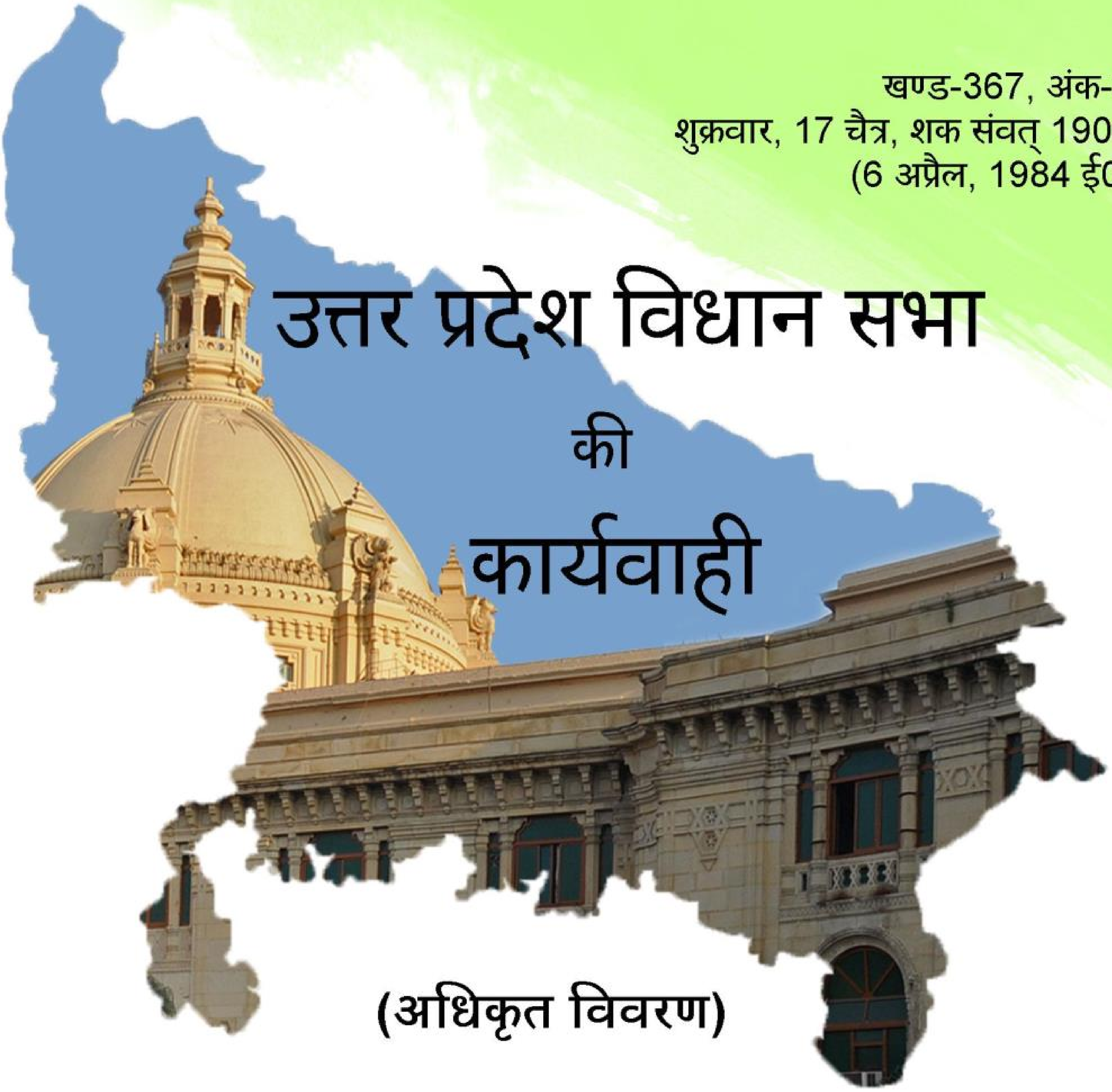

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-4
प्रश्नोत्तर	5-46
प्रदेश के सहकारी-निरीक्षकों के आन्दोलन से गेहूं की वसूली ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
गुरुराम राम दरबार, देहरादून के महन्त इन्द्रेश चरणदास को मारने के षडयन्त्र के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
रदौली जिला बाराबंकी की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को रेपसीड आयल न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
जालौन में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	48
नगला हरी सिंह जिला बुलन्दशहर में पड़ी डकैती में पुलिस कर्मियों का हाथ होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
एस0 डी0 एम0 नकुड़ जिला सहारनपुर द्वारा ग्राम सभा की जमीन के गलत आवंटन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
नया गांव बस्ती जिला इलाहाबाद में निर्माणधीन सार्वजनिक शौचालय को तोड़ देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	50-52
फजाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये परस्पर विरोधी वक्तव्य के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	52-57
रामपुर में श्री मुहम्मद आजम खां पर हुए हमले की न्यायिक जांच में विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	57-59
पैसा जमा कराने के बाद भी विधायकों को आवास न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. .	59
आज की कार्य-सूची की कतिपय नियमावलियों को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति	59-61
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1977-78 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	61
नगरमहापालिका कानपुर (चुंगी) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) .	61
उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भन्डार केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (देय धनराशि की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	61
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	62
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों को अनुमेलन) (सातवां संशोधन), नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	62
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुख तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	62
उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	62
उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	62
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की (छठां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) . .	63
श्रीमती किशोरी शुक्ला, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	63–64
सार्वजनिक निर्माण मन्त्री एवं प्रमुख अभियन्ता के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .	64–65
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	65–71
प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बांट कर चार छोटी इकाइयों में किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ..	72–106
विद्यालयों में कक्षा आठ तक उर्दू की शिक्षा अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	106
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं . ..	106
मेथाडिस्ट मिशन तथा लखनऊ पब्लिशिंग हाउस का कथित सी0 आई0 ए0 केन्द्र के रूप में प्रकट होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	106–110
बलिया–बिहार राज्य की सीमा पर बिहार के अराजक तत्वों द्वारा रबी की फसल को काटने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	110–112
प्रदेश की विभिन्न मन्डियों में आलू के मूल्य में गिरावट आने के सम्बन्ध में चर्चा	113–115
नत्थी	117–119

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 6 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 4 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—314

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 प्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)

जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जवदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती,' श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
श्री पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बहबन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहर दून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
मंगलदेव, श्री (गोंगा)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)

महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पांडेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
रामसिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, [illegible] (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)

विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्री नाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सूरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरुप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

नोट—गन्ना विकास मन्त्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री श्री राम सजीवन सिंह तथा नगर विकास एवं आवास राज्य मन्त्री श्री अरुण कुमार सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कालिदास मार्ग, लखनऊ के वर्तमान विधायक अध्यासी पर बकाया किराया

**1—श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1, कालीदास मार्ग, लखनऊ के वर्तमान विधायक अध्यासी पर कुल कितना किराया किस अवधि का 1-3-1984 को बाकी था ? क्या सरकार द्वारा निर्धारित स्टैन्डर्ड किराये के आधार पर बकाये किराये की गणना की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित विधायक को विभाग द्वारा कोई अन्य आवासीय मकान आवंटित किया गया है ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

1—कालिदास मार्ग लखनऊ के वर्तमान अध्यासी पर दिनांक 4-3-80 से दिनांक 29-2-84 तक की अवधि का दिनांक 1-3-84 को कुल रुपया 64,404.35 किराया बाकी था ।

जी नहीं, बकाये किराये की गणना उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मंडल अधिकारी निवास स्थान नियमावली 1959 में किए गये प्राविधानों के अन्तर्गत की गई है ।

जी नहीं, क्योंकि माननीय विधायक ने अन्यत्र आवास आवंटन के लिए सहमति नहीं दी ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विधायक हैं, उनको कहीं दूसरी जगह कब भी आबंटित नहीं हुआ है और जो विधायक अपने निवास पर नहीं रहते हैं, उनको सरकार किराया देती है और बिजली पानी....

श्री अध्यक्ष—

यह जो प्रश्न है केवल 1, कालीदास मार्ग, लखनऊ से सम्बन्धित है । जो और विधायकों का मामला है उससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

उसी के विषय में पूछ रहा हूं, माननीय, इन्होंने किराये की कुछ धनराशि जमा भी कर दी है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी धनराशि इन्होंने 1, कालीदास मार्ग की जमा कर दी है और जो उनको किराया मिलना चाहिए विधायक निवास पर न रहने का, वह राशि इस किराये में काटी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

नियमानुसार इनको यह कहा गया कि मकान छोड़ दें । इनको यह आवंटित नहीं है तो इनके नाम किराये के काटने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

बहुत विनीत भाव से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो अध्यासी हैं, डा० शिवानन्द नौटियाल, यह भूतपूर्व मन्त्री नहीं हैं ? बल्कि इस आदरणीय सदन के इस समय सदस्य भी हैं, यदि हां, तो डाक्टर शिवानन्द नौटियाल के वेतन से जो 150 रु० माहवार मकान का काटा जा रहा है, उसको इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया और दूसरी बात इनके ऊपर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स न करके किराया मार्केट रेट पर क्यों फिक्स किया जा रहा है क्या इनके साथ यह ज्यादती नहीं की जा रही है । जिस तरह से अधिकारीगण सरकारी निवास में रहते हैं और उनको अपने वेतन के कुछ अंश का किराया देना

पड़ता है, इसी प्रकार से जो विधायक किसी सरकारी निवास में नहीं रहते हैं तो उनको उस मकान का किराया दिया जाता है और जो उसमें रहते हैं उनको एक निश्चित रूप में किराया देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से डा0 शिवानन्द नौटियाल से भी किराया न एडजेस्ट करने का क्या कारण है ? अंत में मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अन्य अधिकारियों व विधायकों से स्टैंडर्ड रेंट लिया जाता है, उसी हिसाब से इनसे क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, प्रश्न कई हो गये हैं, कोशिश करूंगा कि एक-एक प्रश्न का उत्तर दे दूं। पहली बात इन्होंने यह कही जो 1--कालीदास मार्ग में रहे हैं क्या वह इस समय विधान सभा के सदस्य या भूतपूर्व मंत्री नहीं हैं, बिल्कुल वह इस समय विधान सभा के सदस्य हैं जो कालीदास मार्ग पर रहते हैं दूसरी बात यह पूछी गयी है कि उनसे स्टैंडर्ड रेंट क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस सिलसिले में यह बताना चाहूंगा जब कोई मंत्री भूतपूर्व हो जाता है तो उसे पहले 15 दिनों की छूट रहती है, उसके बाद भी अगर खाली नहीं करते हैं तो स्टैंडर्ड किराया दो महीने तक लिया जाता है और जब इसके बाद भी खाली नहीं करते तो दुगुना किराया पड़ता है और जब उसके बाद भी खाली नहीं करते तो तिगुना किराया हो जाता है। क्योंकि भूतपूर्व मंत्री हो जाने के बाद उन भवनों में किसी को रहने का अधिकार नहीं रह जाता और जो लोग फिर भी उसमें रहते हैं तो नियमानुसार उसका रेंट देना होगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय विधायकों के अधिकारों का संरक्षण मांगते हुए माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित यह उनसे जानना चाहता हूं कि जो विधायक सामान्य निवासों में रहते हैं और जो पार्क रोड पर रहते हैं, सामान्य निवासों का किराया डेढ़ सौ रु0 है और पार्क रोड स्थित भवनों का किराया 300 रु0 है, परन्तु शासन की यह घोषणा थी कि सब को बराबर कर देंगे अर्थात् जो डेढ़ सौ रु0 वाले निवास में रह रहा है तो उसे डेढ़ सौ और दिया जायेगा, क्योंकि सभी विधायकों को सामान्य अधिकार और सुविधाएं होंगी तो इस आदेश के तहत अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय सदस्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने भूतपूर्व मंत्री हैं जो सरकारी निवासों को अपना निवास स्थान बनाये हुये हैं और उन्होंने अभी तक खाली क्यों नहीं किया और उनके प्रति किराये की वसूली किस दर से की जा रही है और क्या उन्होंने समस्त बाकी किराया दे दिया है, यदि नहीं दिया है तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? और ऐसे मंत्रियों में कितनी-कितनी राशि किराये के रूप में बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह 1--कालीदास मार्ग से प्रश्न सम्बन्धित नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या राज्य सरकार ने किसी भूतपूर्व मंत्री का किराया कभी माफ किया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी भी आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह भी 1--कालीदास मार्ग से प्रश्न सम्बन्धित नहीं है।

(शोर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या राज्य सरकार कृपया यह बतायेगी कि 1--कालीदास मार्ग में पहले मुख्य मंत्री पर कितना किराया बाकी था और क्या उन्होंने वह किराया भुगतान किया है ? यदि हां, तो कितनी राशि थी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को इजाजत नहीं दे रहा हूं । आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, निर्णय करने का नहीं । माननीय मंत्री जी, 1--कालीदास मार्ग में यदि कोई भूतपूर्व मंत्री रहते हों और वर्तमान में विधायक हों तो ऐसा उनका कोई किराया माफ किया गया है ?

श्री प्रमोद कुमार--

उसके लिये कोई सूचना ऐसी नहीं है ।

श्री दयाल कृष्ण--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब मंत्री काल समाप्त हो जाय और वह मंत्री अगर राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सूचना दे कि मुझको विधायक निवास आबंटित कर दिया जाय और उसे कोई निवास आबंटित न किया गया हो और वह उसी पुराने निवास में रह रहा हो तो ऐसी दशा में क्या उससे किराया लिया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया कि नियमावली के अनुसार ही उससे किराया लिया जायेगा । इस केस से सम्बन्धित माननीय अध्यक्षी विधायक जो हैं उनसे कहा गया है कि वह जाना चाहें तो उनको कोई सूट आबंटित किया जा सकता है ।

श्री रियासत हुसन--

श्रीमन्, इस समय विधायक निवासों के काफी मामले हैं जिसके कारण से गैर विधायक तक उससे सुविधा उठा रहे हैं । क्या डा0 शिवानन्द नौटियाल को स्पष्ट रूप से किसी सूट को या कमरे को आबंटित किया गया था और उनसे कहा गया था कि वह उस कमरे में या उस सूट में या विधायक निवास में चले जायं । नियमानुसार जो विधायक निवास हैं वह किसी गैर विधायक को अलाट नहीं किये जायेंगे तो फिर क्यों विधायक निवासों के कमरों में गैर विधायक रह रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय शिवानन्द नौटियाल से कहा गया है कि वे 1--कालीदास मार्ग को छोड़ कर और जहां चाहें पार्क रोड, विधायक निवास, जहां विधायकों के निवास के लिये मकान बने हों, उनको सूट अलाट कर दिया जायेगा । लेकिन शिवानन्द नौटियाल बार बार यहां कहते रहे कि हमें 1--कालीदास मार्ग ही अलाट कर दिया जाय । राज्य सम्पत्ति विभाग ने कहा था कि यदि वे कोई सूट चाहें तो उन्हें आबंटित कर दिया जायेगा ।

श्री भोखालाल--

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरे खण्ड में बतलाया है कि स्टैंडर्ड रेंट उनसे नहीं लिया गया । आपने यह भी बताया कि स्टैंडर्ड रेंट 15 दिन तक का होता है फिर उसके बाद कुछ दिन दुगुना और उसके कुछ दिनों के बाद तिगुना देना पड़ता है । तो क्या शिवानन्द नौटियाल उसमें अवैधानिक ढंग से रह रहे हैं । दूसरी बात माननीय मंत्री जी यह बतायें कि माननीय सदस्यों को जो सरकारी आवास बनाये गये हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिये 150 रुपये दिये जाते हैं, तो क्या उनको यह क्षतिपूर्ति की राशि दी गयी या नहीं ? यदि ऐसा नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी इस विभाग का 64,404 रु0 उन पर बकाया है, जब वह अदा हो जायेगा तो उसमें यह एडजस्ट हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

इस सदन के विधायक जहां-जहां रहते हैं या भूतपूर्व मंत्री रहते हैं, वहां के लिये हर प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें इस सदन में आयी हैं जिसके द्वारा विधायकों की बदनामी हुई है। मैंने सभी नेताओं की बैठक बुलाई है। आप कृपया विधायक निवासों के ब्लाक 'ए, बी, सी और जहां-जहां विधायक लोग रहते हों, उसमें कौन-कौन हैं या नहीं है, किस अधिकार से वहां कौन रहता है, यह तमाम सूची को लेकर पूरी जांच करने के बाद आप नेताओं की बैठक में शामिल हों, आपके साथ आपके अधिकारी भी हों, ताकि पूरा तरह से जो विधायकों से सम्बन्धित बातें हैं और दिन प्रति दिन जो असामाजिक तत्व वहां ठहरते हैं और बदनामी करते हैं जिससे बहुत बदनामी हो रही है, पूरे विषय पर विचार करने के बाद ही हम निर्णय देंगे।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माध्यवर, मोटर गैराज वाली बात भी कह दें।

जनपद बाराबंकी के ब्लाक रुदौली के अन्तर्गत ग्रामों में फलदार व हरे वृक्षों का काटा जाना

**2--श्री भगवानदीन कुशवाहा--

क्या सरकार को जानकारी है कि बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट तहसील के ब्लाक रुदौली के अन्तर्गत ग्राम मानापुर, अमहटा तथा भाटन पुरवा आदि ग्रामों में इस समय फलदार व हरे वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है? यदि हां, तो उक्त वृक्षों को काटने की परमिट किस अधिकारी ने दी? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

बाराबंकी जिले की तहसील राम सनेही घाट विकास खण्ड रुदौली, ग्राम अमहटा में हाल ही में दो मामले फलदार वृक्षों के काटने के हुए। इस ग्राम के श्री जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री त्रिभुवन सिंह ने आम के आठ पेड़ एवं जामुन के 2 पेड़ बिना किसी परमिट के अवैध रूप से काटे। इसी ग्राम के श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री बांके सिंह ने 2 पेड़ आम के बिना परमिट के काटे।

उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्म रिपोर्ट इजरा की गई है तथा मामलों में जांच एवं अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम मानापुर एवं ग्राम भाटनपुरवा, तहसील राम सनेही घाट, विकास खण्ड थाना रुदौली के अन्तर्गत किसी हरे फलदार वृक्ष के काटे जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त ग्रामों में किसी हरे फलदार वृक्ष के काटने का परमिट चूंकि किसी अधिकारी द्वारा नहीं निर्गत किया गया है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भगवानदीन कुशवाहा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि हरे फलदार पेड़ काटे गये हैं, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की और अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है। पूरे प्रदेश में हरे फलदार पेड़ पुलिस के माध्यम से रिश्वत देकर काटे जा रहे हैं। मानापुर तथा उसके आस-पास के गांवों में 38 हरे पेड़ काटे गये, और इन पेड़ों को थाना रूदौली के सब इन्सपेक्टर श्री बृजराज यादव ने पैसा लेकर कटवाया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह 28 मार्च को उक्त ग्राम की जबानी सूचना मिली थी, उस पर रेन्जर गये। वहां पर माल नहीं

मिला, केवल ठूंठ मिला। उसी आधार पर जांच हो रही है। किसी प्रकार की अगर दरखास्त आयेगी, या शिकायत आयेगी तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भगवानदीन कुशवाहा--

मान्यवर, गांव के आस पास के लोगो ने दरखास्त की है, वहां पर ठूंठ मौजूद हैं, लोगों ने गवाही दी है। पुलिस के लोग मिले हुए हैं, तो क्या आप इसकी जांच उच्च अधिकारी से करायेंगे।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मैंने निवेदन किया कि जांच कराने के लिए हम तैयार हैं, शिकायती पत्र मिलेगा तो जांच अवश्य करायी जायेगी। माननीय विधायक ही लिख कर दें या पत्र दिलवा दें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सत्य मानकर कि बाराबंकी जनपद में हरे वृक्षों की अंधाधुन्ध कटाई पुलिस, तहसील और वन विभाग की आय का मुख्य साधन है, तो क्या माननीय मन्त्री जी पेड़ों की कटाई रोकने के लिए प्रदेश स्तर पर विधायकों, तहसील तथा वन विभाग के अधिकारियो को मिला कर एक समिति ब्लाक स्तर पर बनाने की कृपा करेंगे ताकि वहीं पर परमिट भी काटे जा सके ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह 1976 का वृक्ष संरक्षण अधिनियम उसी का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। अब माननीय बाजपेयी जी को अगर उस व्यवस्था से कोई शिकायत है तो उस पर लिख कर दे दें तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

लिख कर क्या दे दें, खुले आम पेड़ काट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, नेताओं की मीटिंग 12 तारीख को साढ़े तीन बजे है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनहित में अधिग्रहीत की जाने वाली कृषकों की भूमि के मुआवजे का भुगतान

*2--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जनहित में अधिग्रहीत की जाने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा राज्य सरकार अथवा उसके विभाग द्वारा उस भूमि का प्रयोग प्रारम्भ करने से पूर्व कृषकों को भुगतान कर दिया जायेगा चाहे अधिग्रहण की कार्यवाही कभी भी पुरी हो ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ऐसे निर्देश जारी कर दिये जायेंगे ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक)--

वर्तमान नियमान्तर्गत सामान्य मामलों में भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की धनराशि भूमि पर कब्जा दिये जाने के पहले ही अध्याप्ति निकाय से जमा करा ली जाती है तथा उसका भुगतान एवार्ड घोषित होने व कब्जा लेने के बाद तुरन्त कर दिये जाने का प्राविधान है। धारा 17 के अन्तर्गत नियमों के अनुसार जनहित में भूमि पर तुरन्त कब्जा ले लिया जाता है। किन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिग्रहीत भूमि के मामलों में भी उ तब

अधिनियम की धारा 32(क) के अनुसार भूमि पर कब्जा लेने के बाद 6 माह के अन्दर निश्चित रूप से अनुमानित प्रतिकर की धनराशि का 2/3 भाग का भुगतान सम्बन्धित कृषकों को कर दिये जाने का प्राविधान है। चूंकि नियमान्तर्गत प्रतिकर के भुगतान की पर्याप्त व्यवस्था है। अतः अलग से शासनादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, प्रश्न पूछने से पहले मैं आपकी अनुमति से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे कोई सड़क या नहर के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चालू होती है और मिट्टी आदि डाल कर सड़क बनायी जाती है तो उसमें छोटे छोटे काश्तकारों के जो खेत उसमें आते हैं उनको तुरन्त मुआवजा नहीं दिया जाता है और जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, अदालत से स्टे ले आते हैं और तीन-तीन साल से खेती उस पर करते हैं उनकी भूमि लिये जाने पर उसी समय उनको मुआवजा दे दिया जाता है। जो नियम आपने बताया कि धारा 32 (क) के अनुसार 6 महीने के अन्दर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाता है कानून में यह प्राविधान है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या ऐसी भूमि का किसी विभाग द्वारा उपयोग करने से पूर्व उसी समय उनकी भूमि का मुआवजा अदा करने की कृपा करेंगे ?

राजस्व मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)---

मान्यवर, नियमों में यह प्राविधान है कि जैसे ही कोई विभाग किसी भूमि का कब्जा लेता है तो उसका तुरन्त भुगतान हो जाना चाहिए किन्तु कतिपय कारणों से वह समय पर जिलाधिकारी के पास इस धनराशि को जमा नहीं करते इसलिए किसानों को असुविधा होती है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब न हो।

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी के पास धन जमा करने का प्राविधान है और वह नहीं करता। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कितना धन है, ऐसा कोई तथ्य आपके पास है कि कितना धन सार्वजनिक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग ने भूमि अधिग्रहण का जमा करना है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बहुत सी दफा जब भूमि अधिग्रहीत होती है तो तुरन्त हो जाती है जैसा कि धारा 17 के अन्तर्गत तुरन्त कब्जा ले लिया जाता है लेकिन उसका उपयोग कई वर्षों तक नहीं होता। इस लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसी भूमि का कब्जा तब तक वार्षिक या छमाही पट्टे पर उनको दे दिया जाय ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और अन्य विभागों पर लगभग 10,52,44,800 रुपये की धनराशि शेष है जो अदा होनी है। दूसरी बात यह है कि जिस भूमि को अध्याप्त कर दिया गया है और यदि 6 महीने तक उस पर काम शुरू नहीं करते जिसके लिये वह अध्याप्त की जाती है तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है कि पट्टे पर उन्हीं काश्तकारों को वह भूमि खेती-बाड़ी के लिये दी जाय जिससे किसानों की कठिनाई कम हो। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब उनको उसका प्रतिकर पहले मिल जाय। कब्जा देने के साथ ही प्रतिकर का भुगतान होना चाहिये। लेकिन प्रतिकर भी न मिले और कब्जा भी छूट जाय तो यह बात विचारणीय है।

श्री भोखा लाल---

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि कतिपय कारणों से देर हो जाती है। तो क्या वह कतिपय कारण यह

है कि आपको अधिग्रहण की प्रक्रिया इतनी जटिल है, उस अधिग्रहण की प्रक्रिया को कुछ सरल बनायेंगे क्योंकि उसमें 6, 7 साल लग जाते हैं और दूसरा कब्जा नहीं ले ले उनको अग्रिम का 2/3 भुगतान नहीं किया जाता है तो यह व्यवस्था करेंगे कि कब्जा लेने के वक्त तक 2/3 तक दे दिया जाय ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने यही निवेदन किया कि नियमों में प्राविधान है कि जैसे ही कब्जा दिया जाय वैसे ही प्रतिकर की अदायगी हो जानी चाहिये किन्हीं कारणों से विलम्ब हो जाता है जैसे कोई कोर्ट में चला जाता है या बिलम्ब से अवार्ड घोषित होता है इस तरह से कई कारण हैं । जैसा माननीय सदस्य भीखालाल जी ने इसको सरल करने की बात कही । तो यह जो कानून है भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का बना हुआ है इस पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे गरीब किसान हैं उनको कम से कम कोई परेशानी न हो ?

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बदायूं की ओर ले जाना चाहता हूं जो इसी से सम्बन्धित है वहां पालिटेक्निक खुला हुआ है । वहां पर छोटे-छोटे काश्तकारों की भूमि ली गयी और अभी तक उनका पेमेन्ट नहीं हुआ पोलिटेक्निक वालों से पैसा ले लिया गया है और आपके यहां जमा है तो उन काश्तकारों का जल्दी से जल्दी पेमेन्ट करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह देखते हुए कि जो जमीन एक्वायर होती है वह किसी स्कीम के लिए होती है उस वक्त प्रतिकर का कुछ हिस्सा देकर एक्वायर कर लेते हैं लेकिन तुरन्त ही वह स्कीम समाप्त हो जाती है किसी कारण से या फाइनेन्सियल कारणों से वह स्कीम समाप्त हो जाती है । तो ऐसे केसेज में वह जमीन ग्राम समाज को जाने के बजाय उसे किसान को वापस करने पर विचार करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो भूमि अध्याप्त होती है उसका कब्जा ले लिया जाता है तो फिर उसे किसान को देने का प्रश्न नहीं उठता है । यह बात है कि जिसके लिए ली गयी अगर वह काम न करे तो उसको न दिया जाय और उसको किसानों को वापस देने के बारे में विचार किया जा सकता है ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, जब जमीन ली गयी और उस वक्त मुआवजा नहीं दिया गया तो उस समय जब तक पैसा न दिया जाय इंटरेस्ट मुआवजे के धन को देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो विभाग भूमि अध्याप्त करने का प्रस्ताव कराता है उससे पहले से ही वह पैसा ले लिया जाता है । जैसे ही भूमि अध्याप्त हो वह धन जिलाधिकारी के यहां जमा हो जाना चाहिये ताकि किसानों को अदा किया जा सके ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि भूमि अध्याप्त की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और सम्बन्धित विभाग तत्काल कब्जा ले लेता है लेकिन पैसा नहीं दे पाता है तो क्या ऐसे आदेश करेंगे कि जब तक किसानों का पैसा न दे दिया जाय तब तक उस भूमि में कोई निर्माण कार्य न किया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह बात भी उचित है कि जब तक पैसा न दिया जाय तब

तक कब्जा न दें। यह विचारणीय प्रश्न है।

श्री विशन लाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन हरिजनों को आसामी पट्टे की जमीनें विभिन्न कार्यों के लिये ली गयी हैं, जैसे बिजनौर में, तो क्या उन हरिजनों को मुआवजा देंगे या उनको जमीन देने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं पुनः जानना चाहता हूं कि धारा 32 का उल्लेख किया लेकिन अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं होती है, जैसा मूल प्रश्न में है, तो अधिग्रहण की कार्यवाही चलती रहती है किन्तु भूमि का कब्जा सम्बन्धित विभाग ले लेता है और काम कर लेता है, तो अधिग्रहण की कार्यवाही का प्रश्न नहीं है कि कब पूरा हो। इसलिये भूमि का उपयोग करने से पूर्व, या 6 महीने जो अधिक समय है, इसलिये एक महीने के अन्दर क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुआवजे की धनराशि विभाग दे दे, इसका उत्तर दे दें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, इसका प्राविधान है कि यदि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है तो 6 महीने के अन्दर 2/3 धन उस किसान को उस भूमि का प्रतिकर अदा कर देना चाहिये।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे समय अनुपूरक प्रश्न करने के लिये नहीं दिया, मेरा सवाल आता है और मुझे समय आप नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको अधिक से अधिक समय देता हूं। आप बैठ जायं और टीका टिप्पणी न करें।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मैं यहां चुपचाप बैठने के लिये नहीं आता हूं। आप मुझे समय नहीं देते हैं। क्या मेरे अन्दर कोई विशेष बात है ?

श्री अध्यक्ष--

कोई विशेष बात नहीं है। आप बैठ जायं।

*3--श्री विश्वनाथ--

[9वें बुधवार में ता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन, नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

[11वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

सहकारी चीनी मिलों को नियमावली के अनुसार गन्ने की सप्लाई निर्धारित किये जाने का प्राविधान

*1--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित सहकारी चीनी मिलों को नियमावली के अनुसार ही गन्ने की सप्लाई निर्धारित किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी चीनी मिलों के कृषक सदस्यों को गन्ना सप्लाई की मात्रा को उनके

अंश पूंजी से सम्बन्धित करने के स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

सिद्धान्ततः यह स्वीकार है कि सहकारी चीनी मिलों के कृषक सदस्यों की गन्ना सप्लाई उनकी अंश पूंजी से सम्बद्ध की जाये किन्तु गन्ना की उपलब्धता, चीनी मिल की पेराई क्षमता आदि को ध्यान में रख कर गन्ना आयुक्त द्वारा प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश (पूर्ति तथा क्रय) अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत गन्ने का आबंटन किया जाता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, जो सहकारी चीनी मिलें हैं उनकी अंश पूंजी से लगायी जाती हैं जो रिजर्व एरिया में होती हैं और नियम है जब सहकारी समिति रजिस्टर्ड होती है तो नियम है कि गन्ने की सप्लाई अंश पूंजी के अनुपात में होगी । लेकिन जब फैक्टरी लग जाती है तो सरकार ऐसा निर्देश दे देती है कि चाहे अंशधारी हो या नहीं, उनका समान अनुपात में गन्ना जाता है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब इस बात का सिद्धांतः स्वीकार करते हैं और नियम भी है तो क्या कठिनाई है अंशधारियों का गन्ना प्राथमिकता के आधार पर लेने में ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

गन्ने की आपूर्ति के लिए जो बाइंडिंग, आपूर्ति की नीति तय की जाती है, उसमें यह देखा जाता है कि चीनी मिलों की क्षमता क्या है, गन्ने की आवश्यकता उनकी कितनी है, कितनी उपलब्धता उस एरिया में है आदि । इन सारी चीजों का परीक्षण करके यह तय किया जाता है कि किन-किन किसानों से, अंशधारियों से या दूसरे किसानों से गन्ना किस प्रकार और किस मात्रा में लिया जाएगा । शेयरहोल्डर्स की कोई उपेक्षा नहीं की जाती है । हमारी नीति के अनुसार केन कमिश्नर का 12 सितम्बर, 1983 का जो आदेश हुआ है उसमें साफ लिखा है-"सहकारी चीनी मिल समितियां यदि चाहें तो अंशपूंजी के आधार पर कृषकों से सट्टा कर सकती हैं बशर्ते सम्बन्धित संचालक मंडल/प्रशासक चीनी मिल एवं गन्ना समितियों द्वारा सम्मिलित रूप से यह निर्णय लिया गया हो। ऐसी सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक सट्टे के प्रस्तावित योजना सम्बन्धित गन्ना समिति की सहमति से सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी / क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त एवं गन्ना आयुक्त को 7 अक्तूबर, 1983 तक सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे परन्तु किसी हालत में किसी भी सहकारी चीनी मिल द्वारा कुल किये गये सट्टे बेसिक कोटा व अतिरिक्त सट्टे परिशिष्ट 'क' में दर्शायी गई प्रतिशत की गणना से अधिक न होगी ।" इस प्रकार से अगर कोई सहकारी चीनी मिल और उसकी समितियां चाहती हैं कि उनके अंशधारी कृषकों का सट्टा इतना इतना होना चाहिये और वह इसका प्रस्ताव करके भेजें तो केन आयुक्त को जो अधिकार है, वह उस आधार पर उसके सट्टा बाइंडिंग का आदेश देते हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मंत्री जी ने केन कमिश्नर के आर्डर का उल्लेख किया कि मिलों का संचालक मंडल अथवा प्रशासक उसकी नीति निर्धारित कर सकता है । तो किसी फैक्ट्री में अंशधारी के जो प्रतिनिधि हैं वह तो होते नहीं हैं । हमने उनके लाभ की बात कही है, प्रशासक ऐसी कोई नीति बनाकर भेजते नहीं हैं और अन्य जितनी भी सहकारी समितियां हैं, उन सब में लाभ का अंश पूंजी के साथ लिंक हुआ है । तो जब सारी समितियों में अंश पूंजी के आधार पर उनको लाभ देने का प्राविधान है तो क्या आप इसमें स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे कि अंशधारियों को अंशपूंजी के अनुपात में गन्ना काश्तकार का गन्ना क्रय किया जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैंने बताया है संचालक मंडल को अधिकार है वे भेज सकते हैं, किन्तु यदि केवल प्रतिबन्धित कर दिया जाए कि शेयर होल्डर्स का ही केवल उनका गन्ना खरीदा जाएगा, परन्तु यदि किसी वर्ष उन्होंने गन्ना कब बोया तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है और चीनी मिलें नहीं चल सकती हैं। इसलिए अंशधारियों का सट्टा होता है और जो नहीं हैं उनका भी सट्टा होता है, ताकि मिल की क्षमता के अनुसार गन्ने की पूर्ति हो सके।

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)--

जहां तक नियमों और अधिनियमों का सवाल है वह अपनी जगह है। दो प्रकार के कृषक होते हैं जो अपना गन्ना देते हैं। एक अंशपूंजी वाले और दूसरे बिना अंशपूंजी वाले। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अंशपूंजी वाले हैं, आप उनको प्राथमिकता के आधार पर और कुछ प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उनको कुछ अधिक सुविधा देने की कृपा करेंगे ताकि बिना अंशपूंजी वाले भी प्रोत्साहित होकर अपना अंश जमा करें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय सदस्य का सुझाव तो अच्छा है, इस पर विचार कर लिया जाएगा। यह ठीक है कि जो शेयरहोल्डर्स हैं उनको कुछ अधिक प्रोत्साहन मिले।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मंत्री जी ने बताया कि संचालक मंडल ही अंशदान को निश्चित करता है और उसी के अनुसार अंशधारी को लाभ दिया जाता है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में संचालक मंडल कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो उनके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

अभी तो चीनी मिलें चल रही हैं और जून तक पेराई का काम होगा। उसके बाद इस पर विचार किया जायगा।

उत्तर प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना पर व्यय तथा लक्ष्य

*2 --श्री मोहन सिंह--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 की छठी पंचशाला योजना का कितना धन माह मार्च, 1983 तक व्यय हो चुका है और इतमें कितने रुपये का व्यय करने का वांछित लक्ष्य था तथा व्यय किया हुआ धन वांछित लक्ष्य से कितना कम अथवा अधिक है ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

उत्तर प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रथम तीन वर्षों में अर्थात् मार्च, 1983 के अंत तक 3362.12 करोड़ रु0 व्यय हो चुका है। इन तीन वर्षों (1980-83) के लिए केन्द्रीय योजना आयोग ने 3213.79 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित किया था। इस प्रकार व्यय निर्धारित परिव्यय से 148.33 करोड़ रु0 अधिक रहा है।

श्री मोहन सिंह--

माननीय वित्त मन्त्री जी वित्तीय अनुशासन के बड़े ही कायल हैं और यह भी उन्होंने कहा है कि वित्तीय अनुशासन उनके समय में बढ़ा है। पर देखने में यह आया है कि जितना भी निर्धारित परिव्यय होता है वह अधिक हो जाता है उससे और अन्तिम वर्ष में परिस्थिति भिन्न हो जाती है। जो निर्धारित परिव्यय होना चाहिये, उस मात्रा में परिव्यय न होने से विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि कुल कितनी धनराशि छठी पंचवर्षीय योजना में थी, कितनी राशि परिव्यय

के लिये निर्धारित थी, और उसमें से कितनी राशि अभी बची है जो आपको अभी दो वर्ष में व्यय करनी है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय मोहन सिंह जी जैसे अनुभावी सदस्य यह प्रश्न कर रहे हैं। प्रथम 3 वर्षों में हमने योजना के लिये निर्धारित परिव्यय से ज्यादा व्यय किया। इसमें वित्तीय अनुशासन कहां टूटा। जो 6,200 करोड़ का व्यय निर्धारित हुआ था जिसमें ज्यादा ही हम खर्च करेंगे, तो यह तो एक अच्छी बात है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अनेक बार मैंने यह प्रश्न सदन में उठाया है कि योजनाओं के बारे में यहां पर सदन में चर्चा हो। सरकार की अपनी एकतरफा घोषणा होती रहती है, हम लोगों का पक्ष सरकार के सामने नहीं आ पाता। कई बार माननीय वित्त मन्त्री जी ने भी कहा कि वह इसके लिये तैयार हैं कि योजनाओं के बारे में इस सदन में चर्चा हो। मैंने नियम 52 में भी आवेदन किया, पिछली बार स्वीकृत भी हुआ, लेकिन समय न मिलने के कारण वह नहीं आ पाया। इस बार भी मैंने एक प्रस्ताव लिख कर आपको भेजा है, लेकिन अभी आपकी तरफ से निर्णय उस पर नहीं हो पाया है। तो क्या माननीय वित्त मन्त्री जी इस विषय पर इस सदन में चर्चा कराने के लिये तयार हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जब मान्यवर, पिछली बार यह सुझाव आया था, मैंने उसका स्वागत किया था। मैं तो चाहता हूं कि सदन में उस पर विचार हो। अब यह आपके ऊपर है कि किस समय हो। आप समय निर्धारित कर दें। मैं तो खुद चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार होना चाहिये।

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा हुए साक्षात्कार के उपरान्त नियमित नियुक्ति न होने के कारण

*4—श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के पद का दो बार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा साक्षात्कार करने के उपरान्त भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति उक्त पद पर नहीं की गई है ? उक्त पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता क्या वर्तमान निदेशक के पास है ? यदि नहीं, तो गन्ना शोध के ऐसे अधिकारियों, जिनके पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, उनके नियमित नियुक्ति होने में क्या कठिनाई है ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिल मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)—

यह सही है कि निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के पद को सीधी भर्ती से भरे जाने के निर्णयानुसार, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दो बार चयन प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त भी, आयोग द्वारा कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया।

वर्तमान निदेशक लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को भेजे गये अधियाचन में निर्धारित अर्हतायें नहीं रखते हैं।

चूंकि यह पद सीधी भर्ती से नियमानुसार भरा जाना है जिसके लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन पुनः भेजा जा चुका है। अतः गन्ना शोध संगठन के ऐसे राजकीय अधिकारियों को,

जो कि अधियाचन में निर्धारित अर्हतायें रखते हैं तथा परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर माने जा रहे हैं, निदेशक के पद पर नियुक्ति सम्भव नहीं है ।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गोला गोकरन नाथ, लखीमपुर खीरी द्वारा गन्ना पर्यवेक्षकों एवं गन्ना ग्राम सेवकों का अपने जोन में स्थानान्तरण

*5—श्री मोहम्मद नबी (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (गोला गोकरन नाथ), जनपद खीरी लखीमपुर ने अप्रैल, 1983 से 1 फरवरी, 1984 तक अनेकों गन्ना पर्यवेक्षकों एवं गन्ना ग्राम सेवकों का बिना जिला गन्ना अधिकारी अथवा जिला गन्ना बीज उत्पादन अधिकारी के स्वीकृति के स्थानान्तरण किया है ? यदि हां, तो कितने लोगों का और कैसे ? क्या मन्त्री जी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गोला गोकरन नाथ, लखीमपुर खीरी ने अप्रैल, 1983 से 1 फरवरी, 1984 तक 8 गन्ना पर्यवेक्षकों एवं 9 गन्ना ग्राम सेवकों का अपने जोन के अन्तर्गत स्थानान्तरण जनहित में जिला गन्ना अधिकारी अथवा बीज उत्पादन अधिकारी की सहमति से किया था ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर परिक्षेत्र के उपायुक्त द्वारा बिक्री कर बकाया के लिए किश्तों में दी जाने वाली सुविधा के अधिकारों का दुरुपयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही

*6—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सहारनपुर परिक्षेत्र के उपायुक्त (शा0) ने बिक्रीकर बकाया के लिए 12 माहवारी से अधिक किश्तों की सुविधा दी है जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र सं0 1206, प्रथम रिमाइण्डर सं0 138, द्वितीय रिमाइण्डर सं0 1698 व तृतीय रिमाइण्डर सं0 1036 क्रमशः दिनांक 11 अप्रैल, 1983, 9 मई, 1983, 11 जुलाई, 1983 व 13 जनवरी, 1984 को भेजे हैं, मिले हैं ? यदि हां, तो उपायुक्त ने कितने वादों में 12 माहवारी किश्तों से अधिक की सुविधा दी है और क्या 12 माहवारी किश्तों से अधिक की सुविधा उपायुक्त का अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

ब्रह्म दत्त—

जी हां । माननीय सदस्य के पत्र सं0 1206, दिनांक 11 अप्रैल, 1983 में सर्वश्री सारस्वत अन्नपूर्णा भंडार के मामले में 12 से अधिक किश्तों की सुविधा दिये जाने का उल्लेख करते हुये कुछ सूचनायें मांगी गई थीं । सहारनपुर के दो उपायुक्तों सर्वश्री चन्दू लाल और राम सहाय द्वारा 11 अप्रैल, 1980 से 4 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि में क्रमशः कुल 43 तथा 25 मामलों में, जिनमें उक्त व्यापारी का मामला भी शामिल था, 12 से अधिक किश्तों की सुविधा प्रदान की गई थी । 12 किश्तों से अधिक की सुविधा प्रदान करना विधि-अनुकूल नहीं था तथा उन्होंने अधिकार वाह्य कार्य किया ।

सर्वश्री सारस्वत अन्नपूर्णा भंडार के मामले में 12 से अधिक किस्तों की सुविधा प्रदान करने की गलती के फलस्वरूप श्री चन्दूलाल को आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा चरित्र पंजिका के माध्यम से चेतावनी दे दी गयी है। अन्य मामलों में अधिकार-वाह्य कार्य करने के लिये श्री रामसहाय के स्पष्टीकरण पर विचार किया जा रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि उपायुक्त के खिलाफ कार्यवाही की है तो केवल एक मामले में कार्यवाही की गयी है और वह भी चेतावनी की कार्यवाही की गयी है। तो क्या इसको अपर्याप्त समझते हुये और 42 मामलों में कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, सामान्यतः जो उपायुक्त हैं उनको 12 करने का अधिकार है। आयुक्त को 18 करने का अधिकार है। यदि उससे भी ज्यादा गम्भीर मामले आते हैं तो माननीय विधायक संस्तुति करते हैं और मैं स्वयं 24 किस्तों तक कर सकता हूं। तो मान्यवर, यह कोई ऐसा गम्भीर मामला नहीं है। उनको चतावनी दे दी गयी है कि 12 से ज्यादा किस्तें न करें। इसको मैं पर्याप्त समझता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, श्री चन्दू लाल और श्री राम सहाय, यह जो दोनों उपायुक्त हैं क्या उनके बारे में चेतावनी ही पर्याप्त होगी या और कोई दंडात्मक कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं चेतावनी देने को पर्याप्त समझता हूं।

रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल लि0 विलासपुर, जिला रामपुर में प्रतिनिधियों का वार्षिक अधिवेशन न बुलाये जाने का कारण

*7--श्री बलबीर सिंह (रामपुर) (अनुपस्थित)

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल लि0, बिलासपुर, जिला रामपुर में लगभग 6 करोड़ का घाटा होने के कारण गत 3 वर्षों से प्रतिनिधियों का वार्षिक अधिवेशन नहीं बुलाया जा रहा है ? यदि हां, तो वार्षिक अधिवेशन न बुलाने का अन्य क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

यह सही नहीं है कि सामान्य सभा की बैठक घाटे के कारण नहीं बुलाई जा रही है। सही स्थिति यह है कि वर्ष 80-81 में साधारण सभा की वार्षिक बैठक बुलाई गई थी किन्तु कोरम के अभाव में यह सम्पन्न नहीं हो सकी। तत्पश्चात वर्ष 81-82 तथा 82-83 की सभाएं सामान्य निकाय के विधिवत गठन न हो पाने के कारण नहीं बुलाई जा सकीं।

तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के ग्राम शेहरी टोला मरसतवा में पट्टे पर दी गयी भूमि व लगाई गयी मालियत

*8--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती के ग्राम शेहरी मरसोतवा के जिन पन्द्रह बीस हरिजनों को पट्टे में खेती योग्य जमीन दी गई है वह कौन-कौन से व्यक्ति हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त गांव में अभी पिछले माह में हुई

चकबन्दी के दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा उनके पट्टे की जमीनें जो ज्यों की त्यों उपेक्षित पड़ी रही उन्हें अच्छे चक नहीं दिये गये और न ही उनकी मालियत लगाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक--

ग्राम शेहरी टोला मरसतव, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के सर्वश्री चेतू पुत्र मंगरे, तिलकराम पुत्र सन्तू, प्रभू पुत्र गुप्तार, नौवर पुत्र सन्तू, बंशू पुत्र सोमई, बरन पुत्र रंगई, राजाराम पुत्र सन्तू, सुकई पुत्र मगरे, समुझ पुत्र गुप्तार, सीताराम पुत्र सोमई, मंगरे पुत्र गाजो, मनबोध पुत्र पंचम और हरीराम पुत्र गोकुल कुल 13 व्यक्तियों को पट्टे में जमीन दी गई । मालियत योग्य भूमि की मालियत लगाई गई है । जो भूमि जलमग्न ऊंची नीची (खरीह) है और चकबन्दी योग्य नहीं है, उसकी मालियत नहीं लगाई गई है । पट्टे की भूमि के जिन गाटों की मालियत लगी है उसके बदले में सम्बन्धित खातेदारों को उसी भूमि अथवा उसके समकक्ष अन्य भूमि पर चक प्रविष्ट किये गये हैं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ--

मान्यवर, मंत्री जी बिलकुल सदन को गुमराह कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 13 व्यक्तियों को पट्टे में जमीन दी गयी है । मालियत योग्य भूमि की मालियत लगायी गयी है । जो भूमि जलमग्न ऊंची, नीची (खरीह) है और चकबन्दी योग्य नहीं है, उसकी मालियत नहीं लगायी गयी है । तो जब यह भूमि ऊंची नीची, जलमग्न, खरीह थी तो ऐसी भूमि पट्टे पर क्यों दी गयी । दूसरी बात यह है कि मेरी निश्चित जानकारी है कि ए0 सी0 ओ0 स्टेज पर चक नहीं दिये गये हैं और न फार्म 23 दिया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सी0 ओ0 ने 200 रुपये की मांग की जिसकी कंपलेंट मैंने माननीय मंत्री जी को दिया था । आपने कहा था कि किसी उत्तराधिकारी को भेजकर जांच करायेंगे ? तो मेरी जानकारी को सही मानकर कि अगर उनको चक दिये गये हैं तो उनके पुराने नम्बर और नये नम्बर कौन से है यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, नियमों के अनुसार परगनाधिकारी ने 22-7-75 को उनको यह भूमि आवंटित की जिसकी चकबन्दी की गयी है । चकबन्दी में सम्पूर्ण भूमि तो 10 बीघा, 11 विस्वा थी, उसमें से जो भूमि चकबन्दी के अन्दर आयी वह केवल 1 बीघा, 12 विस्वा, 12 विश्वांसी थी, बाकी ऊबड़-खाबड़, ऊंची-नीची थी, इसी तरह से दूसरे किसानों के पास भी ऐसी जमीन है, ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं के साथ ही ऐसा किया गया है, वह जो पट्टे दिये गये हैं, वह तो नियमानुसार परगनाधिकारी ने दिया है, उनको तो वह जमीन मिलेगी ही, जो पट्टे उनको दिये गये हैं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं जानता हूं कि इन हरिजनों को न तो ए0 सी0 ओ0 स्टेज पर और न ही सी0 ओ0 के स्टेज पर कोई चक दिया गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका पुराना नम्बर क्या था, नक्शा का पुराना नम्बर कौन सा है और इनको जो फार्म 23 दिया गया, उसमें कौन सा नम्बर है । मेरी यह जानकारी है कि चक नहीं दिया गया और न ही कोई कार्यवाही हुई । यह उत्तर मान्यवर, सदन को गुमराह करने वाला है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, इस भूमि का जो गाटा नम्बर है, वह इसमें अंकित है, उसको मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं । इसके अलावा और कोई बात हो तो उसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, इस पट्टे की भूमि से आपको भी मालूम हो गया और पूरे सदन को भी मालूम हो गया कि हरिजनों को किस प्रकार की जमीन पट्टे पर दी जाती है। मान्यवर, जब वह जमीन, जो उन्हें दी गयी, जो कृषि योग्य नहीं थी, तो उसे पट्टे पर देने का क्या औचित्य था ? उन्होंने ऊबड़-खाबड़ जमीन को जोता बोया होगा, कृषि योग्य बनाया होगा। चकबन्दी का यह साधारण नियम है कि जो छोटे काश्तकार हैं, उन्हें गांव के निकट जमीन दी जाय। चकबन्दी के नियमानुसार उसकी मालियत लगा कर उसको गांव के पास देना चाहिए। ऐसा न करने का क्या कारण है, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो भूमि चकबन्दी कार्यों के अन्दर आ सकती थी, उसी भूमि को उन्हें दिया गया है। जैसा मैंने बताया, जो ऊबड़-खाबड़ या ऊंची-नीची भूमि थी, उस जमीन को छोड़ दिया गया, किन्तु 1 बीघा 12 बिस्वा, 12 बिस्वांसी जमीन उनको दी गई।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इसमें बात यह है कि वह जो सी0 ओ0 हैं, चकबन्दी अधिकारी हैं, वह उसी तहसील के मूल निवासी हैं। उन्होंने हरिजनों से रुपये मांगा, मैंने उसकी शिकायत किया, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं की गई और आज तक उनको चक नहीं दिया गया, जब कि एक चकबन्दी अधिकारी उसी क्षेत्र का रहने वाला हो, वह वहां पर नहीं रह सकता नियमों के अनुसार। माननीय मंत्री जी द्वारा फर्जी जवाब दिया गया। किसी उच्च अधिकारी को भेज कर आप हम लोगों के सामने, मेरे और श्री माता प्रसाद पान्डेय के सामने कागजात दिखा कर इसकी जांच करा देंगे और उसको हटायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य को शिकायत है, उसकी छानबीन करा ली जायगी कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कि उत्तर प्रदेश में अमुक जिलों में चकबन्दी चल रही है और बहुत से हरिजनों को पट्टा दिया गया है, लेकिन मेरी इस बात को सही मान कर कि जिन हरिजनों को पट्टा दिया गया है, वह पट्टे वाली जमीनों की मालियत नहीं लगाई जा रही है। क्या ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे कि जहां पर पूरे जिले में चकबन्दी हो रही है, पट्टेदारानों को चक अलग जगह, गांव के निकट स्थान पर काटेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह तो विचार करने की बात है कि सचमुच स्थिति क्या है ? जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर सचमुच वह सत्य है, तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जब माननीय माता प्रसाद पान्डेय और माननीय मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ का स्पष्ट आरोप है कि एक चकबन्दी अधिकारी जो उसी स्थान का रहने वाला है और स्थानीय वरिष्ठ लोगों के और असरदार लोगों के दबाव में आकर पैसे के प्रलोभन में आकर उसने पट्टे की जमीन का चक हरिजनों को गलत तरीके से दिया, यदि यह बात सही है कि वह चकबन्दी अधिकारी उस जिले का या उसी क्षेत्र का रहने वाला है, तो क्या इस बात की तत्काल जांच कराकर, उसको अविलम्ब हटाकर, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मोहन सिंह की जो शिकायत है और माननीय दूसरे सदस्यों की है। इसकी जांच करके, उसको हटाने में मुझे कोई हिचक नहीं है, हम हटा भी सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

जी मुख्य प्रश्न है वह यह है, जिसको कमाल यूसुफ और माता प्रसाद पान्डे ने कहा और पहले दरख्वास्त दी है। यह चकबन्दी अधिकारी वहीं का रहने वाला है, इसीलिए हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है। माननीय मन्त्री जी ने इसकी जांच पड़ताल करवा ली होगी....

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

खसरा खतौनी सब हमारे पास मौजूद है।

श्री रियासत हुसैन--

जब यह स्पष्ट हो गया है कि वह वहां का रहने वाला है, तो मन्त्री क्यों नहीं कहते हैं कि आज कल 2-3 दिन में उसको हटा देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

हमें कोई परेशानी हटाने में नहीं है।

*9--श्री राम स्वरूप निम--

[28वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राजकीय कोषाध्यक्षों के नये वेतनमान लागू किये जाने की मांग

*10--श्री सिकन्दर अली खां नवाब, श्री अजहर इमाम तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए नये वेतनमान सन् 1979 जुलाई से लागू किये गए जबकि राजकीय कोषाध्यक्षों के लिए नये वेतनमान जुलाई, 1980 से लागू किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां।

राजकीय कोषाध्यक्षों को वर्तमान में दिए जाने वाले नियत वेतन की दरें गत वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुति के अनुसार स्वीकृत की गई हैं। इन पुनरीक्षित दरों पर दिनांक 1-7-80 से वेतन भुगतान की संस्तुति वेतन आयोग द्वारा की गई थी।

श्री सिकन्दर अली खां नवाब--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस वेतन आयोग के निर्णय पर राज्य कर्मचारियों का नया वेतन मान लागू किया गया, उसी वेतन आयोग ने राजकीय कोषाध्यक्षों के वेतन पुनरीक्षण पर विचार किया है, यदि हां, तो उसको लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अन्य लोगों को वेतन मान दिया जाता है और इन लोगों को राजकीय कोषाध्यक्षों को उनके द्वारा जमा की गई, जमानत की धनराशि पर कुछ राशि दी जाती है, आधार अलग है, इसलिए इनको अलग माना गया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

वेतन आयोग ने संस्तुति की राज्य कर्मचारियों के लिए, राजकीय कर्मचारी कोषाध्यक्ष भी हैं, जब दोनों के लिए संस्तुति किया तो कोषाध्यक्ष के लिए क्या संस्तुति की थी ? वह लागू क्यों नहीं किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

राजकीय कोषाध्यक्ष अंशकालिक कर्मचारी हैं, इनको जो पैसा दिया जाता है, उनके द्वारा जमा की गई जमानत पर है। यह दूसरी श्रेणी

में नहीं हैं । वेतन आयोग ने जो संस्तुति की थी शासन ने उसका पालन किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अवध नारायण सिंह के मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि कोषाध्यक्ष और उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माने जायें । कोषाध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोष कर्मचारी हैं, उसको तो सारी सुविधा दे दी, आज मन्त्री जी ने अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का जवाब दिया है । जो नियुक्ति कर्ता है, उसको सरकारी कर्मचारी नहीं माना यह बड़ा असंगत तर्क है । मैं जानना चाहता हूं कि जो कर्मचारी राजकीय कोषाध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया गया उसे सरकारी कर्मचारी माना गया और 79 से वेतन दिया और जो नियुक्ति कर्ता है उसको सरकारी कर्मचारी मानकर सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि इन दोनों के आधार में फर्क है । राजकीय कोषाध्यक्ष अशंकालिक कर्मचारी हैं, इनको जो पैसा दिया जाता है, उनके द्वारा जमा की गई जमानत पर है । यह दूसरी श्रेणी में नहीं है । वेतन आयोग ने जो संस्तुति की थी शासन ने उसका पालन किया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार बनाम श्री अवध नारायण सिंह के मुकदमें में....

श्री अध्यक्ष--

ऐसे कैसे बता सकेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न सं0 34 में उत्तर दिया है । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उस मुकदमें के तहत जिसमें दोनों को सरकारी कर्मचारी कहा है । इसमें एक को तो सरकारी कर्मचारी माना और दूसरे को न मानने के क्या कारण हैं । जिसके द्वारा कर्मचारी नियुक्त है वह टेम्प्रेरी है । कोषाध्यक्ष जिस समय चाहे उसको हटा सकता है । जो सिक्योरिटी देकर विधिवत कार्य करता है उसको आप नहीं मानते हैं, तो क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, उनका आधार अलग है । जब नया वेतन मान देय होता है उसमें महंगाई भत्ता आदि शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें मंहगाई भत्ते का प्रश्न नहीं है तो इनका आधार ही अलग है तो तिथि की संस्तुति अलग-अलग की है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, प्रश्न में इतनी सी बात है जो वेतन मान थे सारे सूबे के कर्मचारियों पर जुलाई, 1979 से लागू कर दिए और जो कोषाध्यक्ष हैं उन पर जुलाई, 1980 से लागू किए । यानि एक साल के बाद, तो एक साल के अन्तर का क्या कारण है ? दूसरी बात क्या यह सही है कि आप होल टाइम सर्विस नहीं मानते हैं पार्ट टाइम सर्विस मानते हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन दोनों के आधार में फर्क है । वह सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो जमानत दी जाती है उनके आधार पर उनको दिया जाता है और दूसरे कर्मचारी वेतन के आधार पर वेतन पाते हैं ?

मनोरंजन कर विभाग में नियुक्त विभागीय निरीक्षकों का नियमितीकरण तथा स्थायीकरण की मांग

*11--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनोरंजन कर विभाग में नियुक्त

विभागीय निरीक्षकों का नियमितीकरण तथा स्थायीकरण वर्ष 1974-75 से अभी तक नहीं किया गया जबकि 1977-78 में नियुक्त निरीक्षकों का स्थायीकरण कर पदोन्नतियां भी कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड-2 के संवर्ग में 10 प्रतिशत पद लिपिकों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इनका नियमित चयन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाता है। नियमित चयन हेतु अधियाचम आयोग को जुलाई 1973 में भेजा गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक नियमित चयन नहीं किया गया है। नियमित चयन के अभाव में इन निरीक्षकों का नियमितीकरण एवं स्थायीकरण अभी तक नहीं हो सका है।

आयोग द्वारा नियमित रुप से चयनित तथा तदर्थ नियुक्त निरीक्षकों के विनियमितीकरण के उपरान्त ही उन्हें नियमानुसार स्थायी किया गया है तथा पदोन्नति की गयी है।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जुलाई, 1973 में लोक सेवा आयोग को लिखा गया था। अभी तक वहां से कोई लिस्ट आपको नहीं मिली। इसके बीच में आपने दुबारा कार्यवाही की, इनको नियमित करने के लिए ? जो 1977-78 में पोस्ट हुए उनको नियमित कर दिया गया है वह किस आधार पर किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इसमें दो शैली हैं एक शैली में 10 प्रतिशत आते हैं। मान्यवर, निरीक्षक केन्द्रों में लिपिकों में पदोन्नत किए हैं। और उसके द्वारा विनियमितीकरण लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। मैं कह रहा हूं अगर बहुत देर लगी तो दूसरी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे। लेकिन इसमें लोक सेवा आयोग की सहमति लेनी पड़ेगी।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, 11 वर्ष हो गये। इसमें लोक सेवा आयोग को लिखा गया लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, हम लोक सेवा आयोग से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी करे। अगर वह मजबूरी जाहिर करेंगे तो उनकी परिधि से बाहर करने में उनकी सहमति लेनी पड़ेगी।

*12--श्री ऊदल--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

उप निबन्धक, फर्रुखाबाद द्वारा मुआयना फीस में गबन तथा इकरार नामे में राजस्व की हानि की शिकायत

*13--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक, फर्रुखाबाद द्वारा मुआयना फीस में 7.50 रु0 तथा 5.50 के गबन तथा 29-7-1982 को इकरारनामें मे 40,000 (चालीस हजार) के राजस्व की हानि की शिकायत 26-7-1982 से 30-8-1982 के बीच आई0 जी0 रजिस्ट्रेशन, यू0 पी0 तथा सचिव, वित्त (बिक्रीकर) विभाग को मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित आशय के दो शिकायती-पत्र दिनांक 7-9-1982 तथा 6-1-1983 महा-निरीक्षक, निबन्धन को प्राप्त हुए थे। इनकी जांच उप-महानिरीक्षक, निबन्धन से कराई गई और श्री सुरेश चन्द्र

माथुर तत्कालीन उप निबन्धक फर्रुखाबाद दोषी पाये गये । इनका स्थानान्तरण जसराना मैनपुरी के छोटे कार्यालय में कर दिया गया है । साथ ही इन्हें आरोपित कर इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उप-निबन्धक दोषी पाये गये दोषी पाये जाने के बाद स्थानान्तर कर दिया, यह लिखा है इसके बाद लिखा है कि उसे आरोपित करके उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । तो जब उसे पूर्णरूपेण दोषी पाया गया तो उसे निलम्बित क्यों नहीं किया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाही क्या कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त --

मान्यवर, किसी को निलम्बित करने से पहले उसको आरोप-पत्र देना पड़ता है । उसका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है । उसके बाद ही कार्यवाही करना सम्भव होगा । स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद जो उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, की जायगी ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, यह 7-9-1982 का मामला है और जांच हो रही है, आरोपित कर पत्र दिया गया है, जवाब मांगा गया है, तो इतनी लम्बी अवधि में इनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही कार्यवाही की जायगी ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को "उच्च वेतनमान", "चयनित वेतनमान" "एकल पद" का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

*14--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री सरदार सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग ने प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपनी सेवाकाल में कम से कम एक पदोन्नति का लाभ दिए जाने और जहां पदोन्नति के पर्याप्त अवसर सुलभ नहीं हैं वहां "उच्च वेतनमान" अथवा "चयनित वेतनमान" अथवा "एकल पद" का लाभ दिये जाने की बात कही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग में अपने कर्मचारियों को उक्त लाभ दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जहां पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं सुलभ हैं वहां संवर्ग की संरचना के संदर्भ में "चयन वेतनमान', अथवा "एकल पद" का लाभ देने की संस्तुति वेतन आयोग ने की है । सभी विभागों के सामान्य कोटि के पदों पर चयन वेतनमान के आदेश शासनादेश संख्या-वे0 आ0-2-210/दस-83-सं0 व्य0(सा0)-82, दिनांक 4 फरवरी, 1983 द्वारा पारित किये जा चुके हैं । यह आदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग पर भी लागू हैं । अन्य पदों के बारे में विभागवार सूचना प्राप्त होने पर विभाग की संरचना को देखते हुए निर्णय लिया जाता है । प्राविधिक शिक्षा विभाग से अभी कुछ पदों के बारे में वांछित सूचना मांगी गई है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने

कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग से कुछ पदों के बारे में सूचना मांगी गयी है तो मैं जानना चाहूंगा--

(1) कि वह पद कौन से हैं और सूचना कब तक उपलब्ध हो जायगी ? तथा

(2) माननीय मन्त्री जी ने कहा कि विभागवार सूचना प्राप्त होने पर विभाग की संरचना को देखते हुए निर्णय लिया जाता है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से विभाग हैं, जिनकी सूची चयन वेतनमान देने के लिये उपलब्ध हो गयी है । यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा विभाग से इनके अन्तर्गत 7 संस्थाएं हैं--

(1) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर,

(2) प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ,

(3) राजकीय बहुधंधी संस्थाएं (राजकीय महिला बहुधंधी संस्था सहित),

(4) राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर,

(5) राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर,

(6) उ० प्र० सम्भागीय मुद्रण संस्थान, इलाहाबाद और

(7) राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय । यह आदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के सामान्य कोटि के पदों जैसे चपरासी, ड्राइवर, लिपिकीय पद, सांख्यिकीय, लेखा तथा पुस्तकालय पर भी लागू हैं । इनके अतिरिक्त जिन पदों पर चयन वेतनमान दिये जाने का औचित्य पाया गया, वे इस प्रकार हैं :--

राजकीय बहुधंधी संस्थान (राजकीय महिला बहुधंधी संस्थानों सहित) इनमें

(1) प्रधानाचार्य,

(2) हेड (सिविल/यांत्रिक/विद्युत् अभियन्त्रण),

(3) प्रवक्ता,

(4) कर्मशाला अधीक्षक,

(5) इंजीनियरिंग इन्सट्रक्टर,

(6) ड्राइंग इंसट्रक्टर,

(7) वर्कशाप अनुदेशक,

(8) कनिष्ठ प्रवक्ता (हिन्दी/अंग्रेजी शार्टहैन्ड),

(9) इन्सट्रक्टर (विज्ञान/गणित) के पद ।

विभाग के जिन पदों पर वृद्धिरोध नहीं पाया गया, वे इस प्रकार हैं :--

(1) उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

(2) सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सचिव के पद पर भी वृद्धिरोध नहीं पाया गया । राजकीय बहुधंधी संस्थान के अप्राविधिक प्रवक्ता के पदों पर भी वृद्धिरोध की समस्या नहीं पायी गयी ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या समयबद्ध वेतनमान शासकीय सचिवालय एवं विधान मंडल सचिवालय के एकल पदों के लिये दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है । यदि हां, तो आदेश कब तक जारी कर दिये जाएंगे, और यदि नहीं, तो शासन इस पर विचार करने की कृपा करेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, हमने किसी को भी समय-बद्ध वेतनमान देना स्वीकार नहीं किया है ।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा

*15--श्री विजय पाल सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी के खादर में प्रति व्यक्ति जोत सीमा प्रदेश के प्रत्येक जनपद (जिन जनपदों में यमुना नदी बहती है) के समान है ? यदि असमानता है, तो उसके क्या कारण हैं ? प्रदेश के प्रत्येक ऐसे जनपदों में प्रति व्यक्ति जोत सीमा समान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक--

सीलिंग कानून के अन्तर्गत सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा पूरे प्रदेश में एक समान है । अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ प्रदेश में असिंचित भूमि की डेढ़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है, किन्तु इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग और यमुना की गहरी धारा से सोलह किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिले के यमुना के इस पार के साथ-साथ सीलिंग कानून की धारा 4(2) में उल्लिखित अन्य विशिष्ट सात क्षेत्रों के लिए किसी एकल फसल वाली भूमि की डेढ़ हेक्टेयर अथवा किसी अन्य असिंचित भूमि की ढाई हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टेयर के बराबर माना गया है । यह व्यवस्था इन क्षेत्रों की भूमि की उत्पादन शक्ति तथा विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए की गयी थी । इस व्यवस्था में सम्प्रति किसी परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय पाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अधिकतम जोत सीमा के अन्तर के बारे में कहा है कि इसके दो आधार बनते हैं । पहला, भूमि की उत्पादन क्षमता और दूसरा विशेष परिस्थितियां । माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियां क्या हैं ? दूसरा, भूमि की उत्पादन क्षमता को जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण सरकार ने किस एजेन्सी से कराया है और उसकी रिपोर्ट क्या है, इसे माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मिट्टी का परीक्षण कराया गया या नहीं कराया गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन भारत सरकार के जो निदेशक-सिद्धान्त हैं, उनके मुताबिक सीलिंग के नियम बनाये गये हैं । उसमें यह निर्धारण किया गया है कि इतनी उसमें सीलिंग की भूमि होगी और जो असिंचित भूमि होगी वह डेढ़ एकड़ बराबर एक एकड़ के होगी और ढाई एकड़ बराबर एक एकड़ के होगी ।

रमाला सहकारी चीनी मिल्स रमाला, जनपद मेरठ के विस्तार का प्रस्ताव

*16--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिल्स मंत्री को जानकारी है कि रमाला सहकारी चीनी मिल्स रमाला, जनपद मेरठ के विस्तार का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त चीनी मिल्स की पिराई क्षमता को कब तक बढ़ा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने रमाला सहकारी चीनी मिल, रमाला, जनपद मेरठ के एक्सपेन्शन के बारे में प्रश्न किया था। यह शुगर फैक्ट्री 1200 टन कैपेसिटी की है और जहां तक मेरी जानकारी है कि वर्ष 1982-83 में इस मिल से सम्बन्धित अन्य जितनी भी सहकारी खेत्र की मिलें हैं, इन सबसे ज्यादा गन्ने की क्रशिंग की है। वहां पर गन्ना बहुत पैदा होता है। यह फैक्ट्री केवल 15-20 प्रतिशत ही गन्ना ले पाती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से आधार हैं और कौन के मानक हैं, जिनके आधार पर किसी शुगर फैक्ट्री का एक्सपेन्शन किया जाता है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, किसी भी चीनी मिल का विस्तारण करने के लिए नीति यह है कि 1250 मैट्रिक टन की क्षमता का जो चीनी मिल है, उसका 5 साल की पिराई का एवरेज लिया जाता है और उसमें उसकी उपलब्धता आदि को देखा जाता है इन सारी चीजों को देखा जाता है तब जाकर उस चीनी मिल का विस्तारण किया जाता है। मान्यवर, जो यह चीनी मिल है, यदि हम इसकी पिराई को देखें तो, इसने 1980-81 में केवल 10.81 लाख टन गन्ने की पिराई की है।

फिर इनका 1981-82, 1982-83 में औसत 21.50 और 19.55 लाख टन था। लेकिन, मान्यवर 17.18 लाख टन ऐवरेज होता है किसी मिल की क्षमता का जो ऐवरेज है, उस पर यह मिल चल रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय मंत्री जी ने 5 वर्ष की बात कही। उन वर्षों की बात यह कह कह रहे हैं जब गन्ना केशर पर 30 रु0 35 रु0 कुंटल बिक गया। मैंने इसमें गत वर्ष की बात कही है। मान्यवर, मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि शायद, किसी भी इस क्षमता की चीनी मिल ने इतना गन्ना, नहीं पेरा होगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 फरवरी को बड़ौत गए थे, जो बिल्कुल रमाला से मिला हुआ क्षेत्र है, उन्होंने वहां की गन्ना की उपज को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए, घोषणा की थी कि यहां शुगर फैक्ट्री लगायेंगे। लेकिन, लगता है कि वह बिल्कुल एक हवाई घोषणा वहां कर आये। मेरी जानकारी है कि आज तक प्रदेश सरकार ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है केन्द्र को, उसके लाइसेन्स के लिए, कोई पत्र ही नहीं भेजा है। लेकिन, वहां की गन्ने की पैदावार को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार तो किया कि यहां मिल की स्थापना होनी चाहिए। तो, इसको दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 1984-85 में माननीय मन्त्री जी, वरिष्ठ मन्त्री जी भी बैठे हुए है, आश्वासन देंगे कि इस पर विचार करेंगे और इसकी क्षमता 1250 टन से बढ़ाकर 1850 टन कर देंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

मान्यवर, जहां तक रमाला शुगर मिल का सम्बन्ध है, यह बात सही है, जो माननीय सदस्य ने कही कि 2-3 साल में गन्ने की उपलब्धि बढ़ गई है और यह बात भी सही है कि कोई कोआपरेटिव मिल लगती है, तो उसका विस्तार या एक्सटेंशन हम जरूर करते हैं। लेकिन एक्सटेंशन करते समय यह देख लेते हैं कि उपलब्धि गन्ने की कितनी हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा विचार है कि इसका विस्तार नहीं करेंगे। यहां यह भी कहना चाहूंगा कि एक दिक्कत हमारे सामने यह भी है कि जब कोई कोआपरेटिव मिल लगती है। तो उसमें इंसेन्टिव मिलते हैं सेन्ट्रल सरकार से वह पांच साल से लिए

होते हैं इस बीच एक्सपेंशन किया जाय तो एक्सपेंशन पर नहीं मिलते वह भी कठिनाई हमारे सामने है। रमाला मिल की बाबत कहना चाहूंगा कि उसकी परफारमेन्स अच्छी है, उसमें गन्ना लग जाता है उसका ख्याल रखेंगे कि उसका एक्सटेंशन जरूर करें।

ग्राम मझौवा, तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर स्थित भूसंड सं0 108 व 117 में अंकित तालाब व मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दी गई भूमि

*17-श्री मित्रसेन--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1 ले शुक्र के प्रश्नकर्ता के अत0 प्र0 सं0-113 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाता संख्या-119/सन् 1390-93 फसली के खसरा संख्या 108 व/तथा 117 दोनों भू-खन्डों को जो भू-अभिलेखों में तालाब अंकित है के भीटों पर स्थित पलाश के वृक्ष जो ग्राम समाज सम्पत्ति है के तथा स्थित आम, जामुन, बांस कोठी जो ग्राम वासियों की चल सम्पति है उसे किस आधार पर तालाब अंकित किया गया है और मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिया गया है ? क्या सरकार ग्राम मझौवा परगना बरौसा तहसील सदर व जिला सुल्तानपुर में स्थित उपरोक्त दोनों भू-खन्डों के भीटों के रकबे जो तालाब की नवइयत में नहीं आते हैं जनहित में तालाब के रकबे से पृथक कर भू-अभिलेखों में भीटा दर्ज करायेगी और ग्राम समाज की सम्पत्ति तथा ग्रामवासियों के स्थित पेड़ों को उनके नाम अंकित करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी--

ग्राम मझौवा परगना बरौसा तहसील सदर जिला सुल्तानपुर स्थित भूखंड सं0 108 व तथा 117 चकबन्दी क्रियाओं के दौरान किए गये भू-अभिलेख में तालाब अंकित हैं। वहीं इसका आधार है। दोनों तालाबों का निर्माण मिट्टी खोद कर किनारे जमा की गई मिट्टी से घिरे तटबन्ध (भीटे) से हुआ है। तटबन्ध (भीटे) हटा देने से तालाब का पानी इकट्ठा न हो सकेगा और तालाब की नवइयत मिट जायगी तथा तालाब मत्स्य पालन एवं सिंचाई के उपयुक्त न रहेगा। उक्त दृष्टि बिन्दु से पृथक गाटों का सम्पूर्ण क्षेत्रफल मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिया गया है। वास्तव में भीटा और तालाब का अस्तित्व अलग-अलग नहीं हो सकता।

उपरोक्त भू-खंडों के किनारे स्थित भीटे (तटबंध) तालाब के अनिवार्य अंग हैं। इस भीटों के अभाव में तालाब का अस्तित्व ही न रहेगा। अतः भीटों को तालाब की ही नवइयत मानकर सही ढंग से उपरोक्त गाटों के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को भू-अभिलेखों में तालाब अंकित किया गया है। भीटे (तटबन्ध) के क्षेत्रफल को पृथक नवइयत दर्ज कराना औचित्यपूर्ण एवं नियमानुसार नहीं है।

तालाब के किनारे स्थित भीटों (तटबंधों) पर उगे पलाश के वृक्षों एवं ग्राम में ग्राम वासियों के पेड़ों को उनके नाम भू अभिलेखों में अंकित कराने का प्राविधान नियमों में नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, यह जो प्रश्न किया है, पहले यह अतरांकित में आया था। यह जो भूखंड है सुल्तानपुर में बझौवा गांव तहसील सदर में 108 व 117 हैं। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो भूखंड दोनों हैं, जिसमें तालाब और भीटे को पहले दर्ज कर दिया गया। तालाब और भीटे को रकबे में दर्ज किया गया। अब भीटे के रकबे को पृथक में नहीं दर्ज किया गया। उस पर जनता के आम जामुन के दरख्त खड़े हैं, तो उन दरख्तों को उनका नाम न अंकित करन

का क्या कारण है ? और भीटे के रकबे को भीटा न दर्ज किए जाने के क्या कारण है, दर्ज करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, भीटा और तालाब दोनों ही हैं और दोनों अपनी जगह पर रहेंगे। उसमें जो पेड़ हैं, वह पेड़ हैं, वह पेड़ तो ग्राम समाज की सम्पत्ति हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर करेंगे, वह ठीक नहीं है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि भीटा और तालाब दोनों ही हैं। भीटे को किसी के नाम पर दर्ज करने का तो औचित्य नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि यह एक आदमी के नाम दर्ज हो गया है, मत्स्य पालन का पट्टा उसको दिया गया है, वह भीटा और तालाब दोनों उसके नाम दर्ज हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि भीटे को उसके मत्स्य पालन पट्टे से अलग करने का आश्वासन देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह तो देखने की बात है, भीटा और तालाब दोनों चीज को 10 साल के पट्टे पर दिया गया है, ठेका दिया गया है। वह वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन में प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उसको दिया गया है। अब उसमें जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, भीटा को जो पट्टा है, भीटा जो शामिल है, इसको देख लिया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न

संग्रह अमीनों द्वारा जनता के वसूली धनराशि की रसीद न देने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 31-12-83 जिसमें अमीनों द्वारा जनता के वसूली धनराशि की रसीद न देने से सम्बन्धित तहसील महाराजगंज, गोरखपुर को जो शिकायत प्राप्त है एवं जिसकी प्राप्ति स्वीकृति की सूचना संयुक्त सचिव ने अपने अ० शा० प० सं० आर० एम० 10/1-6-84 राजस्व-6, राजस्व अनुभाग-6 विधान भवन, लखनऊ दिनांक 3-2-84 द्वारा किया है पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीनाथ प्रसाद यादव, विकलांग सहायक विकास अधिकारी सठियांव, ब्लाक आजमगढ़ के साथ हुए अन्याय से सम्बन्धित-पत्र

2—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनाथ प्रसाद यादव, विकलांक सहायक विकास अधिकारी सठियांव, ब्लाक आजमगढ़ के साथ हुए अन्याय से सम्बन्धित वित्त मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-10-83 पर कोई कार्यवाही हुई ? अगर हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

प्रश्न में उल्लिखित माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र के आधार पर जांच करायी गयी और यह पाया गया कि श्री यादव के प्रति कोई अन्याय नहीं हुआ है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

तराई भावर व प्रदेश के कई जिलों में वर्ग 4 की भूमि के नियमीकरण की योजना

3—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर व प्रदेश के कई

जिलों में जो वर्ग 4 की भूमि है उसके नियमीकरण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पूरा प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी में हाफ ए मिलियन जाब योजना के अन्तर्गत रोजगार

4—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 9 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि हाफ ए मिलीयन जाब के अन्तर्गत 73/74 में तह0 ज्ञानपुर, वाराणसी चन्दौली चकिया, जिला वाराणसी में करीब एक सौ लेखपाल प्रशिक्षित किये गये और उनमें से रेंगुलर लेखपाल के पद पर प्रत्येक तहसीलों में 74/75 से नियुक्तियां करके कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनकी सेवायें 3 वर्ष से लेकर 7/8 वर्ष तक की हो गयी हैं ? यदि हां, तो उनको प्रशिक्षित लेखपाल क्यों नहीं माना जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । वाराणसी जनपद के 91 व्यक्तियों को हाफ ए मिलियन जाब योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया।

परन्तु जैसा कि वर्तमान सत्र के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 9 के उत्तर में बताया जा चुका है कि हाफ ए मिलियन जाब के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों को राजस्व विभाग द्वारा प्रशिक्षण न दिये जाने एवं उनके द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न किये जाने के कारण उन्हें प्रशिक्षित लेखपाल नहीं माना जाता है ।

हाफ ए मिलियन जाब के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग में लेखपाल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण, दी गयी नौकरी तथा राजस्व विभाग द्वारा संचालित लेखपाल स्कूलों में प्रशिक्षण

5—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाफ ए मिलियन जाब के अन्तर्गत रोजगार देने हेतु सन् 73/74 में चकबन्दी विभाग, उ0 प्र0 ने कितने लोगों को लेखपाल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया उनके ऊपर स्कालरशिप का कितने लाख रु0 खर्च किया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1973–74 में हाफ ए मिलियन जाब के अन्तर्गत 2043 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था तथा उक्त प्रशिक्षण पर रु0 15.03 लाख खर्च हुआ था ।

6—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग द्वारा ट्रेनिंग दिये गये लेखपालों को कहां–कहां खपाया गया ? क्या सरकार इसकी सूचना देगी कि कितने राजस्व में नौकरी पा गये और कितने चकबन्दी विभाग में खपाये गये हैं ? क्या सरकार ने कोई सूचना 75 से 78 तक चकबन्दी विभाग से मांगी थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चकबंदी विभाग में प्रशिक्षित लेखपालों को जनपद मुजफ्फरनगर, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बस्ती, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, बहराइच, प्रतापगढ़, गोंडा, सुल्तानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में खपाया गया । राजस्व विभाग में 111 तथा चकबंदी में 36 और अन्य विभाग में 26 व्यक्तियों को नौकरी दी गई ।

शासन के नियोजन विभाग द्वारा उनके शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 1976 द्वारा चकबंदी आयुक्त से चकबंदी विभाग से सम्बन्धित प्रशिक्षण तथा सबसीडाइज्ड रोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में यह सूचना मांगी गयी थी, हाफ ए मिलियन जाब कार्यक्रम तथा इम्पलायमेंट प्रोमोशन प्रोग्राम के अन्तर्गत वास्तविक रूप में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया और उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे। उक्त सूचना चकबन्दी आयुक्त के द्वारा नियोजन विभाग को भेजी गयी थी तथा उसका संकलन नियोजन विभाग द्वारा ही किया गया था।

7—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल स्कूल में किन-किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है और चकबन्दी विभाग के लेखपाल को किन-किन विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है ? चकबन्दी द्वारा प्रशिक्षित लेखपालों को प्रशिक्षित लेखपाल (बोर्ड आफ रेवेन्यू में) सरकार द्वारा क्यों नहीं माना जाता ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

राजस्व विभाग द्वारा संचालित लेखपाल स्कूलों में निम्नलिखित विषयों में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है—

(1) सद्व्यवहार एवं सदाचार (2) कागजात तैयारी (3) भू-चित्र कार्य (4) नियम एवं कर्त्तव्य (5) अधिनियम एवं प्रक्रिया (6) क्षेत्रमिति एवं अंकगणित (7) सर्वे (8) नियोजन एवं विकास।

चकबंदी विभाग के लेखपालों को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता था—

(1) प्रेक्टिकल सर्वे (2) पशु-पालन तथा नियोजन (3) ट्रेसिंग तथा तरमीम सजरा (4) मेन्सुरेशन (5) अंकगणित (6) कर्त्तव्य तथा नियम (7) चकबन्दी नियम तथा अधिनियम (8) भूमिपत्र आलेख्य।

चकबंदी विभाग द्वारा प्रशिक्षित लेखपालों को राजस्व विभाग में रेगुलर लेखपाल के रूप में शासनादेश संख्या 67-1 (1)/75-597-रा0 9, दिनांक 26-5-1975 के अन्तर्गत नियुक्त का पात्र माना गया है।

8—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गन्ना विकास समिति स्योहारा, जनपद बिजनौर के सचिव तथा ग्राम सेवकों के विरुद्ध अधिक कर्जा दिये जाने के आरोप जांच

9—श्री श्याम सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति स्योहारा, जनपद बिजनौर के कुछ कृषकों ने मंत्री को स्वयं कोई शिकायती-पत्र दिनांक 5 मार्च, 1983 को इस आशय का दिया था कि दो लाख से अधिक कर्जा गन्ना अधिकारियों ने नियम विरुद्ध दिया है ? क्या मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जांच कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो अब तक की जांच में ऐसे अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हां।

जांच के आधार पर गन्ना समिति स्योहारा के तत्कालीन सचिव, सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक तथा आठ गन्ना ग्राम सेवक निलम्बित किये गये हैं एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त सात अन्य गन्ना ग्राम सेवकों के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिए गये हैं एवं ो

सहायक गन्ना निरीक्षकों को चेतावनी भी दी गई है।

जिला बदायूं की गुन्नौर तहसील ग्राम घोषली में हरिजनों को आबंटित मकान पर कब्जे की मांग

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बदायूं की गुन्नौर तहसील के 10 परगना आसदपुर के ग्राम घोंसली मोहकम के कुछ हरिजनों को मकान बनाने के लिए जो जमीन के पट्टे दिए गये इस पर अभी तक कब्जा नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम घोषली मोहकम परगना आसदपुर तहसील गुनौर, जनपद बदायूं में दिनांक 25 मई, 1974 को 3 हरिजन, 10 यादव तथा 10 अन्य कुल 20 आबंटियों को आवास स्थल का आबंटन किया गया था। आबंटियों को पट्टे देकर आबंटित भूमि पर कब्जा करा दिया गया था। 10 यादव आबंटियों में से दो यादव आबंटी सर्वश्री सियाराम व राम रतन पुत्रगण दोनों कहीं बाहर चले गये और इनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अन्य जाटव आबंटियों ने कब्जा कर लिया है। इन दो आबंटियों को शीघ्र पुनः कब्जा दिलाने हेतु आदेश दे दिये गये है।

सगड़ी तहसील के ग्रामों में चकबन्दी कार्य कराये जाने का मांग

11—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 से 1 ले शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 124 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष 84 ग्रामों की चकबन्दी वर्ष 1984-85 में पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सगड़ी तहसील के सभी 84 ग्रामों के अभिलेखों की जीर्ण-शीर्ण दशा, उनमें विद्यमान अधिक गल्तियों का न्यायिक प्रक्रिया द्वारा शुद्धीकरण तथा चकबंदी समस्याओं एवं पैमाइश सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में समय लगने की सम्भावना है जिसके कारण इन सभी ग्रामों में पूर्णरूपेण चकबन्दी कार्य वर्ष 1984-85 में पूरा कराना सम्भव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के घोसी तहसील के गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया पूरा कराये जाने का प्रयास

12—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 123 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी प्रक्रिया पांच वर्ष में पूरा करने का कोई नियम है ? यदि नहीं, तो सामान्यतः चकबन्दी प्रक्रिया कितने वर्ष में पूरी की जानी चाहिए ? संदर्भित 130 गांव की चकबन्दी वर्ष 1984-85 में पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चकबन्दी अधिनियम और नियमावली में चकबन्दी प्रक्रिया को पूरा करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सामान्यतः चकबन्दी प्रक्रिया 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर लिया जाता है। संदर्भित अधिकांशतः ग्रामों में चकबन्दी कार्य वर्ष 1984-85 तक पूर्ण हो जाने की

सम्भावना है । कुछ ग्रामों में जो बड़े हैं, में वर्ष 1984–85 में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकेगी । सभी ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

चकरोड बनाये जाने से सम्बन्धित ग्राम प्रधान चक छतरपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के पत्र पर कृत कार्यवाही

13—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1 ले शुक्र के लिए निर्धारित अत: प्र0 सं0 148 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस 10 कड़ी चौड़े रास्ते के लिए चक्र में संशोधन संदर्भ तैयार किया गया है उसका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत संदर्भ उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 6–3–1984 द्वारा निस्तारित किया जा चुका है ।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के महुला ग्राम के हरिजनों का भूमि–आबंटन के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

14—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 स0 140 उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन 56 व्यक्तियों को जो हरिजन नहीं हैं, पट्टा दिया गया है उनमें से कितने भूमिहीन हैं ? क्या उक्त गांव में हरिजनों के केवल 48 परिवार ही रहते हैं ? हरिजनों के अतिरिक्त ऐसे लोगों को जो भूमिहीन नहीं हैं पट्टा किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

56 व्यक्ति जो हरिजन नहीं हैं, अल्प भू–स्वामी थे । उक्त ग्राम के 48 हरिजन परिवार के अतिरिक्त और भी हरिजन परिवार हैं । इन 56 व्यक्तियों का आबंटन किन परिस्थितियों में किया गया इसकी विस्तृत जांच के आदेश शासन स्तर से पुनः जारी किए हैं और यह भी आदेश दिए गए हैं कि यदि उक्त 56 आबन्टियों का आबन्टन नियमानुसार अवैध है तो उसे निरस्त करने की कार्यवाही तुरन्त की जाय इसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय ।

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के ग्राम बालीपुर में चकरोड पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

15—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 139 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि चकरोड पर किन–किन 10 व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया ? उनके विरुद्ध 115 सी की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गई और यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी और कहां तक चकरोड से अवैध कब्जा हटा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

निम्न 10 व्यक्तियों के विरुद्ध चकरोडों पर अवैधानिक रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में 115 सी की कार्यवाही की गयी—1—श्री राम रूप पुत्र राजबली, 2—श्री बहादुर पुत्र

सरजू, 3--कुमार पुत्र राम दवर, 4--श्री राम वृक्ष पुत्र जोउत बन्धन, 5--श्री जमुना पुत्र महाबल, 6--श्री बैजनाथ पुत्र रामदेव, 7--पतिराज पुत्र जनई, 8--राम चरन पुत्र राजदेव, 9--श्री राम नाथ पुत्र भोला व--
10--श्री राम दुलारे पुत्र सदाफल । इन लोगों के विरुद्ध दिनांक 28-11-1983 को 115 सी का वादकायम किया गया, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री परमानन्द कुमार, भू0 पू0 क्षेत्रीय कानूनगो जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध ग्राम सभा चकछतरपुर, समुन्द्रपुर के कागजात लेकर गायब होने से सम्बन्धित दर्ज रिपोर्ट

16--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 138 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री परमानन्द कुमार किस तिथि से अनुपस्थित हैं ? उनके विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट किस तिथि को दर्ज करायी गयी तथा दिनांक 20-2-1984 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राम चन्दर सिंह, ग्रामप्रधान, ग्राम सभा लसूलपुर कठरा, जनपद आजमगढ़ का अवैध कब्जा हटाये जाने से सम्बन्धित पत्र पर जांच

17--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 137 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि चकरोड का अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

चकरोड आदि ग्राम सभा भूमि से सम्बन्धित कब्जे के विरुद्ध चलाए गए धारा 122 बी ज0 वि0 ऐक्ट के अधीन मुकदमों में बेदखली का आदेश दिनांक 29-3-84 को पारित हो चुका है । स्थल से कब्जा ग्राम सभा को हस्तान्तरित करने हेतु 49-ख जारी किया जा चुका है ।

मौजा अतरैठ, परगना अतरौलिया की ग्राम समाज की भूमि पर श्रीमती कुन्ती देवी द्वारा अवैध कब्जा एवं निर्माण किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र की जांच

18--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतरांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन बिन्दुओं की जांच कराई गई ? उनमें से कौन से बिन्दु जिन पर जांच अपूर्ण पाई गई ? अतिरिक्त जिलाधिकारी की जांच के आदेश कब दिये गये हैं और यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र दिनांक 28-8-83 के साथ प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 14-8-83 में केवल मौजा अतरैठ, परगना-अतरौलिया के गाटा संख्या-166 की 0.30 कड़ी कथित ग्राम समाज की भूमि पर श्रीमती कुन्ती देवी द्वारा अवैध कब्जा एवं निर्माण किये जाने

की शिकायत की गई है । परगना अधिकारी द्वारा करायी गयी जांच ठीक न प्रतीत होने पर अभिलेख का भौतिक सत्यापन एवं मौके की जांच कराये जाने के आदेश शासन द्वारा दिनांक 15-2-1984 को जारी किए गए हैं । दुबारा जांच में पुराने अभिलेखों का पुनरीक्षण एवं सम्बन्धित व्यक्तियों का साक्ष्य लेकर ही वास्तविकता का पता लगाना होगा अतः इस कार्य में अभी समय लगेगा ।

19--श्री पंचानन राय--

[7वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

ग्राम सवरूपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के स्थित चकरोडों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कायम किये गये मुकदमें

20--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली की धारा 115-सी के अन्तर्गत कार्यवाही किस दिनांक को प्रारम्भ की गयी और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम सवरूपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में स्थित चकरोडों पर अवैध कब्जेदारों से विरुद्ध कुल 6 मामले अलग-अलग दिनांक 28-11-83 को जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली के नियम 115-सी के अन्तर्गत कायम किये गए। न्यायिक प्रक्रिया कब तक पूरी होगी इस सम्बन्ध में कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड विलरियागंज, आजमगढ़ हरैया एवं महाराजगंज में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग खड़न्जा एवं पुलिया का निर्माण

21--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में वर्ष 83 में कितना कार्य कराया गया तथा उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ? उक्त योजना के अन्तर्गत कितने निराश्रित और असहायों को निःशुल्क गेहूं वितरित किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

आजमगढ़ जनपद की तहसील सगड़ी के विकास-खण्ड विलरियागंज, आजमगढ़, हरैया एवं महाराजगंज में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के सम्पर्क मार्ग खड़ंजा एवं पुलिया का निर्माण कार्य 15.57 लाख रुपये की लागत पर कराया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत निराश्रित एवं असहायों को निःशुल्क गेहूं वितरण करने का कोई प्राविधान नहीं है । किन्तु निराश्रितों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत 3255 व्यक्तियों (बालिग 3047 एवं नाबालिग 208) को वर्ष 1983 में माह दिसम्बर तक 10 किलोग्राम प्रतियूनिट की दर से कुल 316.15 कुन्तल गेहूं का वितरण प्रथमा चक्र में किया गया है ।

श्री राज नारायण, चपरासी, जनपद कानपुर की वेतन अनियमितता सम्बन्धी जांच

22--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण, चपरासी

तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर के वेतन के बारे में अनियमितता सम्बन्धी जो जांच अपर जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) ने परगनाधिकारी, बिल्हौर से कराई थी क्या परगनाधिकारी, बिल्हौर की जांच रिपोर्ट दिनांकित 14-10-83 अपर जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री राजनारायण चपरासी के वेतन का भुगतान अभी तक न करने के क्या कारण हैं तथा राजनारायण चपरासी के वेतन के गबन करने का दोषी कौन है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मढ़ो, तहसील केराकत में चकबन्दी

23—श्री राम समुझावन—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के मढ़ो ग्राम में आज से 10 वर्ष पूर्व चकबन्दी हो चुकी है और आज तक उक्त ग्राम का नक्शा और बन्दोबस्त नहीं मिला है ? यदि नहीं मिला है तो उसका क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम मढ़ो, तहसील केराकत का धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन 15-9-73 को हो चुका है तथा इस ग्राम का जिल्द बन्दोबस्त एवं अन्तिम भू-चित्र राजस्व अभिलेखागार में दाखिल किये जा चुके हैं ।

श्री मुकुरधन हरिजन के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच एवं प्रधान द्वारा पोखर की मछली को अवैध ढंग से मार लेने की शिकायत तथा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट द्वारा यथास्थित कायम रखने का आदेश

24—श्री केदार नाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1 ले शुक्र0 के अता0 प्र0 सं0 116 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुकुरधुन हरिजन के शिकायती पत्र पर प्रधान एवं उसके सहयोगी एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जांच कर सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री मुकुरधुन हरिजन के शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच कर प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

25—श्री केदारनाथ सिंह—

उक्त श्री मुकुरधुन हरिजन के प्रार्थना पत्र दि० 16-6-83 के सन्दर्भ में परगनाधिकारी दि० 17-6-83 को ही थाना अध्यक्ष पिपराइच को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया था परन्तु थानाध्यक्ष पिपराइच द्वारा उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या था जबकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश एक माह से ही ज्यादा समय पर दि० 23-7-83 को आदेश पारित किया था ? क्या श्री मुकुरधुन हरिजन को पट्टे पर दिये गये पोखर की मछली की अवैध ढंग से प्रधान द्वारा मार लिये जाने की शिकायत प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परगनाधिकारी के आदेश दिनां० 17-6-83 व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट-

गोरखपुर के आदेश दिनांक 23-7-83 के माध्य मामले में थानाध्यक्ष पिपराइच द्वारा कार्यवाही न करने के कारणों की जांच की जा रही है। यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रधान द्वारा अवैध ढंग से मछली मार ली गई है परन्तु मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अभी कोई कार्यवाही नहीं क जा सकी है।

26--श्री केदारनाथ सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि महीनों पूर्व मुंसिफ मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा मामले में जो आदेश यथा स्थिति कायम रखने का दि० 23-7-83 को पारित किया गया था वह वापिस ले लिया गया? यदि हां, तो आदेश वापिस लिये जाने की तिथि क्या है और आदेश वापिस ले लिये जाने पर विभाग ने मुकुरधुन हरिजन को कानूनी संरक्षण न दिये जाने का कारण क्या है?

श्री कल्देव सिंह आर्य--

मामले में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट-6 गोरखपुर द्वारा यथा स्थित कायम रखने का आदेश दिनांक 23-7-83 अब भी कायम है और न्यायालय द्वारा वापस नहीं लिया गया है। इसलिए अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

27--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नगवा उर्फ नवापुरा में अग्नि दुर्घटना से क्षति तथा सहायता

28--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नगवा उर्फ नवापुरा में गत वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर, 83 में आग लगने से एक हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों को हजारों रुपये की क्षति हुई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिलाधिकारी की सूचनानुसार जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम नगवा उर्फ नवापुरवा में दिनांक 13-12-83 को अग्नि दुर्घटना हुई, जिसके फलस्वरूप केवल एक हरिजन श्री धुरभारी पुत्र श्री मथुरा की झोपड़ी तथा रखे सामान की क्षति हुई। क्षति का अनुमानित मूल्यांकन रु० 1,200 है।

जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवार के मुखिया श्री धुरभारी को 50 रुपये की तात्कालिक सहायता प्रदान की गयी।

मत्स्य निदेशालय, लखनऊ में सहायक लेखाधिकारी श्री गिरधारी शरण टंडन का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण न होने का कारण

29--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय मत्स्य, लखनऊ में ही 10 वर्ष से अधिक समय से दि० 30 जून, 1973 से मत्स्य विभाग से स्थानान्तरित क्यों नहीं किये गये? क्या यह सही है कि वित्त सेवाओं को केन्द्रित इसलिए किया गया है कि वित्त अधिकारियों को एक ही स्थान पर लम्बे समय तक न रखा जाय और पांच वर्ष से अधिक अवधि में दूसरे विभाग में स्थानान्तरित कर दिया जाय? यदि हां, तो इस नीति का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्री गिरधारी शरण टंडन, मत्स्य निदेशालय, लखनऊ में स्थायी सहायक

लेखाधिकारी हैं । वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में दिनांक 9-10-75 से सृजित एकीकृत सहायक लेखाधिकारियों की नई सेवा की नियमावली के अनुसार तत्कालीन पदाधारियों से उस सेवा के संवर्ग में सम्मिलित होने या न होने का विकल्प मांगा गया था । श्री टंडन ने उक्त सेवा में सम्मिलित न होने का विकल्प दिया था । फलस्वरूप वह मत्स्य निदेशालय ही के प्रशासकीय नियंत्रण में सहायक लेखाधिकारी के पद पर बने रहे । अतः उनके सेवा सम्बन्धी प्रकरण, जिनमें स्थानान्तरण भी सम्मिलित हैं, वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं ।

चकबन्दी अधिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की सूची तैयार किये जाने का निर्देश

30--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 ने अपने पत्र सं0 87 जो0 एस0 610/1/72, दि0 3 दिसम्बर, 79 के द्वारा समस्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उ0 प्र0 को लिखा है कि चकबन्दी अधिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को जो प्रशिक्षण दिया गया उनकी सूची तैयार की जाय और यह ज्ञात किया जावे कि इसमें से कितने को नौकरी मिल गयी और कितने बेकार हैं ? यदि हां, तो चकबन्दी विभाग ने इस सम्बन्ध में शासन को कोई सूचना दी कि कितने को नौकरी मिल गयी और कितने बेकार हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक 87/जो0 एस0 610/1/72, दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 द्वारा प्रदेश के समस्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को यह निर्देश दिये गये थे कि चकबंदी विभाग द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की सूची तैयार की जाय और यह ज्ञात किया जाय कि कितनों को नौकरी मिल गई है और कितने बेकार हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार 173 व्यक्तियों को चकबन्दी अथवा अन्य विभागों में खपाया जा चुका है । शेष के सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति ज्ञात नहीं है ।

भोला कामर्शियल कालेज, दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने की शिकायत

31--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भोला कामर्शियल कालेज, दुर्विजयगंज सराय, लखनऊ द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सन 1983 में जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच राजस्व विभाग के किसी उच्च अधिकारी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

भोला कामर्शियल कालेज, दुर्वियगंज सराय, लखनऊ द्वारा टेलेक्स का जाली प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक कोई शिकायत राजस्व विभाग में प्राप्त नहीं हुई । इसलिये राजस्व विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

32--श्री मित्रसेन--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

कोषागार उप कोषागार की कैश शाखाओं में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का विचार तथा वहां के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान मिलने वाली सुविधायें

33—श्री सुरेन्द्र कुमार (उर्फ मुन्नी)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार उप कोषागार की कैश शाखाओं में ठेकेदारी की प्रथा चालू है ? यदि हां, तो उसे समाप्त किये जाने पर सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34—श्री सुरेन्द्र कुमार (उर्फ मुन्नी—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार/कैश कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

उन्हें राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं :—

(1) स्वीकृत वेतनमान में वेतन ।

(2) महंगाई भत्ता ।

(3) नगर प्रतिकर भत्ता ।

(4) मकान किराया भत्ता ।

(5) अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश/प्रसूति अवकाश/अर्ध औसत वेतन पर अवकाश/डिसेबिलिटी अवकाश ।

(6) पर्वतीय विकास भत्ता/सीमान्त विशेष वेतन

(7) पेंशन (पारिवारिक पेंशन को छोड़कर) ।

(8) ग्रेच्युटी ।

(9) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की और कटौती ।

(10) सामूहिक जीवन बीमा योजना ।

(11) निलम्बन काल में जीवन निर्वाह भत्ता ।

(12) बोनस ।

कैश कर्मचारियों को भत्ते का तरीका एवं सेवा शर्तें अन्य सरकारी कर्मचारियों से भिन्न हैं ।

गन्ना पर्यवेक्षकों तथा गन्ना ग्राम सेवकों के रिक्त पद

35—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक एवं गन्ना ग्राम सेवक की संख्या शासन द्वारा स्वीकृत संख्या से कम है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हां । गन्ना पर्यवेक्षकों के 212 तथा गन्ना ग्राम सेवकों के 69 पद रिक्त हैं । विगत वर्षों में समय-समय पर जारी किये जा रहे मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों के परिवेक्ष्य में इन पदों को नहीं भरा गया । अब इन रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रगति पर है ।

तहसील महाराजगंज के ग्राम महदेवा की हरिजन आबादी की भूमि के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायती-पत्र

36—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम महदेवा की हरिजन आबादी की भूमि के आवंटन सम्बन्धी अनियमितताओं के क्रम में प्रश्नकर्ता के पत्र माह मई, 1982 पर श्री बलवन्त राम, संयुक्त सचिव ने अपने अ0 शा0 पत्रांक ज0 प्र0 205/एक-13-3 (136)/82-400-राजस्व अनु0-9, लखनऊ दिनांक मई, 1982 द्वारा जो सूचना पत्र प्राप्ति को दिया है इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

देवरिया तहसील में लेखपाल के स्वीकृत पद तथा संख्या

37—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया तहसील में कितने लेखपाल की संख्या शासन द्वारा स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ? शेष कमी को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

देवरिया तहसील, जनपद देवरिया में लेखपाल के कुल 196 पद स्वीकृत हैं जिस पर इस समय 117 लेखपाल कार्यरत हैं । शेष रिक्त पदों को लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल से प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भर दिया जायेगा ।

गन्ना पर्यवेक्षकों के स्थायी दौरा भत्ता का पुनरीक्षण

38—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना पर्यवेक्षकों के स्थायी दौरा भत्ता का पुनरीक्षण वेतन आयोग ने किया है ? यदि नहीं, तो क्या अब पुनरीक्षित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

गन्ना पर्यवेक्षकों के स्थायी दौरा भत्ता का पुनरीक्षण वित्त (वेतन आयोग) ने माह जुलाई, 1978 में किया था । वेतन आयोग की यह सस्तुति है कि उन कर्मचारियों के स्थायी मासिक भत्तों की दरों को पुनरीक्षित किये जाने का औचित्य नहीं है जिसके मासिक भत्ते की दरों का पुनरीक्षण वर्ष 1978 या उसके पश्चात् किया गया है ।

ग्राम मोहद्दीनपुर, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

39—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महामत हरिजन, ग्राम मोहद्दीनपुर, तप्पा खुटहन, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में परगनाधिकारी सदर को कोई शिकायती-पत्र दिनांक 20-2-84 को दिया है जिसमें उसी गांव के कुछ लोगों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने सम्बन्धी शिकायत करते हुए अवैध निर्माण रोके जाने की मांग की है ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जांच से भूमि संख्या 169/2 रकबा 0·03 डिसमिल पर श्री बुद्धराम का अवैध कब्जा पाया गया। निर्माण कार्य इस समय स्थगित है। जिलाधिकारी को अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री रामदेव तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

40—श्री खैरुल बशर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अम्बिका सिंह व अन्य व्यक्ति निवासीगण ग्राम व पोस्ट हाफिजपुर, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के रजिस्टर्ड-पत्र नं0 155 दिनांक 3-10-83 को जो श्री राम देव तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र-15 हीरा पट्टी, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध गम्भीर प्रमाणित शिकायतों से सम्बन्धित हैं तथा जिनमें डी0 ओ0 नं0 114 एस0 टी0, दिनांक 3-8-83, डी0 ओ0 नं0 1449 एस0 टी0, दिनांक 14-2-83 व डी0 ओ0 नं0 1495 एस0 टी0, दिनांक 17-2-83 आदि का हवाला दिया है द्वारा उनको सूचित किया है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही किया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री अम्बिका सिंह व अन्य ग्राम हाफिजपुर, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ का शिकायती-पत्र दिनांक 3-10-83 श्री रामदेव तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त होना नहीं पाया जाता है किन्तु उनका एक अन्य शिकायती-पत्र दिनांक 30-9-83 प्राप्त हुआ है। शिकायती-पत्र में उल्लिखित डी0 ओ0 नं0 1147/एस0 टी0, दिनांक 3-8-83, डी0 ओ0 न0 1449/एस0 टी0, दिनांक 14-2-83 प्राप्त नहीं हुये हैं। डी0 ओ0 नं0 1495/एस0 टी0, दिनांक 17-2-83 प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रकरण में उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ द्वारा जांच की जा रही है।

41—श्री उदल—

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

परगना मजिस्ट्रेट, राम सनेही घाट, बाराबंकी द्वारा ग्राम कोलवा से सम्बन्धित भूमि की विवादित फसल हेतु सुपुर्दगार की नियुक्ति

42—श्री जटाशंकर सिंह—

विधान सभा के 1984 के प्रथम सत्र के 1ले शुक्र के अता0 प्र0 सं0 87 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित भूमि के सुपुर्दगार ने न्यायालय के संरक्षण में विवादित फसल को राजकीय कोष में जमा कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि सुपुर्दगार विवादित फसल का अधिकांश भाग स्वतः ले लेता है और वह उसका कुछ अंश ही कागजात पर दिखाता है? यदि हां, तो ऐसे सुपुर्दगार को हटाकर किसी दूसरे सभ्य व्यक्ति को सुपुर्दगार नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विवादित फसल को राजकीय कोष में जम करना व्यवहारिक नहीं है। न्यायालय ने भी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है।

सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा इस आशय की कोई शिकायत न्यायालय में नहीं की गई है।

उक्त के आधार पर वर्तमान सुपुर्दगार के स्थान पर दूसरे सुपुर्दगार को नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता अन्यथा भी वर्तमान सुपुर्दगार की नियुक्ति न्यायालय के आदेश के तहत की गई है।

43—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री सुनहरी लाल आदि द्वारा जिलाधिकारी, मैनपुरी को ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

44—श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव सभा रवेरिया शिकमी गोहाना के श्री सुनहरी लाल आदि ने ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत दिनांक 14-8-80 को जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं कृषि मंत्री को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया ? क्या यह सच है कि 13-5-82 को परगनाधिकारी, जसराना ने पट्टा प्रदान करने के लिए संस्तुति अग्रसारित की ? यदि हां, तो अब तक पट्टा देने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री सुनहरी लाल आदि ने दिनांक 14-8-80 को जिलाधिकारी, मैनपुरी को ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था । परन्तु सम्बन्धित परगनाधिकारी, जसराना ने संस्तुति नहीं की । शासनादेश संख्या 107(16) बन्दो0 82-204 राजस्व (बन्दोबस्त) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 27 अगस्त, 1983 के अनुसार ऊसर भूमि सुधार योजना में पट्टे दिया जाना आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है ।

जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट नजारत अनुभाग में गबन की जांच

45—श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी कचहरी की नजारत अनुभाग में 1982-83 में किये गये गबन के समय कौन प्रभारी अधिकारी नजारत थे और अब तक प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट नजारत अनुभाग में 1982-83 में हुये गबन के समय श्री वी0 पी0 त्रिपाठी प्रभारी अधिकारी नजारत थे । मामले में प्रभारी अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा विशेष लेखादल द्वारा आडिट किये जाने पर विचार किया जा रहा है । प्रभारी अधिकारी का स्पष्टीकरण तथा विशेष लेखा दल की आडिट आख्या प्राप्त होने के पश्चात् प्रभारी अधिकारी के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करने के बाद ही उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

बरेली में नियुक्त डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्री कर के विरुद्ध राजस्व के गबन का शिकायती-पत्र

46—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बरेली में वर्ष 1977-78 व 1978-79 में नियुक्त डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर के विरुद्ध राजस्व के गबन की शिकायत की गयी थी जिसे बरेली के मण्डलीय आयुक्त ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दि0 9-8-78 में शिकायत को सही पाया ? उपायुक्त (शा0), बरेली की रिपोर्ट 17-4-80 व 21-4-80 के बाद उपायुक्त (प्रशासन) मुख्यालय को ता0 29-5-80 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो कितने रुपये का गबन पाया गया ? क्या उक्त डिप्टी कलेक्टर की इन वर्षों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया गया और वार्षिक बढ़ोत्तरी दे दी गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। बरेली में वर्ष 1977-78 व 1978-79 में नियुक्त डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर के विरुद्ध राजस्व के गबन का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था बल्कि इनके कार्यालय के अमीनों द्वारा किये गये गबन के कुछ मामले संपरीक्षा आपत्तियों के फलस्वरूप सामने आये थे। मंडलीय आयुक्त रुहेलखंड मंडल ने श्रीमती नफीसा बेगम बनाम उत्तर प्रदेश (शासन) आपत्ति संख्या 29 वर्ष 1977 के मामले में 9-8-78 को दिये गये अपने निर्णय में उक्त डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर द्वारा नीलामी में बर्ती गई अनियमितताओं तथा गैर कानूनी कार्यवाहियों का उल्लेख किया था।

जी हां। अमीनों द्वारा किये गये कथित गबन की राशि 12,359.50 रु0 बतायी गयी है। सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गयी थी। जहां तक वार्षिक वेतनवृद्धि का सम्बन्ध है, इसकी सूचना राजस्व परिषद् से प्राप्त की जा रही है। तथापि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2, भाग 2 के मूल नियम 24 के अनुसार सामान्यतया वेतनवृद्धि स्वतः प्राप्त कर ली जाती है, जब तक कि उसे सक्षम अधिकारी द्वारा रोका न गया हो।

जिला निबन्धक (फर्रुखाबाद) द्वारा अपने आशुलिपिकों तथा लिपिकों से लिया गया कार्य

47—श्री सरदार सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला निबन्धक (फर्रुखाबाद) अपने आशुलिपिक श्री फूल सिंह के निबन्धन कार्यालयों के स्थानान्तरण आदेश निरीक्षण टिप्पणियां, स्थानीय डाक का भेजना, जो सामान्य कार्य में आता है, लिया करते थे ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु नियुक्त लिपिकों से कौन सा कार्य लिया जाता है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां। चूंकि तत्कालीन मुख्य निबन्धन लिपिक टंकण कार्य नहीं जानते थे अतः यह कार्य आशुलिपिक द्वारा कराया जाता था। मुख्य निबन्धन लिपिक द्वारा अन्य समस्त कार्य जैसे वेतन बिल, बैंक से कैश लाना, नक्शा तैयार करना, तहसील से डाक प्राप्त करना, लादावा रजिस्टर का रख-रखाव इत्यादि, सम्पादित किये जाते हैं। जिला निबन्धक कार्यालय में टंकक/डिस्पैचर/लिपिक का कोई अन्य पद नहीं है।

ग्राम निजामुद्दीन, तहसील व जिला लखनऊ में चकबन्दी के दौरान दिये गये चकों पर निशानदेही करके कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्र

48—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निजामुद्दीन, तह0 व जिला लखनऊ में चकबन्दी के दौरान दिये गये चकों पर निशानदेही करके कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह यादव, नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के दो पत्र दिनांक 25-3-83 तथा 10-8-83 शासन को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उनको निशानदेही करके उन पर कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जी हां। प्रार्थी मूरतदीन पुत्र टीका का उसकी कुल जोत 4-16-0 में से 4-10-16 भूमि पर कब्जा है केवल 0-5-4 भूमि पर श्री फारूक पुत्र मोहम्मद हारून का कब्जा है।

उक्त श्री फारूक के कब्जे वाली भूमि पर प्रार्थी (श्री मूरतदीन) को निशानदेही करके कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही प्रशासकीय निर्णय के तहत नहीं की जा सकती। इस हेतु प्रार्थी को लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 41 के अन्तर्गत वाद दायर करना पड़ेगा। इस विधिक स्थिति से प्रार्थी के पुत्र को अवगत करा दिया गया है।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम नदुआ बाजार से संबंधित भूमि के संबंध में शिकायती पत्र

49—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम नदुआ बाजार से सम्बन्धित भूमि, जिस पर भू0पू0 जमीनदारों का आधिपत्य और इनके द्वारा ग्राम समाज का प्रतिवर्ष हो रहे लगभग 35 हजार रुपये के दुरुपयोग से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता की शिकायत वर्ष 1980 से अब तक बराबर शासन व जिले के अधिकारियों को की गयी ? यदि हां, तो क्या यह मामला शासन के तरफ से परीक्षण हेतु राजस्व परिषद् को प्रेषित है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या परिणाम सामने आये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। दिनांक 23-10-80 को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र जिले में प्राप्त हुआ था जिस पर जिला स्तर पर जांच कराई गयी। जी हां। विधान सभा के वर्ष 1981 के प्रथम सत्र के तीसरे शुक्रवार के लिये मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 से सम्बन्धित जिलाधिकारी, गोरखपुर से प्राप्त उत्तरालेख्य पर शासन द्वारा यह मामला परीक्षण हेतु राजस्व परिषद् को प्रेषित किया गया। परिषद् द्वारा मामले में कृत परीक्षण स्थल जांच तथा अभिलेखों की पूर्ण जांच के बाद जनपद को प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूखण्डों की हदबन्दी प्रधान की उपस्थिति में करा दी गई है और मौके पर निशानदेही कर दी गई है। ग्राम प्रधान के सामने आबादी की गलियों के उस स्थल को सीमांकित कर दिया गया है जहां जमींदारों की भूमि के साथ बाजार के दिन बाजार लगती है। ग्राम प्रधान गलियों में दुकान रखने वाले दुकानदारों से तहबाजारी वसूल कर सकने की स्थिति में है।

50—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[6 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद बस्ती में नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु स्थायी अमीनों की ज्येष्ठता का क्रम

51—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु स्थायी अमीनों की ज्येष्ठता किस क्रम में है एवं नायब तहसीलदार पद पर कौन-कौन कार्यरत है ? ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नतियां कब तक दे दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी, बस्ती से उत्तर के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री राजस्व परिषद् द्वारा अपूर्ण पायी गयी है। राजस्व परिषद् उसका परीक्षण कर रहे हैं और जिलाधिकारी से विस्तृत सूचना मांगी जा रही है।

तहसील महराजगंज में भू0 पू0 कृषि के छंटनी शुदा कर्मचारियों को संग्रह चपरासी पद पर न रखने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

52--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज में भू0 पू0 कृषि के छटनी शुदा कर्मचारियों को संग्रह चपरासी पद पर न रखने, किए कार्य का वेतन न देने एवं नये लोगों को अनियमित रूप से नियुक्त करने आदि के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता के जुलाई, 1983 से अब तक बराबर शासन को लिखकर सूचित किया है ? यदि हां, तो इस दशा में संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग-6, दिनांक 20 सितम्बर, 1983 के पत्र पर अब तक जिलाधिकारी, गोरखपुर ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

शासन को प्राप्त प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-7-1983 को जिलाधिकारी, गोरखपुर को जांच हेतु भेजा गया था जिसको जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी, महराजगंज से जांच कराने के पश्चात् सूचित किया है कि श्री विन्ध्याचल को दिनांक 2-8-1983 से सीजनल संग्रह चपरासी के पद पर तैनात कर दिया गया है तथा वेतन के मामले में इन्हें पूर्व सेवा का लाभ दिया जा चुका है। जहां तक इन्हें 3 माह का अवशेष वेतन दिये जाने का प्रश्न है, चूंकि उक्त अवधि में इन्हें परगनाधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था अतः वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप जांच में सत्य नहीं पाया गया।

जनपद गोरखपुर में कृषि विभाग के छंटनी शुदा कर्मचारी

53--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कृषि विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी हैं तथा तहसीलों में संग्रह अमीन (पार्टटाइम या फुल टाइम) पद पर विगत 5 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद गोरखपुर में कृषि विभाग के 163 अमीन तथा 249 चपरासी कुल मिला कर 412 कृषि विभाग के छंटनी-शुदा कर्मचारी हैं।

जनपद गोरखपुर की समस्त तहसीलों में कृषि छटनीशुदा कर्मचारियों में से वर्ष 1979 में 11 अमीन, वर्ष 1980 में 13, 1981 में 13, वर्ष 1982 में 14 और वर्ष 1983 में 14 कर्मचारी पूर्ण वर्ष कालिक अमीन के पद पर नियुक्त किये गये और अब तक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त सामयिक पद पर वर्ष 1979 में 12 अमीन व 8 चपरासी, वर्ष 1980 में 6 चपरासी, वर्ष 1981 में 18 अमीन व 13 चपरासी, वर्ष 1982 में 18 अमीन व 7 चपरासी और वर्ष 1983 में 12 अमीन व 11 चपरासी सामयिक पद पर निर्धारित अवधि तक रखे गये।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हरिजनों तथा अन्य भूमिहीनों को आवास हेतु दिया गया पट्टा

54--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सगड़ी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी भूमि का पट्टा दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक हरिजनों तथा अन्य भूमिहीनों में किया गया और इसमें से कितनी भूमि पर पट्टेदारों का कब्जा दे दिया गया है ? कितनी भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है ? यह कब तक दे दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हरिजनों तथा अन्य भूमिहीनों को 31 दिसम्बर, 1983 तक 2162-120 एकड़ भूमि का कृषि हेतु तथा 87-230 एकड़ भूमि का आवास हेतु पट्टा किया गया। कृषि तथा आवास हेतु आवंटित भूमि में से 2-113 एकड़ कृषि योग्य भूमि को छोड़कर शेष समस्त भूमि पर आवन्टियों को कब्जा दिलाया जा चुका है।

लखनऊ के बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड 10 में सर्वश्री चन्द्रभान गल्ला व्यापारी पर लगाया गया एक पक्षीय कर

55--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड-10 में चन्द्रभान गल्ला व्यापारी पर ता0 19-11-82 को वर्ष 78-79 के लिए एक पक्षीय रु0 8,000 कर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या एक पक्षीय आदेश को धारा 30 के अन्तर्गत खोला गया और पुनः कर आदेश पारित किया गया ? यदि हां, तो कितना कर लगाया गया ? क्या एक पक्षीय रूप से 8,000 रु0 कर उचित लगाया था ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया ? क्या करदाता का वर्ष में सर्वेक्षण किया गया यदि हां, तो क्या पाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां। लखनऊ के बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड-10 में सर्वश्री चन्द्रभान गल्ला व्यापारी पर दिनांक 19-11-82 को वर्ष 1978-79 के लिए एक पक्षीय रूप से 8,000 रु0 कर लगाया गया था। एक पक्षीय आदेश को बिक्री-कर अधिनियम की धारा 30 के अधीन की गई प्रार्थना पर पुनः विचार हेतु खोला गया और पुनः आदेश पारित करते हुए 155 रु0 कर लगाया गया है। एकपक्षीय रूप से आरोपित कर 8,000 रु0 उचित नहीं पाया गया, इसलिए पुनः कर निर्धारण आदेश में केवल 155 रु0 कर लगाया गया है। एक-पक्षीय आदेश में 8,000 रु0 बिक्री-कर आरोपित करने का आधार व्यापारी का अनुपस्थित होना, नक्शा व कर जमा न करना, जानबूझ कर व्यापारिक स्थिति प्रदर्शित न करना व विगत इतिहास माना गया है। करदाता का वर्ष में सर्वेक्षण नहीं किया गया है। धारा 30 का आदेश पारित करने के पूर्व अधिकारी ने जांच पड़ताल करना न्यायोचित समझा तथा दिनांक 17-8-83 में सर्वेक्षण कर दिनांक 18-8-1983 को आदेश पारित कर दिया है।

डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में कार्यरत लेखपाल खुर्शीद अहमद एवं जगदीश मिश्रा के भ्रष्टाचार के बारे में पत्र पर कृत कार्यवाही

56--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 17 मार्च, 1983 एवं 18 मार्च, 1983 को राजस्व सचिव श्री शर्मा जी से मिलकर डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में कार्यरत लेखपाल खुर्शीद अहमद एवं जगदीश

मिश्रा के भ्रष्टाचार के बारे में विस्तृत पत्र उन्हें दिया था ? क्या यह सत्य है कि राजस्व अनुभाग-9 द्वारा दिनांक 23-3-83 को डो० ओ० नम्बर 13-3(11)/83-226, दिनांकित 23-3-84 जारी हुआ ? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और इन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही सम्पन्न की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ एवं प्रतापगढ़ में कार्यरत चकबन्दी लेखपालों की प्रोन्नति

57--श्री राम धनी--

उक्त संदर्भ में क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ एवं प्रतापगढ़ में कार्यरत लेखपालों की प्रोन्नति उनकी चरित्र पंजिकाओं में प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण रोकी गयी है जबकि यह प्रविष्टियां अनियमित ढंग से एवं दिनांक 7 नवम्बर, 1981 के बाद की गई ? यदि हां, तो क्या ऐसे लेखपालों की प्रोन्नति तुरन्त की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

चकबन्दी आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 11695/ई०-1437/78-79, दिनांक 7 नवम्बर, 1981 के द्वारा 99 चकबन्दी लेखपालों को प्रोन्नति हेतु चयनित किया गया था । चकबन्दीकर्त्ता के नियुक्त प्राधिकारी, जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी होते हैं । अतः सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी को उनकी प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्देश भेज दिये गये थे । जनपद लखनऊ व प्रतापगढ़ के एक लेखपाल श्री मैकू लाल की प्रोन्नति उनकी चरित्र-पंजिका में वर्ष 1980-81 की प्रतिकूल प्रविष्टि जो दिनांक 10-6-1981 को दी गई थी, के कारण नहीं हो सकी ।

लखनऊ के बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा आबकारी ठेकेदारों पर कर निर्धारण तथा बकाया की धनराशि

58--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारियों के द्वारा वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक आबकारी ठेकेदारों के कर निर्धारण व सम्भावित राजस्व की हानि के बारे में प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं० 1397, दिनांक 12-5-83 उनको मिला है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक खण्ड वाइज अलग-अलग कितने ठेकेदारों पर कर लगाया गया, कितना कर निर्धारण से पूर्व जमा किया कितना बकाया रहा और कितना राजस्व मारा गया ? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

लखनऊ के खंड 1 से 11 में वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक वर्षवार व खंडवार ठेकेदारों की संख्या जिनपर कर लगाया गया, कर निर्धारण के पूर्व जमा की गयी धनराशि तथा बकाया की धनराशि संलग्नक में दी गयी है । कोई राजस्व नहीं मारा गया क्योंकि उक्त वर्षों के लिए कोई आरोपित कर अपलेखित नहीं किया गया है । अतः राजस्व हानि के लिए किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 117 पर ।)

प्रदेश के सहकारी निरीक्षकों के आन्दोलन से गेहूं की वसूली ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उसमें से मैंने माननीय श्री माधव प्रसाद, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री कुंवर सिंह नेगी एवं श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री किरन पाल सिंह, श्री शंकर सिंह व श्रीमती विमला राकेश की सूचना को स्वीकार किया है। माननीय मुहम्मद आजम खां का कई दिन से नियम 301 में आ रहा था। वे करण संख्या 11(3) को पढ़ लें और उसे शुद्ध कर लें, मैं दिनांक 11-4-84 को उसे ले लूंगा।

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश के सहकारी निरीक्षक 1 जनवरी, 1984 से आन्दोलनरत हैं। वे 1 फरवरी, 1984 से विभागीय बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे शासन को सहकारी प्रगति के सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। पुराने आंकड़ों को घटाबढ़ा कर अधिकारी भेज रहे हैं। समस्त निरीक्षक 6 व 7 मार्च को सामूहिक अवकाश पर रहे। वेतन विसंगति दूर करने, समयबद्ध वेतनमान प्रोन्नति के अवसर सुलभ कराने, स्थायीकरण आदि मांगों को लेकर वे आन्दोलनरत हैं। 27-27 वर्षों से कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है।

आन्दोलनरत प्रदेश के निरीक्षकों ने 15 अप्रैल से समस्त कार्यों के बहिष्कार का निश्चय किया है जिससे जन वितरण, प्रणाली उर्वरक वितरण, गेहूं खरीद आदि व सहकारी वसूली ठप्प हो जायगी।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि सहकारी निरीक्षकों की मांगें स्वीकार कर प्रदेश की ग्रामीण जनता को आसन्न संकट से उबारें।

गुरुराम, राम दरबार देहरादून के महन्त इन्दरेश चरनदास को मारने के षड्यंत्र के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

श्री गुरुराम, रामदरबार के महन्त श्री इन्दरेश चरणदास प्रमुख समाजसेवी हैं। उन्होंने देहरादून एवं अन्यत्र कई विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की है, जहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महन्त इन्दरेश चरणदास जी कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से सम्बद्ध हैं और उनका जीवन परोपकार एवं समाजसेवा में समर्पित है। महन्त जी ने देहरादून की नगरपालिका के चेयरमैन के रूप में भी अनुकरणीय सेवा की है। महन्त जी की ख्याति से ईर्ष्या तथा दरबार की सम्पत्ति को जबरन हड़पने की गरज से कुछ बदनाम असामाजिक तत्व उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश कर रहे हैं और उनके विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसी साजिश की तहत कुछ वर्ष पूर्व महन्त जी पर कातिलाना हमला किया गया तथा हाल ही में दरबार में लगने वाले भण्डे मेले से पूर्व शहर की दीवालों पर महन्त जी के खिलाफ बहुत ही अश्लील एवं गन्दे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शब्द लिखे गये। जिला प्रशासन की अकर्मण्यता एवं उदासीनता से कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से देहरादून की जनता में भयंकर चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव हम माननीय गृह मंत्री जी से तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग इस सम्बन्ध में करते हैं।

रुदौली, जिला बाराबंकी की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को रेपसीड आयल न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के डिपो और जिला पूर्ति विभाग की मिलीभगत के कारण होली के त्योहार के ऐन मौके से लेकर आज तक नोटीफाइड एरिया रुदौली के उपभोक्ताओं, को रेपसीड आयल न मिलने के कारण स्थानीय जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि वहां के सस्ते गल्ले के दुकानदारों को होली के अवसर पर प्राथमिकता के आधार पर रेपसीड आयल दिये जाने की सूची जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशित की गयी थी, जिसके अनुसार दुकानदारों ने 5 मार्च, 1984 को अपने-अपने ड्राफ्ट बनवाये और जब 14 मार्च, 1984 को आये हुए एक ट्रक माल को 15 मार्च, 1984 को लेने डिपो पर गये तो उन्हें माल नहीं दिया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि उपरोक्त दोनों विभाग किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं। अन्त में मजबूर होकर सम्बन्धित दुकानदारों ने अपने ड्राफ्ट कैन्सिल करवा लिये। अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि पूर्व घोषित दुकानदारों को माल न देकर निहित स्वार्थ के उद्देश्य से दूसरों को माल दिये जाने की जांच कराके दोषी व्यक्तियों को दंडित कर रुदौली में यथाशीघ्र रेपसीड आयल के अभाव को दूर कराया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जालौन में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले वर्ष 1983 में जनपद जालौन में पिछले दशक में बनाये गये पक्के मार्गों पर निजी बसों को परमिट दिये गये हैं। इन मार्गों पर चलने वाली बसों का किराया निर्धारित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप बस मलिकान मनमाना किराया जनता से वसूल कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने अभी तक इस लोक महत्व के विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जनपद की जनता में मनमाने किराया की वसूली तथा जिला प्रशासन द्वारा किराया निर्धारित न किये जाने के कारण भारी क्षोभ व्याप्त है। बस चालकों से अक्सर सवारियों का इसी विषय को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। कभी भी कोई भारी अप्रिय घटना घट सकती है। अतः जनपद जालौन के सभी मार्गों पर बस किराया निर्धारित किये जाने की मांग करता हूं।

नगला हरी सिंह जिला बुलन्दशहर में पड़ी डकैती में पुलिस कर्मियों का हाथ होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरन पाल सिंह—

विगत 30/31 मार्च, 1984 की रात को जनपद बुलन्दशहर स्थित थाना

पहासु के गांव नगला हरी सिंह में एक सम्मान्त परिवार के यहां भीषण डकैती पड़ी। जिसमें कई लाख के आभूषण व नगदी स्वर्गीय गोकुल सिंह के यहां से डकैत लोग ले गये। उक्त डकैती में थाना पहासु के थानाध्यक्ष, दो पुलिस उप निरीक्षक तथा 8 पुलिस के सिपाहियों का सम्मिलित होना प्रकाश में आया है। जब गांव वालों को यह मालूम हुआ कि डकैतों के रूप में पुलिस के लोग हैं तो उन्होंने हल्ला मचाया। बाद में जब इसकी रिपोर्ट लिखाने की बात आयी तो पुलिस ने इन्कार कर दिया। तथा स्वंय अपनी सफाई में कहा कि हम पुलिस वालों ने तो डकैतों के ऊपर गोली चलाई थी और डकैतों को फायरिंग करके भगाया था। पुलिस द्वारा इस तरह की अभूतपूर्व घटना से तमाम क्षेत्र में पुलिस के प्रति भारी रोष व्याप्त हो गया है तथा पुलिस के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त अविलम्बनीय लोग महत्व की घटना पर सरकार शीघ्र उच्चस्तरीय जांच कराकर न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि उक्त घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करा ली जाए तो यह जनहित में होगा।

एस0 डी0 एम0 नकुड़, जिला सहारनपुर द्वारा ग्राम सभा की जमीन के गलत आवंटन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विमला राकेश--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में यह अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न लाते हुये मांग करती हूं कि सियाराम चौधरी एस0 डी0 एम0, नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा फैलाये गये भ्रष्टाचार, घूस खोरी, निष्क्रयता एवं ग्राम सभी भूमि को गरीबों एवं हरिजनों में आवंटित न करने के बजाय चन्द चांदी के टुकड़ों के लालच में जबरदस्त लोगों के कब्जे करा रहे हैं। हरिजनों को आवंटित जमीनों पर कब्जे नहीं दिलाये जा रहे हैं। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि गांधी चबूतरों एवं धार्मिक स्थलों को भी नहीं बक्सा जा रहा है जिसके कारण कई बार साम्प्रदायिक झगड़ा होते-होते कुछ लोगों की सूझबूझ से टल गया। एस0 डी0 एम0 द्वारा मोटी रकम लेकर संग्रह अमीनों की नियुक्तियां की गयीं। इन घटनाओं से तहसील नकुड़ की जनता में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए भ्रष्ट एवं निष्क्रिय एस0 डी0 एम0 श्री सियाराम चौधरी को निलम्बित कर उनके विरुद्ध न्यायिक जांच की मांग करती हूं।

नया गांव बस्ती, जिला इलाहाबाद में निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय को तोड़ देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय गोपी नाथ वर्मा की सूचना, जिसका विषय श्री माधव प्रसाद की सूचना का है, को भी पढ़ा हुआ समझा जाय।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं शासन का ध्यान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज के बगल में रेलवे लाईन के किनारे नया गांव हरिजन बस्ती है। विगत दिवस कालेज प्रशासन की आड़ में इनके आम रास्ते को बन्द करके तरह-तरह से उत्पीड़न किये गये हैं। इसके पूर्व अराजकतत्वों की साजिश से 24 घंटे ट्रेनों का आवागमन बन्द था।

बस्ती के एक हरिजन युवक जो कि शौचालय ज रहा था, उसकी ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। शासन आम रास्ते को खुलवा कर विस्फोटक स्थिति से बचाये और विधायक श्री अशोक वाजपेयी के प्रयास से जो बस्ती में महापालिका सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा रही थी कालेज प्रशासन की आड़ में नये निर्मित शौचालय को सिक्योरिटी गार्ड द्वारा गिरा दिया गया तथा बस्तियों में घुस कर तरह-तरह के उत्पीड़न एवं बहन बेटियों को बेइज्जत करने पर आमादा हैं। तमाम शिकायतों के बाद प्रशासन, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

अराजकतत्व सरकार को बदनाम करने के लिये हरिजन उत्पीड़न की संगीन घटना की साजिश कर रहे हैं यदि तत्काल इस पर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो किसी समय सामूहिक हरिजन उत्पीड़न की घटना घट सकती है।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न की मुझको एक सूचना प्राप्त हुई है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, एक मेरी सूचना है, मैंने लिखकर भेजी है।

श्री अध्यक्ष--

तो आप खड़े क्यों नहीं हुए? 11 तारीख को इसे ले लेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां--

आप हमें सुन लें, सच तो यह है कि आप सभी को टाइम देते हैं लेकिन आप कभी मुझे खड़े होने पर मौका नहीं देते हैं इसलिये मैंने अपनी सूचना को लिख कर भेज दिया है। खड़े होने पर मुझे कोई समय नहीं मिलता है। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मेरे खड़े होने पर आप मुझे मौका नहीं देते, सुनते नहीं इसलिये लिख कर दे दी है शायद आपके कायदे कानूनों के दायरे में आ जाये। अब हद तो यह है कि आप लिखकर देने पर भी नहीं सुन रहे हैं। यदि आपका यही तरीका रहा हो हमारा यहां रहना बेकार है, रहने से कोई फायदा नहीं चार दिन से मैं नियम 301 में सूचना दे रहा हूं। अब आपने फरमाया कि 11 तारीख को ले लेंगे। यह इतना गैर जरूरी था तो फिर ग्यारह को भी लेने की क्या जरूरत है? मैं जुडीशियल इनक्वायरी के संबंध में जानना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग कौन-सा तरीका अख्तियार करें जिससे कि आप मुझको सुनें। अगर हम दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं तो आपको बुरा लगता है और वह बुरा लगना लाजिमी है, तो आप ही कहिये कि हम क्या करें?

श्री अध्यक्ष--

मैंने औचित्य के प्रश्नों को देखा है, इनकी आज संख्या 9 है। माननीय गौरी शंकर भय्या का विषय है विधायकों की आवास समिति द्वारा कोई ठोस कदम न उठाये जाने के संबंध में मैं एक-एक को पढ़ते हुए निर्णय देता चलूंगा। जिनको मैं यह समझता हूं कि अपने कक्ष में बात करने के

बाद महत्वपूर्ण हों, आवश्यक हों, जिन पर माननीय सदस्यों को बुलाना चाहिये, उन्हें बुलाऊंगा ।

विधायकों के आवास का संबंध दोनों सदनों से संबंधित है और इसके लिये एक समिति है जिसमें विधायकों के आवास के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है । अतः इस सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । फिर भी मैंने 12 तारीख को जितने विधायकों से सम्बन्धित मामले हैं और दिन प्रति दिन आते हैं, उसके लिये नेताओं की बैठक बुलाई है जिसमें बहुत सी बातों पर निर्णय किये जायेंगे । माननीय गौरी शंकर भैय्या की सूचना को भी उसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

माननीय माता प्रसाद की सूचना आयी है माननीय आबकारी मन्त्री के इस्तीफे के बारे में । माननीय आबकारी मन्त्री ने अगर कोई सूचना दी है तो वह मन्त्रिमंडल और राज्यपाल के बीच में है । इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय आबकारी मन्त्री आते तो वह घोषित करते यहां पर ।

श्री अध्यक्ष---

यह दिनांक 4 अप्रैल, 1984 की सूचना है जिसे मैंने शासन को भेज रखा है माननीय सदस्य का यह पत्र भी मैं शासन को भेज दूंगा । राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना नियम 51 का वक्तव्य टालने के बारे में है । 31 मार्च, 1984 को इसके लिय दिन निर्धारित था, उसी दिन कई और वक्तव्य भी निर्धारित थे माननीय मंत्री के अनुरोध पर इसमें 9-4-1984 तिथि निर्धारित की गयी थी । सदन द्वारा दिनांक 5-4-1984 को लिये निर्णय के अनुसार 9-4-1984 को सदन नहीं बैठेगा । अतः 16-4-1984 को वक्तव्य होगा । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार का कार्यवाही दिनांक 2-4-1984 में से कुछ शब्द निकालने के बारे में है । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कतिपय निर्णयों का उल्लेख किया है वे कृपया उनका संदर्भ मुझे भेज दें तो मैं उसे देख लूंगा । श्री शंकर सिंह का विधान सभा के परिसर में कुर्सियों और फर्नीचर की अव्यवस्था के बारे में है, यह नियम 300 में नहीं आता है फिर भी मैं इसे देख लूंगा उसके बाद जो कुछ हो सकेगा निर्णय लिया जायगा । श्री राम स्वरूप निम का नियम 301 के उत्तर से असन्तुष्ट होने के विषय में है । माननीन सदस्य ने विशेषाधिकार की सूचना भी दी है जो लम्बित है । अतः नियम 301 में यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । माननीय भीखा लाल अकबाल हुसैन रियासत हुसैन, राजेन्द्र कुमार गुप्त, कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भण्डारी लल्लू सिंह चौहान, गोपीनाथ वर्मा, विद्या सागर नौटियाल का जनपद फैजाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा हमला और दूसरा श्री मुहम्मद आजम खां का रामपुर बस अड्डे पर हुई घटना के सम्बन्ध में न्यायिक जांच के सम्बन्ध में है । इन दोनों को मैं सुनूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, अभी आबकारी मंत्री जी आये थे और संसदीय कार्य मंत्री जी से बात चीत करके चले गये हैं, तो क्या वह इनको अथराइज कर गये हैं कि उनका इस्तीफा गवर्नर को भेज दें ।

श्री अध्यक्ष---

बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में लिखकर दिया, मैं केवल भीखा लाल जी को सुनूंगा और आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि और लोग न बोलें, उन्हीं को बता दें ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, नियम 276 में है, किसी सदस्य को जिन्होंने मंत्री पद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा। जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और नेता सदन को भेजी जायेगी, परन्तु लिखित वक्तव्य की अनुपस्थिति में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बातें या उसका सार अध्यक्ष और नेता सदन को, जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले, भेजा जायेगा। माननीय आबकारी मंत्री जी त्याग-पत्र दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ..।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

फैजाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये परस्पर विरोधी वक्तव्य के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन तारीख को काम रोको प्रस्ताव, फैजाबाद की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर लाठी गोली चलाने के सम्बन्ध में दिया था, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने अन्तरिम वक्तव्य दिया और 4 तारीख को गृह राज्य मंत्री का पूर्ण वक्तव्य आया। मान्यवर, फैजाबाद में हमारी पार्टी को फंसाने के लिए पुलिस झूठे मामले बना रही है और बगैर किसी कारण के निहत्थे लोगों पर लाठी गोली चलायी गयी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 3 तारीख को वक्तव्य दिया और गृह राज्य मंत्री ने 4 तारीख को वक्तव्य दिया। दोनो वक्तव्यों में जो अन्तर्विरोध है उससे पता चलता है कि बिलकुल असत्य और मनगढ़ंत कहानी बनाकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी। मान्यवर, 3 तारीख को जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो सूचना उनके पास थी वह उन्होंने कही। उन्होंने सदन को बताया कि जब प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग 20 सूत्री कार्यक्रम की एक सभा कर रहे थे। इस पर गृह राज्य मंत्री ने यह जवाब दिया था जो उनका लिखित वक्तव्य आया उसमें उन्होंने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम की एक बैठक हो रही थी। बाद में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एक गोष्ठी हो रही थी।

मान्यवर, आप देखें कि बैठक, सभा और गोष्ठी में अन्तर होता है वह सभा थी, गोष्ठी थी या बैठक थी या कुछ नहीं थी यों ही बनायी गयी थी, इसके बारे में आज तक नहीं बताया गया। वहां पर जो 20 सूत्री कार्यक्रम के लोग इकट्ठा थे वे नारे लगा रहे थे कि थानेदार बहुत अच्छा है, उसको बचाओ। क्या 20 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र यह भी बढ़ा दिया गया है कि भ्रष्ट थानेदारों को बचाया जाय? संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जिस वक्त प्रदर्शनकारी आये तो दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ और पथराव हुआ। गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आये और लौटकर चले गये। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के बाद वहां पर कुछ लोग आये और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वहां पर

पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि एक पुलिस के आदमी को प्रदर्शनकारी घसीट रहे थे और उसने अपनी सुरक्षा में गोली चलाई। यह भी कहा गया कि गोली से कोई भी हताहत नहीं हुआ।

मान्यवर, मैं फैजाबाद गया था। मैंने देखा कि अस्पताल में 11 आदमियों में आठ आदमियों के शरीर से गोली के छर्रे निकाले गये एक आदमी राजबली सिंह, जो जेल में हैं उसके छर्रे लगे हुए हैं। इस प्रकार मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है वह अन्तर्विरोध है, असत्य पर आधारित है और ऐसा करके इस सदन को गुमराह किया गया है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि चूंकि वहां पर झगड़े की सम्भावना थी, इसलिये काफी पुलिस लगा दी गयी थी। जब प्रदर्शनकारी आये तो पुलिस वाले दोनों तरफ दीवाल बनाकर खड़े हो गये और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। इन्होंने कहा कि मित्रसेन यादव वहां पर ज्ञापन नहीं देना चाहते थे जब कि मित्रसेन जी का कहना है कि यदि मैं वहां पर जाकर ज्ञापन देता हूं तो झगड़ा हो जायेगा इसलिये मैं स्वयं डी0 एम0 को जाकर दे दूंगा। तीन हजार आदमियों का प्रदर्शन था। झगड़ा उस वक्त नहीं हुआ जब प्रदर्शनकारी पूरी शक्ति में थे। इस प्रकार मान्यवर, जो इन्होंने वक्तव्य दिया वह बिलकुल असत्य और झूठा है। इस वक्तव्य के सिलसिले में मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं...

श्री यदुनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय, उस तरफ से सदन के अन्दर वह कौन अजनबी जा रहा है....

श्री अध्यक्ष--

क्या आप भी सदन में अजनबी हैं, वह एम0 एल0 सी0 हैं।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं एक गम्भीर बात सदन में कर रहा था कि जिस वक्त वक्तव्य के ऊपर स्पष्टीकरण किये जा रहे थे उस वक्त गृह राज्य मंत्री की तरफ से और ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से जो प्रश्नोत्तर होते थे तो उस समय विधायक मित्रसेन सेमेन्ट यादव व कुछ भूतपूर्व विधायकों और दूसरे कार्यकर्ताओं के आपराधिक चरित्र का उल्लेख किया जाता था। अब यह प्रथा चल गयी है। एक आपराधिक चरित्र और एक आपराधिक मनोवृत्ति, ये दो चीजें हैं। जो एक आपराधिक मनोवृत्ति से अपराध करता है वह हिस्ट्री शीटर है और एक वह आदमी है जिसका पुलिस में राजनैतिक कारणों से रिकार्ड रहता है क्या उसकी प्रवृति आपराधिक है। वह एक सामान्य नागरिक भी हो सकता है। जैसे गोविन्द बल्लभ पंत थे उनका पुलिस रिकार्ड में नाम दर्ज था।

स्व0 डाक्टर सम्पूर्णानन्द पुलिस रिकार्ड में हिस्ट्री शीटर दर्ज थे तो क्या वे अपराधिक मनोवृत्ति के आदमी थे एक व्यक्ति जो चुन कर आये उसके लिए यह कहना कहां तक उचित है?

आज का एम0 एल0 ए0 फिल्म लगी है। उसने सत्तारूढ़ विधायकों के आपराधिक चरित्र का पर्दाफाश किया है। कितने इधर के लोग आपराधिक चरित्र के हैं और कितने उधर के आपराधिक चरित्र के हैं इस पर अध्यक्ष जी एक रोज सदन में बहस करा दें। इसकी आप एक पुस्तिका निकाल दें जैसे आप विधायकों की परिचय की पुस्तिका निकालते हैं उसी तरह की निकाल दें तो अच्छा होगा। मान्यवर, यह गलत परम्परा पड़ रही है इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। इसके लिए आप नेताओं की मीटिंग बुलालें उसमें माननीय मुख्य मंत्री को भी बुला लें यह जो समय-समय पर इस तरह की बात की जाती है कि उनका आपराधिक चरित्र

है या फलां का आपराधिक चरित्र है इस पर बात की जाय ।

अन्त में मैं एक बात खेद के साथ कहना चाहता हूं, खेद के साथ कहने पर बल दे रहा हूं । माननीय मित्रसेन यादव और हमारी फैजाबाद की पार्टी को संकट में डालने में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की बड़ी दिलचस्पी है और उन्होंने ही इन लोगों को उस दिन ब्रीफ किया था कि मित्रसेन जी और कम्यूनिस्ट पार्टी के आपराधिक चरित्र की बात पूंछी जाय क्योंकि बार-बार उधर से लोग आपराधिक चरित्र की बात कर रहे थे । इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वह थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र और माननीय मित्रसेन जी का क्षेत्र मिला हुआ है जो 30 कि0 मी0 समानान्तर जाता है । तो वहां पर एक मीटिंग हो गयी जिससे उनको चिंता हो गयी है ।

आज से एक साल पहले बल्दीराय थाना के दो थानेदार और चार सिपाही नशे में धुत जीप में जा रहे थे उन्होंने 2 आदमियों को कुचल कर मार डाला जो माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में पड़ता है । तो उसी के विरोध में हमारी पार्टी ने यह प्रदर्शन किया था । तो इसी की माननीय मुख्य मंत्री जी को चिंता है कि अगर मित्रसेन यादव और कम्यूनिस्ट पार्टी उनके क्षेत्र में बढ़ती रही तो शायद आगामी एसम्बली में वह नहीं आयेंगे । इसकी उनको चिंता है वह चाहते हैं कि या तो मित्रसेन यादव को मरवा दिया जाय जेल में डाल दिया जाय ताकि वह अगला इलेक्सन न लड़ने पायें तो इस तरह की वह साजिश कर रहे हैं । राजनीतिक लोगों को, विधायकों को झूठे षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है और पुलिस को संरक्षण दे रहे हैं । उस दिन हम लोगों ने विपक्ष में बैठे सभी लोगों ने मांग की थी कि इसकी न्यायिक जांच करा दी जाय ताकि बात साफ हो जाय । लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जो जांच हो रही है, सुन्दर हो रही है हम इससे संतुष्ट हैं । लिहाजा मैं इस औचित्य के प्रश्न को उठाने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक मिनट चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं वह कुछ कहना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, मैं पहले कुछ सूचना देना चाहता था लेकिन माननीय भीखालाल जी ने इस पर पूरा भाषण किया उसमें मेरे सम्बन्ध में भी कुछ कहा

(व्यवधान)

आप सब सही कहते हैं और गलत हम कहते हैं । मान्यवर, उस दिन जब बात हो रही थी, आपको याद होगा कि जो सूचना प्राप्त हो उसे सदन के सामने रखा जाय । मैंने बार-बार निवेदन किया था कि सूचना अभी अपूर्ण है और आप अनुमति दें तो उसे आपके कक्ष में आपके सामने पेश कर दी जाय और पूरी सूचना जब आ जाय तो वक्तव्य भी आ जायेगा और कहा था इस वक्त अधूरी सूचना या थोड़ी सूचना आ रही है मैं नहीं समझता कि इसे सदन के सामने रखी जाय । उस पर बहुत से माननीय सदस्य उधर से राजी नहीं हुए और कहा कि उसे सदन के सामने रखा जाय । मेरी मश्किल को माननीय भीखालाल जी ने आसान कर दिया । मैंने एक-एक बात को लिख रखा है जो इन्होंने कहा वह इस प्रकार है—माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना दी कि थाने के सामने एक तरफ 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग हो रही थी जब कि गृह राज्य मंत्री ने लिखित वक्तव्य में कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पास के स्थान पर 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक कर रहे थे ।

तो मान्यवर, सूचना यह दी गयी कि 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक हो रही थी, लोकेशन में थोड़ा अंतर था ।

यह पहली सूचना थी जो मेरे पास आयी । पहली सूचना में लोकेशन में अंतर हो सकता है । यदि यह कहते कि वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक तरफ सम्मेलन हो रहा था और जिसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था और दूसरी तरफ मीटिंग हो रही थी तो प्रश्न उठता कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा कुछ हो रहा था । मान्यवर, मैंने कहा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक एक तरफ हो रही थी और सामने और पास में थोड़ा फर्क है । लेकिन मूल बात जो है उसको देखें कि गलत सूचना या कहीं विरोधाभास तो नहीं है ।

मान्यवर, दूसरी बात उन्होंने यह कही कि गृह राज्य मंत्री जी ने सूचना दी कि दोनों गुटों में टकराव हुआ, झगड़ा हुआ, जब कि गृह राज्य मंत्री ने लिखित वक्तव्य में कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और थाने पर भारी पथराव किया । मैंने कहा था कि दोनों गुटों में टकराव हुआ, चूंकि पूरी सूचना नहीं थी, इसलिये यह नहीं कहा था किसमें और कब टकराव हुआ । यहां वक्तव्य में देखें तो कहा कि दोनों ग्रुप में टकराव हुआ, तो कहीं कोई कन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, संक्षेप में ही कहूंगा ।

मान्यवर, तीसरी बात जो कही कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और आत्म सुरक्षा में फायर करना पड़ा । जब कि गृह राज्य मंत्री ने लिखित वक्तव्य में कहा कि एक कांस्टेबिल को प्रदर्शनकारियों ने घसीटा तो उसने आत्मरक्षार्थ अपनी 12 बोर की बंदूक से हवाई फायर किया । तो हमने कहा था कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की । मान्यवर, सब लोग मौजूद हैं, निर्णय करें कि इसमें क्या कन्ट्राडिक्टरी बात है । यदि थानेदार वहां फायरिंग करता और यहां कहते कि एस0 पी0 ने फायरिंग किया तो कन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती । इसलिये मैंने जो कहा वही राज्य गृह मंत्री ने कहा, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । मान्यवर, वह पहली सूचना थी और अपूर्ण थी जो आपके आदेशों पर और माननीय सदस्यों के कहने पर दी गयी थी ।

मान्यवर, चौथी बात में माननीय सदस्य ने कहा है कि गृह राज्य मंत्री ने अपने लिखित वक्तव्य में कहा है कि फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ जब कि वस्तु स्थिति है कि आठ आदमियों को गोलियां लगीं जिसको डाक्टरी मुआयने में अंकित किया गया है । मान्यवर, मैंने कहा था उस समय कि इसमें अभी नहीं बता पायेंगे ।

इसलिये मान्यवर, इस सूचना को सदन में न आने दें ।

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में कहें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इन्होंने पूरी बात कही है तो मेरी पूरी बात को भी आप सुनें । हमारे ऊपर आप प्रतिबंध लगायें तो शिरोधार्य है लेकिन जो कहा है उसका जवाब देने दें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । जो इन्होंने कहा है और जो गृह राज्य मंत्री जी ने कहा है उसका रेकार्ड है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, प्रोसीडिंग में सब लिखा है, जो मैंने आज कहा है और जो उस दिन कहा था । लेकिन उस दिन की सूचना को पूरी तरह आधार नहीं बनाया जा

सकता है चूंकि हमने उस दिन बराबर कहा था कि पूर्ण सूचना नहीं है। मान्यवर, जो बातें इस नोटिस में लिखी गयी हैं उसमें कहीं पर कोई चीज विरोधाभास नहीं है। मान्यवर, किसी विशेषज्ञ से और श्री मोहन सिंह जी बैठे हैं, दोनों प्रोसीडिंग को देख लें, मैं उन्हीं के सुपुर्द सारी बातें करता हूं और माननीय भीखालाल जी भी देख लें। लेकिन मान्यवर, यह कहना कि मुख्य मंत्री ने इस तरह की ब्रीफिंग कर दिया था, इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है चूंकि परसों मुख्य मंत्री यहां से चले गये थे और इस तरह की बात कहना मुख्य मंत्री के बारे में ब्रीफिंग आदि की बात, इससे बड़ा असत्य और कोई हो नहीं सकता है।

(व्यवधान)

भीखालाल जी ऐसे सीनियर मेम्बर को कम से कम यह बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

वह षड्यंत्र कर रहे हैं कि मित्रसेन जी को गोली मार दी जाए। इसीलिए मुख्य मंत्री भाग गये हैं यहां से।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

न्यायिक जांच में आपको क्या दिक्कत है?

श्री गोपीनाथ वर्मा--

जो आपने कहा है वह सूचना गलत है। संसदीय कार्य मंत्री आपने दूसरी बात कही है और गृह राज्य मंत्री ने वक्तव्य में दूसरी बात कही है। तो क्या उक जिले के अधिकारी ने गलत व अलग-अलग सूचना दी है और गृह राज्य मंत्री उसी आधार पर वक्तव्य दिये हुए हैं। तो जो सूचनाओं में अन्तर है उसके लिए आप जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

जब सदन ने बार-बार और जोरदार आग्रह किया था तब ही उन्होंने यहां अपनी सूचना दी थी और उन्होंने उसके पूर्व बार-बार कहा था कि सूचना अधूरी है, जिससे वह स्वयं सन्तुष्ट नहीं थे।

श्री भीखालाल--

जो मैंने कहा कि गोली से कोई जख्मी नहीं हुआ, यह आपके वक्तव्य की बात नहीं थी, वह गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य की बात थी, जिसमें उन्होंने कहा था--जब एक कान्स्टेबिल को प्रदर्शनकारियों ने पकड़ कर घसीटा तो उसने आत्म-सुरक्षार्थ अपनी 12 बोर की बन्दूक से हवाई फायर किया। अब आप कह रहे हैं कि लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनके छर्रे निकाले गये हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने भी सेल्फ डिफेंस की बात कही थी। यह बात बिल्कुल गलत है कि किसी तरह की कोई ब्रीफिंग या षड्यंत्र इसके लिए हुआ है। यह इल्जाम बिल्कुल गलत है। इसमें मुख्य मंत्री की तरफ से न किसी की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है। जहां तक घटना की जांच की बात है, मैं स्वयं चाहता था कि इसमें पूरी और सही जांच हो। इसमें जिस किसी की गलती हो वह बात सामने आ जाए। इसी वजह से जब परसों यहां इस पर वक्तव्य हो रहा था, मैं भी सौभाग्य या दुर्भाग्य से वहां पर मौजूद था, मैंने सोचा इनमें यह बात अत्यन्त आवश्यक है, सही और पूरी बात मालूम होनी चाहिए। यह इस सदन की परम्परा और हम सब लोगों की गरिमा के भी अनुकूल होगा। इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि इसकी जांच करायी जायेगी, हमने जुडीशियल इंक्वायरी की जांच के आदेश दे दिये हैं। इस घटना की सारी इंक्वायरी होगी और इसमें सारी चीज सामने आयेगी। इसमें जो तथ्य छिपे हैं वह सब सामने आयेंगे। मैं किसी को

दोष नहीं देता हूं । मैंने यह आदेश दे दिये हैं । इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है । इसमें सारी कार्यवाही हो चुकी है ।

श्री भीखालाल—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने न्यायिक जांच कराने की घोषणा की, उसके लिए उनको बधाई है । साथ ही साथ मेरा एक अनुरोध यह है जैसा कि सरकार की घोषणाओं का हमें अनुभव है । मित्रसेन के सम्बन्ध में एक साल पहले 2 फर्जी मुकदमें 379 व 307 आदि में दर्ज हुए थे और गृह राज्य मंत्री ने उनके सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच कराने की घोषणा की थी । वह जांच शुरू हो गयी और साथ ही साथ पुलिस की जांच और कार्यवाही भी चलती रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस जांच के फलस्वरूप मामला सेशन सुपुर्द हो गया और सी0 आई0 डी0 जांच अभी चल ही रही है । तो आप इसके साथ यह भी घोषणा करें कि पुलिस की जांच आज से ही रोक दी जायेगी और पूरी जांच जुडीशियल इंक्वायरी के सुपुर्द कर दी जायेगी और जिस थानाध्यक्ष श्री बघेल ने यह सब कराया है उसको वहां से तुरन्त हटा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जुडिशियल इन्क्वायरी की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जांच करायी जायेगी । यदि जुडिशियल आफिसर यह कहते हैं कि फलां अधिकारी का ट्रान्सफर होना चाहिये तो वह कर दिया जायेगा । जैसा वे कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय भीखालाल जी के मामले में सुना । मैं उनके औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

रामपुर में श्री मुहम्मद आजम खां पर हुए हमले की न्यायिक जांच में विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरे मामले में सरकार ने जुडिशियल जांच का आश्वासन दिया था । सरकार जो आश्वासन देती है वह पूरा नहीं होता । अभी माननीय भीखा लाल जी के द्वारा उठाये मामले में भी जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की बात कही गई है । मैं इस वक्त आपके माध्यम से जिस मुद्दे पर बात सदन में उठा रहा हूं मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी । मैंने सन् 1981 में भी एक मामला सदन में रखा था वह वाकया यहां पर पेश किया था, लेकिन उस वाकये पर भी कोई नजर नहीं डाली । मैंने कहा था कि रामपुर के किले में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पिछली बात को कहने की मैं इस समय इजाजत नहीं दूंगा । आप केवल अपनी बात इस समय की कहें जिसके लिए मैंने आपको इजाजत दी है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, वह सन् 1981 वाली बात भी मेरी बात से ही जुड़ती है । इसी से सम्बन्धित है । सन् 1981 में भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जोकि ब्लाक प्रमुख भी था राजकिशोर का किले में कत्ल हुआ, उसकी एफ0 आई0 आर0 लिखायी गई नामजद रपट कांग्रेस के एम0 पी0 की थी मगर कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ नहीं हुई और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त भी उसी प्रकार की साजिश है । वही सारे लोग हैं जो उस समय थे जो मेरे खिलाफ हैं । वही

गुन्डों का और बदमाशों का टोला इस वक्त भी रामपुर में यह सब कर रहा है। मेरे ऊपर जो हमला 16 तारीख को हुआ था उसमें भी वही बदमाश लोग शामिल थे कांग्रेस के बदमाशों का नेता जिला इन्तजामियां से मिला हुआ है उनका ही हाथ था। यह इतफाक था कि मैं मारा नहीं गया, मैं जख्मी नहीं हुआ, बच गया। इसका सरकारी पक्ष को अफसोस है जो काबिल मुजम्मत है। कुछ अफसोस माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को....

(व्यवधान)

भी हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ कि नहीं लेकिन मैं यह निहायत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उस वक्त सरकार की ओर से जो आश्वासन न्यायिक जांच का दिया था और कहा था कि उस मामले की न्यायिक जांच कराई जायेगी, अभी तक वह नहीं शुरू हुई है। मैंने उस समय यह पूछा भी था कि यह न्यायिक जांच कब होगी, उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह साफ-साफ कहा था कि एक हफ्ते में जांच शुरू हो जायेगी, लेकिन आज तक वह शुरू नहीं हुई।

मेरा खुला आरोप है कि अब तक जांच शुरू न कराने का मतलब यह है कि मैंने उस दिन जो इल्जाम लगाये थे, जो हादसा बताया था, उसमें चूंकि सरकार के लोगों का हाथ था, उसमें पूरी साजिश उन गुन्डों की थी, जिनको ये लोग बचाना चाहते हैं....

(व्यवधान)

इस कारण जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूं। मैं लिख कर भी आपको दे चुका हूं कि अगर यह जांच किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा नहीं कराई जाती है तो मैं इसकी मुखालफत करूंगा और इसका बाइकाट करूंगा। आपने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाये इसीलिए मैं भी यह जांच हाई कोर्ट के जज से इसीलिए चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाये, असलियत क्या है यह सबको मालूम हो जाय। यह मालूम हो जाय कि आखिर रामपुर में ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो यह सब कराना चाहती हैं। पहली बार एक आजाद अपोजीशन नाकद्र जीता है जिसको बदनाम करने के लिए शैतान नंगा होकर सड़कों पर नाचता है और रामपुर के अमन को बरबाद करना चाहती है। इसलिए मेरी यह मांग है कि हाई कोर्ट के जज से ही जांच कराई जाये, वरना मैं मुखालफत करूंगा। आखिर क्या कारण है कि डी0 एम0 की कोठी जब इतनी ही दूर थी जितनी यह दीवार सामने है, 15 हजार लोगों की भीड़ जमा थी 3 साढ़े 3 घंटे तक नेशनल हाइवे पर ट्राफिक रुका रहा लेकिन जिलाधिकारी महोदय कोठी पर बैठे मौज करती रही इतने संगीन हादसे के बावजूद जिला इन्तजामियां के इतने लोगों ने कोई ठीक से व्यवस्था नहीं की और यह हादसा हुआ। मेरा कहना यह है कि जब तक जिला पुलिस इंतजामियां के आला सतही अफसरों का तबादला नहीं होगा तब तक जांच का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा मैं इस प्रश्न पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो जांच फौरन शुरू हो। मैं सरकार से किसी जानी-माली इमदाद की उम्मीद नहीं करता और न उसकी मुझे जरूरत।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जो सरकार ने घोषणा यहां पर की थी जांच की उसकी कार्यवाही एक हफ्ते के अन्दर ही नहीं बल्कि दूसरे दिन ही शुरू कर दी गई। आप स्वयं जानते हैं, सभी सम्मानित सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानते हैं कि जब न्यायिक जांच के लिए कहा जाता है तो हाई कोर्ट से पूछा जाता है। जब उसकी अनुमति हाई कोर्ट से आ जाती है तब नियुक्ति पत्र जारी होता है। इस सारी प्रक्रिया में हमारा कार्य यह है कि हम नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय को लिखते हैं। यहां से सारी कार्यवाही उपसचिव स्तर से हो चुकी है। जिस वक्त वहां से डिस्ट्रिक्ट जज या जो भी हाई कोर्ट से कहा जायगा उसकी फौरन नियुक्ति कर दी जायगी और कार्यवाही शुरू कर दी जायगी। जो शासन के स्तर से कार्यवाही की जानी है वह कर दी गई है। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी किसी प्रकार के दबाव का कोई सवाल नहीं है। जो माननीय सदस्य की शंका है तो वह उतनी शंका न करें। हम लोग भी न्याय चाहते हैं और न्याय अवश्य होगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मुहम्मद आजम खां और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को सुना। यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

पैसा जमा करने के बाद भी विधायकों को आवास न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मैंने भी एक दिया है। मान्यवर, जहां तक नेताओं को आप बुलायेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी यह जो कमेटी है इसकी पचासों बैठकें हो चुकी हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। साफ बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ा हल्ला हो गया कि विधायकों को डेढ़ लाख रुपया मिलने वाला है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

सदस्यों के मकानों के बारे में आप कह रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

हां, मान्यवर, पिछले बजट में उन्होंने घोषणा कर दी कि विधायकों को 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। बाद में कहा गया कि हम मकान बनाकर देंगे। गोमती नगर में आवास देने के बारे में मैं कह रहा हूं। यह जो समिति है इसकी पचासों बार बैठकें हुई हैं। मान्यवर, यह आपके नियंत्रण में होना चाहिये, कमेटी उठकर विधान परिषद् चली गई इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 10-10 हजार रुपया भी ले लिया गया है। आप जो पैसा देंगे उस पर 6 महीने के अन्दर सूद लगने लगेगा। फाइनेंस मिनिस्टर बहादुरी के साथ इस बात से इंकार करना चाहते हैं कि पैसा नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर को तलब कीजिए, वह कहें कि पैसा देंगे या नहीं। अगर नहीं देना है तो बेकार बात है हमारे पैसे को वापस कीजिये हम लोग दूसरा काम देखें।

एक सदस्य--

मान्यवर, आप गौरी शंकर भैय्या को अपने कक्ष में बुला लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं बात करूंगा।

आज की कार्यसूची की कतिपय नियमावलियों को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मद संख्या 3 से लेकर 7 तक को प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में मेरी वैधानिक आपत्ति है। आप सुन

लें तो शायद आप सरकार को निर्देश कर दें कि इसको प्रस्तुत न करें ।

मान्यवर, नियम 176 जो हमारी नियमावली का है उसके अनुसार इनको यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । जो पिजन होल में सामान मिला है उसमें मुझे 10वीं मद का कागज मिला है । यहां पर एक चीज आ रही है । हमारे नियमों के अनुसार जब कोई नियम जो प्रतिनिहित विधायन में किया जाता है तो वह सदन के पटल पर रखा जाता है । नियम 177 में यह व्यवस्था है कि उसके ऊपर हम 14 दिन के अन्दर संशोधन पेश कर सकते हैं । उसके बाद यहां से पारण होने के पश्चात् विधान परिषद् में जायगा । तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी 4 आपत्तियां हैं । पहली आपत्ति यह है कि यह नियमावली, फरवरी, 1983 में विज्ञापित हो गई थी, फरवरी में जारी हो गई थी । उसके बाद से करीब-करीब एक साल या सवा साल हो गया है । ऐशबाग मुद्रणालय को यह भेजी गई । इनसे भी छपकर अगस्त, 1983 में आ गया, अगस्त, 1983 के बाद, हमारे 177 में नियम है कि नियम बनने के बाद यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखा जायगा । अगस्त, 1983 के बाद सितम्बर, 1983 में छोटा सा सत्र हमारा हुआ, उसमें भी यह सदन के पटल पर नहीं रखा गया । सरकार ने कारण बताया है, कारण क्या देते हैं कि विधान मण्डल का जो सत्र 83 में चला, वह अल्प अवधि का चला और उसमें उचित नियमावली अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता के कारण सदन के पटल पर नहीं रखी जा सकी ।

मान्यवर, सदन के पटल पर रखने में केवल 5 मिनट लगता था । यह मान्यवर, आपके ऊपर आक्षेप किया गया है । यह उनकी व्यवस्था थी कि यह सत्र हमारा जब चालू हुआ, दो महीने से ज्यादा समय बीत गया, इसमें हमारी चार आपत्तियां हैं । सरकार की मुद्रण व्यवस्था कितनी दोषपूर्ण है कि सरकारी कागजात छपने में 1 वर्ष लग गया । यह भी सरकार की अकर्मण्यता है । 23 फरवरी को यह विज्ञप्ति है । अगस्त में मुद्रित होकर अर्थात 8 महीने तक जो संशोधित मुद्रित प्रति, जो माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिये थी, उससे हमको बंचित रखा गया और उससे हानि या लाभ जो जनता का होता, उससे वह बंचित रहे । उस सत्र में यह मिल गया होता, तो 14 दिन की नोटिस देकर हम चर्चा करते, उसको हम संशोधित करतेऔर हम संशोधित होने के बाद जनता के सामने अच्छे-अच्छे रूप में आता । यह जानबूझ कर हम लोगों को जो अधिकार है, बलात् उससे बंचित रखा गया । यह सदन की अवमानना है और आपकी अवमानना है । सदन की अवमानना हुई है । इधर दो महीने तक नहीं रखा गया । इनको खेद प्रकाश करने के लिए कहें और भविष्य में ऐसी गलती सुधारने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी से कहें कि वह अपना कान पकड़ें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जब आपने एक किसी भी चीज को सदन में रखने की अनुमति दे दी, एजेंडे में शामिल करने की अनुमति दे दी, यह आपको अधिकार है और जब आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया और जो प्रक्रिया यहां पर रही है, कहीं पर भी वह सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं बन सकती । दूसरा प्रश्न, जो माननीय गुप्ता जी ने कहा इसमें 176 भी देखें, 177 भी देखें, कोई अवधि जो है, कोई टाइम इसमें नहीं निश्चित किया गया है । यह सदन के पटल पर रखना चाहिये । माननीय गुप्ता जी ने यह कहा कि विलम्ब का कारण भी उसी के साथ-साथ दे देना चाहिये था । मान्यवर, जो विलम्ब के कारण हम लोग देते हैं, चाहे वह कितना ही कनविंसिंग क्यों न हो, वह माननीय गुप्ता जी को कंविंसिंग

नहीं लगता। लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया जो प्रस्तावित है, वह पूरी की गयी। आपने अनुमति दे दी। इस वक्त सदन के पटल पर रखने का प्रश्न है। इसमें नियमानुसार कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। माननीय गुप्ता जी जानते थे कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर खेद प्रकाश कर लें। तो मान्यवर, एक दिन हम पूरे समय खेद प्रकाश करेंगे लेकिन उसके बाद माननीय गुप्ता जी से कह दें कि वह ऐसी आपत्तियां न किया करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय गुप्ता जी एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुना। मद संख्या 3 से लेकर 7 तक की नियमावलियों के संबंध में गुप्त जी ने आपत्ति की है। मैं भविष्य में अपेक्षा करूंगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो और इसमें जो आपत्ति की गयी है, उसको मैं अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1977–78 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 का चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1977–78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

[समय 1 बजकर 16 मिनट]

नगर महापालिका कानपुर (चुंगी) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मैं आपकी अनुमति से नगर विकास अनुभाग–9 की अधिसूचना सं0 2446–1–बी/11–9–के–3 (1)–83, दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 के साथ प्रकाशित नगर महापालिका कानपुर (चुंगी) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी अनुमति से सहकारिता (3) अनुभाग की अधिसूचना सं02663/12–सी0–3–10 (1)–82, यू0 पी0 ए0XI–1966 नियमावली, 1979, संशोधन (1)–1982, दिनांक 25 फरवरी, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (देय धनराशि की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी अनुमति से मुस्लिम वक्फ अनुभाग की अधिसूचना सं0 2122 बावन–82 (1)–72–रा0–6, दिनांक 16 जून, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (देय धनराशियों की वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 को मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 78 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनने की) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 2568 बी/33-2-70—जी0/82-यू0 पी0 ए0 33-61-नियम 1963-संशोधन (3) नियम 1983, दिनांक 3 मार्च, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितयों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों को अनुमेलन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 02893 बी/33-2-67 जी/82-यू0 पी0 ए0-33-61-नियम-1962 ए0 एम0 (7वां)-1983 दिनांक 3 मार्च, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों को अनुमेलन) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री रामसजीवन सिंह)—

मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 61वीं/33-2-68 जी-82 यू0 पी0 ए0 33/1961-नियम-(1962) संशोधन (10)-1983, दिनांक 23 फरवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की (छठां संशोधन) नियमावली, 1983†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह) --

मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 615/बी-33-2-66-जी/82-यू0 पी0 ए0-33-1961 नियम 1962 संशोधन (6)-1983, दिनांक 23 फरवरी, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चनने की) (छठां संशोधन) नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्रीमती किशोरी शुक्ला, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 1 सितम्बर, 1983 को श्रीमती किशोरी शुक्ला, सदस्या, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। इसी प्रकार श्री धम्मन सिंह गहलौत, सदस्य, विधान सभा ने भी श्रीमती किशोरी शुक्ला के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन की सूचना दिनांक 9 सितम्बर, 1983 को दी थी। उपरोक्त दोनों सूचनायें इस तथ्य पर आधारित हैं कि श्रीमती किशोरी शुक्ला पर 2,25,000 रुपये का सरकारी कर्ज बाकी था जिसे शासन द्वारा माफ कर दिया गया क्योंकि वह दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। और चूंकि संविधान के अनुच्छेद 191 के अन्तर्गत दिवालिया होना विधान सभा की सदस्यता के लिए अनर्हता निर्धारित है, अतः श्रीमती शुक्ला इस विधान सभा की सदस्या नहीं रह गयीं। फिर भी श्रीमती शुक्ला सदन की कार्यवाही में भाग ले रही हैं और इस आधार पर उन्होंने सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है। माननीय सदस्यों ने अपने कथन की पुष्टि में "माया" पत्रिका-सितम्बर, 1983 की प्रतियां भी संलग्न की हैं।

उपरोक्त दोनों सूचनाओं पर श्रीमती किशोरी शुक्ला से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गयी। माननीय सदस्यों ने उपरोक्त आरोप को बेबुनियाद तथा निराधार बताया है। उन्होंने माया पत्रिका के नवम्बर, 1983 के उस अंश की फोटो प्रति भी संलग्न की है जिसमें खेद प्रकाश शीर्षक से सम्पादक ने सूचित किया है कि श्रीमती शुक्ला दिवालिया घोषित नहीं की गयीं और उनका कर्जा भी सरकार द्वारा माफ नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने श्री यदुनाथ सिंह के पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1983 की फोटो प्रतिलिपि भी भेजी है जिसमें श्री सिंह ने उनसे क्षमा याचना की है। श्रीमती किशोरी शुक्ला द्वारा प्रस्तुत पत्र की प्रतिलिपि पंजीकृत डाक से माननीय श्री यदुनाथ सिंह को प्रेषित की गयी और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे 10 दिनों के अन्दर उस पत्र की जैन्यता की पुष्टि करें, किन्तु माननीय श्री यदुनाथ सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया।

कोई व्यक्ति दिवालिया है अथवा नहीं, इसका निर्णय इन्सोल्वेन्सी एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत न्यायालय करता है। माननीय सदस्यों की ओर से न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी है और मात्र समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति

†छापी नहीं गयी।

दिवालिया घोषित किया जा चुका है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब कि समाचार का खंडन भी प्रकाशित कर दिया गया हो। इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 192 में यह व्यवस्था है कि यदि ऐसा कोई प्रश्न उठाया जाय कि विधान मंडल का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए सौंपा जायगा तथा उनका विनिश्चय अन्तिम होगा। यदि माननीय सदस्यों को इस बात के विश्वास करने का कोई कारण हो कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य, सदस्यता के लिए, अनर्ह है तो वे राज्यपाल से तदनुसार अनुरोध कर सकते हैं।

वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी दोनों सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं प्रमुख अभियन्ता के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा से दिनांक 9 सितम्बर, 1983 को तत्कालीन माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि जनपद गोंडा में मार्ग खंड बनाने का कार्य डी0 सी0 यू0 को0 सौंपने हेतु जब वे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से सितम्बर, 1983 में मिले तो माननीय मंत्री ने उन्हें प्रमुख अभियन्ता से मिलने का अनुरोध किया। तदनुसार जब वे प्रमुख अभियन्ता से मिले तब उन्होंने माननीय सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार किया एवं उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। माननीय सदस्य ने आगे कहा कि उस क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्ति भी साथ में थे जिससे उनका सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ और उनके द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर जो आक्षेप किया गया वह माननीय मंत्री तथा प्रमुख अभियन्ता की साजिश से हुआ है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा प्रमुख अभियन्ता के स्पष्टीकरण का भी अवलोकन किया।

प्रमुख अभियन्ता, श्री शीतला शरण, ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि संदर्भित तिथि को जब माननीय सदस्य उनके साथ उनकी मोटर के पास आए और विभागीय निर्माण इकाई को मार्ग खंड में बदलने के लिये कहा तो उन्होंने पूरे तथ्यों की जानकारी देते हुए केवल यह कहा था कि अब किसी परिवर्तन के लिये आग्रह न करें क्योंकि इस विषय में विस्तृत वार्ता हो चुकी है। प्रमुख अभियन्ता के अनुसार माननीय सदस्य के प्रति किसी भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि माननीय विधायक जी ने उनके सम्बन्ध में जो धारणा बना ली वह किसी भ्रमवश हो गया है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने भी यह अभिमत व्यक्त किया है कि प्रमुख अभियन्ता का माननीय सदस्य के प्रति कोई निरादर का भाव नहीं था।

पूरे मामले पर विचार करने के उपरान्त मैं इस अभिमत का हूं कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य की सूचना दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 से यह स्पष्ट नहीं होता कि घटना दिनांक 1 सितम्बर, 1983 की है अथवा किसी अन्य दिन की। यदि घटना पहली या दूसरी सितम्बर की है, तो 9 सितम्बर, 1983 के पूर्व विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना क्यों नहीं दी गई। माननीय

सदस्य द्वारा दी गई इस विलम्बित सूचना के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

माननीय सदस्य ने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न किस प्रकार पैदा होता है । माननीय मंत्री तथा प्रमुख अभियन्ता के बीच साजिश का आरोप किस आधार पर लगाया गया है, यह भी अस्पष्ट है । माननीय सदस्य प्रमुख अभियन्ता के पास विधान सभा के अथवा किसी समिति के सदस्य के कार्य से नहीं गये थे । वे वहां स्वेच्छा से स्वतन्त्र रूप से गये थे । ऐसी परिस्थिति में विशेषाधिकार की कोई मामला नहीं बनता और मैं उसे उठाने की आज्ञा नहीं देता ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मुझे नियम 56 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा डाक्टर शिवानन्द नौटियाल की कानपुर में लड़कियों से अवैध धन्धा कराये जाने के अड्डों से उत्पन्न जन आक्रोश के सम्बन्ध में, श्री हर गोविन्द वर्मा की जनपद सीतापुर में पुलिस की मदद से पेड़ों के कटाई के विरोध में भूख हड़ताल के सम्बन्ध में, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की प्रदेश के कई जनपदों के उद्योगों, कोल्डस्टोरेज तथा सिंचाई हेतु पावर कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में, श्री शंकर सिंह का बुन्देलखंड में माताटीला बांध से नहरों में पानी न आने से फसल सूखने के सम्बन्ध में है तथा श्री माता प्रसाद पांडेय की किंग जार्ज मेडिकल कालेज के सम्बन्धित चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में । मैंने उपरोक्त पांचों सूचनाओं पर जांच के लिये शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । इसके अतिरिक्त श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री किरन पाल सिंह तथा श्री लल्लू सिंह चौहान की सूचनाओं को सुनने के लिये अधिकृत किया है, श्री सरदार सिंह, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गौरी शंकर मैय्या एवं श्री यदुनाथ सिंह की शेष सूचनाओं को भी शासन को भेज दिया है ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है, वह यह है कि अब तक तो मान्यवर, जो असामाजिक तत्व हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाती, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वकील हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि जो गलत ढंग से कानून में लोग फंसाए जाते हैं, उनकी रक्षा करें । क्योंकि पुलिस के हितों का टकराव उससे हो रहा है । पुलिस आये दिन निर्दोष लोगों को फंसाने का दुष्चक्र करती है । वकील लोग उन निर्दोष लोगों का कानून के जरिये से मदद करती हैं और पुलिस से बचाती हैं, इसलिए मान्यवर, आज पुलिस और वकीलों के बीच में टकराव हो गया है । शाहजहांपुर में कहते हैं कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो पुलिस वहां पर पहुंची और उसने वकीलों को पकड़ लिया । मान्यवर, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक ही पक्ष के दो वकील आपस में बात-चीत कर रहे थे, उनका कोई विवाद नहीं था, चूंकि पुलिस की उनसे रंजिश थी, इसलिए उन्होंने दोनों वकीलों को पकड़ लिया और हथकड़ी लगाकर उनको कोतवाली ले गये ।

मान्यवर, आपको शाहजहांपुर के बारे में जानकारी होगी, वहां पर कोतवाली जाने के लिए पूरी तरह से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाजार से होकर जाना पड़ता है। पुलिस ने उनको हथकड़ी लगाई और पूरे बाजार में घुमाते हुए कचहरी तक ले गये, वहां पर उनको हथकड़ी की स्थिति में न्याय दण्डाधिकारी के सामने पेश कर दिया। इसको देखकर वहां के वकीलों में उत्तेजना फैल गई। सभी वकीलों ने एक बैठक की और उसमें तय किया कि जब तक उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही नहीं की जायेगी, तब तक कचहरी का काम बन्द रहेगा। मान्यवर, तब से कचहरी का काम बन्द हो गया है और वकील लोग अनिश्चित काल की हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यही नहीं वादकारियों के सामने भी संकट उत्पन्न हो गया है। यह तो मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी गलत काम तो अवश्य करेंगे, पूरी तरह से इसे नहीं रोका जा सकता है। लेकिन हमारे प्रदेश का राजनैतिक दृष्टिकोण ऐसे अपराधशील व्यक्तियों के बारे में क्या है? अभी शाहाबाद में झगड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल के बाद वह समाप्त हुआ था, किन्तु अब शाहाबाद के बगल पर शाहजहांपुर में इस प्रकार का झगड़ा फिर उठ खड़ा हुआ, फैजाबाद में भी ऐसा ही झगड़ा हुआ और बस्ती में भी यही झगड़ा हुआ।

जहां भी पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई गयी। तो पुलिस ने उन्हें रौंद दिया और उन्हें प्रताड़ित किया इसके बावजूद भी सरकार की ओर से उनके खिलाफ कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है। मान्यवर, यही स्थिति शाहजहांपुर की है। मैं चाहूंगा कि आप कार्य-स्थगन के माध्यम से इस पर चर्चा करवायें। इस झगड़े पर नहीं, अपितु सरकार की इस नीति के खिलाफ इस स्थगन के माध्यम से आप चर्चा करवायें। आज हमारे सम्पूर्ण प्रदेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ आज यह पुलिस बदले की भावना से उनको प्रताड़ित कर रही है।

मान्यवर, यह सामान्य निर्देश है कि हथकड़ी नहीं डाली जायगी, सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय हो चुका है और पुलिस की रूलिंग्स में भी इसकी व्यवस्था है कि हथकड़ी नहीं डाली जायेगी। इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन वकीलों ने कौन सा अपराध किया था, जिसकी वजह से उनको हथकड़ी डाली गयी। मान्यवर, जब हथकड़ी डाली जाती है, तो यह लिखना पड़ता है कि इनके इस अपराध के कारण इनको हथकड़ी डाली गई। आज इस प्रकार के अपराधशील कर्मचारियों के प्रति सरकार जो उदासीनता दिखा रही है, उस पर मान्यवर आप चर्चा करवा दें क्योंकि यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और सारे प्रदेश से संबंधित है। आज यह शाहजहांपुर में ही नहीं, यदि इस पर उचित कार्यवाही नहीं की गयी तो सम्पूर्ण प्रदेश के वकील हड़ताल के रास्ते पर आ जायेंगे और एक विषम परिस्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप इसपर आज सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर चर्चा करवा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी—)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना दो वकीलों के बीच में घटी और यह एक जमीन का झगड़ा था। पहले तो दोनों वकीलों की घरवालियों में झगड़ा हुआ और जब दोनों वकील वहां पर पहुंचे तो उन दोनों में भी झगड़ा होने लगा। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने हथकड़ी लगवाने के बारे में कहा, इसके लिए हमने उस कान्सटेबिल को सस्पेंड कर दिया है।

मान्यवर, जहां तक ला एन्ड आर्डर की बात है, अगर दो प्रोफेसर आपस में लड़ रहे हों तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, अगर दो विधायक लड़ रहे हों तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होगी? मान्यवर, जो

भी आदमी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ अवश्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने शाहाबाद के बारे में कहा, वहां पर एस0 डी0 एम0 को हटा दिया गया है । जहां पर भी ऐसी बातें होती हैं, सरकार जरूर कार्यवाही करती है और माननीय अध्यक्ष जी आपने जो आदेश दिये हैं, उनका अनुपालन किया गया है । लेकिन किसी व्यक्ति को कानून के ऊपर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है । अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, दो मिनिस्टर आपस में लड़े, एक लड़की के पीछे और इतनी सब बातें यहां पर हुई । उसको तो यह नजर अंदाज कर दिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

भीखा लाल जी का मुंह देखिये लार टपक रही है इस मामले में ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, बड़े रोष और क्षोभ के साथ में इस विषय को रखता हूं । मान्यवर, परसों लखनऊ के अन्तर्गत महानगर में शिव जी के मंदिर को प्रशासन की सहायता से, प्रशासन के सहयोग से तोड़ दिया गया और इस उत्तेजनापूर्ण कार्यवाही के बाद भी, लखनऊ शहर के लोगों ने विशेष रूप से महानगर क्षेत्र के लोगों ने कोई हिंसात्मक कार्यवाही या घटना नहीं की, इस बात के लिये मैं उनको बधाई देता हूं । मैं धर्मान्ध नहीं हूं लेकिन धार्मिक भावनाओं से ओत प्रोत हूं । आजकल हिन्दुस्तान के अन्तर्गत नव दुर्गा का पर्व चल रहा है । इस पर्व के मौके पर प्रशासन की सहायता से शिव के मंदिर को तोड़ा जाना मान्यवर, शर्मनाक भी है और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला कदम भी है । इसकी तफसील में ज्यादा न जाकर, क्योंकि यह बहुत नाजुक विषय है, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का हाथ है, शिव के मंदिर को तुड़वाने में, चाहे प्रशासन के आदमियों का हाथ हो, चाहे पब्लिक के किसी आदमी का हाथ हो, या चाहे इसमें दोनों ही शामिल हों, इसमें उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए और मैं यह भी मांग करता हूं कि किस हालत में यह मंदिर को तोड़ा गया, इस पर वक्तव्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, ज्ञात हो कि वहां की तमाम बातों को देखते हुए क्षेत्र के युवा लोकदल के अध्यक्ष श्री अब्दुल वासी ने मीटिंग में कहा है कि जब तक दोषी लोगों को दंड नहीं दिया जायेगा, सजा नहीं दी जायेगी तब तक आंदोलन के रास्ते पर हम लोग अग्रसर रहेंगे । मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगा कि उसमें तमाम अफसर लोग भी थे, दुकानदार भी थे, अधिवक्ता भी थे, छोटे-छोटे मजदूर भी थे और महिलायें भी थी, क्योंकि उनको पर्व के अवसर पर, जहां वे पूजा करने जाती थी, टूटे मंदिर के दर्शन करने पड़े । इस विषय पर वक्तव्य की मांग करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह ताज्जुब है जानकर और दुख हुआ । इस सारे प्रकरण की, जो कार्यवाही हुई है, जांच करायी जायेगी । और, जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी, जिसके खिलाफ भी हो सकती है, वह की जायेगी ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं नितांत लोक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य चर्चा करायी जाय । विषय यह है कि

आगरा में ताजमहल के पूर्वी दरवाजे पर एक मंदिर है गोरी शंकर जी का। यह मन्दिर बगीची में है, जो तकरीबन आधा एकड़ है, इस बगीची का वहां की एक ट्रस्ट द्वारा प्रबन्ध होता है और मंदिर का संचालन भी यह ट्रस्ट करती है। आज से लगभग 40 साल पहले भगवान रंगा जी का जो मंदिर वृन्दावन में है, उसके प्रबंध में यह था, बाद में गोकुल चन्द गुलाब चन्द इस ट्रस्ट को यह मंदिर और बगीची ट्रांस्फर कर दिया गया। तब से निरंतर आगरा के निवासी यहां पर पूजा करते हैं, आमोद-प्रमोद के लिये उस पार्क का इस्तेमाल करते हैं। वहां जन-समारोह भी होते हैं। और धार्मिक समारोह भी होते हैं यह कार्य निरंतर चलते रहते हैं।

अभी दिसम्बर, में 90 लाख रुपए में, यह जो गौरांग महाप्रभु हैं, हिन्दुस्तान में यहें सी0 आई0 ए0 के एजेन्ट हैं, इन्टरनेशनल सोसाइटी फार कृष्णा कांशियसनेस के हैं, बंगलौर में, दिल्ली में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में यह लोग अपनी संस्थायें चलाते हैं और काफी रुपया यह व्यय करते हैं तथा जासूसी का काम करते हैं, उन्होंने इस बगीचे को 90 लाख रु0 में लिया। इस पर कब्जा कर लिया। मन्दिर हिन्दुओं के लिये बन्द कर दिया गया। वहां पर जो पब्लिक पार्क था, जिसे वहां की जनता इस्तेमाल करती थी, उसे बन्द कर दिया गया। इसके विरोध में वहां हड़तालें हुईं और आगरा के बाजार बन्द रहे, जनता ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

यह निहायत संवेदनशील घटना है। सिटी मैजिस्ट्रेट ने दफा 145 में बगीचे व मन्दिर को कुर्क कर लिया और सील कर दिया। जनता ने आग्रह किया कि यह मन्दिर तो नित्य खुलता था, तो एक घंटे के लिये प्रातःकाल और एक घंटे के लिये शाम को खुलने लगा। उसका दरवाजा सदैव बन्द रहता है, केवल दर्शनों के लिये खुलता है। आगरा की जनता और वहां के बुद्धिजीवियों में आक्रोश है। हिन्दू धर्मावलम्बी जनता को चिन्ता है कि किस तरह से धर्म की रक्षा होगी और ट्रस्ट द्वारा संचालित इस प्रकार के स्थान, जहां पर कि सी0 आई0 ए0 के लोग रुपए के बल पर कब्जा करते चले आ रहे हैं, किस प्रकार उनकी रक्षा होगी। अतः सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए अपेक्षा करता हूं इस पर शीघ्र कार्यवाही होगी। मन्दिर, बगीची और सत्संग भवन वहां की जनता के लिये खुलना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी--

जो मन्दिर की बात कही गयी, यह श्री कृष्ण कान्शसनेश सोसायटी एक है उसने यह मन्दिर खरीदा था और जब वहां पर यह पता चला शासन को कि इस तरह की बात है, एक ही धर्म के मानने वाले लोगों के बीच ऐसी बात हुई है, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी बताया, 145 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत सत्संग भवन को कुर्क कर लिया गया। जब पूजा की बात सामने आयी तो सीमित समय के लिये मन्दिर को खोला जाने लगा। इस सम्बन्ध में बराबर कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायगा। यदि कोई गलत बात हुई है, इल्लीगल काम हुआ है, तो उसका निराकरण कर दिया जायगा।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सीतापुर में पुलिस की सांठगांठ से पूरे जिले में पेड़ अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

क्या इधर एक हफ्ते के अन्दर ज्यादा कटे हैं?

श्री हरगोविन्द वर्मा--

जी नहीं, मान्यवर, एक साल से कट रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं। सम्भवतः आपका आशय विषय की अविलम्बनीयता की ओर है, तो 3 अप्रैल से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वह विषय भी इसी के साथ सम्बद्ध है।

*श्री हरगोविन्द वर्मा--

स्थिति यह है कि 29-2-84 को ताहपुर में पेड़ काटे, एस0 पी0 साहब स्वयं मौके पर गये। वहां के ठेकेदार लकड़ी काटने वाले ने कह दिया कि थाना इन्चार्ज को 6 हजार रु0 दिया है, सब-इन्सपेक्टर भी 4-5 सौ रुपया ले गये, आपको भी जरूरत हो तो 2-4 सौ ले जायें। एस0 पी0 साहब के लिये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वह मौके पर गये थे, लेकिन बाकी के सम्बन्ध में स्थिति ठेकेदार ने स्पष्ट कर दी थी। मैं कह सकता हूं कि पूरे लहरपुर के इलाके में बाहर के लोगों का तो पता नहीं चलता है, लेकिन बदमाश लोग अपने-अपने पूरे-पूरे गैंग को ले जाकर यह काम करवा रहे हैं। बल्लू राम मौर्य और राजा राम लोधी नामक व्यक्तियों के 27-27 पेड़ काट लिये गये, जिनकी कीमत 40 हजार रु0 थी।

इस तरह से पूरे जिले के अन्दर गरीबों के पेड़ काटे जा रहे हैं और उसको पैसा भी नहीं मिलता है। पुलिस पैसा लेकर इस तरह बदमाशों और डकैतों को खुलेआम पेड़ों को काटने का मौका देती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस ज्यादती और भ्रष्टाचार को रोकने की मांग को लेकर जो बल्लूराम मौर्य और राजा राम लोधी इस समय भूख हड़ताल जिलाधिकारी के कार्यालय पर कर रहे हैं, उनकी रक्षा की जाय और अपराधियों के विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही की जाए। वैसे मैं इस सरकार से जो नाकारी सरकार है आशा तो नहीं करता हूं कि वह इस मामले पर कुछ करेगी, बल्कि मेरी सूचना है कि बदमाशों से मिलकर पूरी तरह पेड़ कटवाने में मदद कर रही है। प्राक्कलन समिति के चेयरमैन साहब वहां पर गये थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि जो पेड़ सूख गये हैं उनको एक-एक करके गरीबों को दे दिया जाए, लेकिन अब तक कोई इस ओर कार्यवाही तो क्या लेकिन जो गलत पेड़ कट रहे हैं, उनको रुकवाने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरी एक बात बहुत ही लोक महत्व की बुन्देलखंड से सम्बन्धित सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब काफी समय खर्च करके चर्चा फिक्स कर दी जाती है, लेकिन लोग उस वक्त मौजूद नहीं रहते हैं। कल विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के बारे में चर्चा होनी थी, लेकिन सब अपने-अपने घर चले गये, तो इस प्रकार से काम रोको प्रस्ताव से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, कल जब आपने अपने कक्ष में मुझ से यह बात कही थी, तो मैंने कहा था कि इस समय हमारी स्थिति कुछ दूसरी है, जो आप जानते हैं कि मैं किस वजह से सदन में इधर उपस्थित नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

केवल आपकी बात नहीं है, यह आम बात बता रहा हूं?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान बुन्देलखंड की बड़ी विकट स्थिति की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां माता टीला एक ऐसा बांध है, जिससे बुन्देलखन्ड के 4 जनपदों को सिंचाई होती है, लेकिन इस वर्ष जिस वक्त सितम्बर अक्तूबर के महीने में सिंचाई की आवश्यकता होती है, उस वक्त सिंचाई विभाग वालों ने एक साजिश योजनाबद्ध तरीके से की कि नहरें खराब हो गयी हैं बाद में जिनकी मरम्मत करवाई जा रही है और जब तक यह ठीक नहीं हो जायेगी तब तक पानी नहीं छोड़ा जायेगा तो इस प्रकार से मान्यवर, हमारे उन जनपदों में सितम्बर में पलेवा नहीं हो सका और दिसम्बर के अन्त में नहरों में पलेवा के लिये पानी छोड़े बगैर पलेवा के साथ और गेहूं को एक भी पानी नहीं मिल सका इसके बाद जनवरी में फिर गेहूं को पानी की आवश्यकता हुई तो भी एक भी पानी गेहूं को नहीं मिला।

दूसरी बात मान्यवर, मताटीला बांध का जो डिजाइन बना है, उसमें ऐसा है कि जब पानी ऊंचाई पर होता है तो गेट्स के जरिये नहरों में पानी आता है और जब पानी नीचे स्तर पर होता है तो पानी गेट्स से निकलना बन्द हो जाता है और जो वहां पावर हाऊस बना हुआ है, उसमें से पानी विद्युत विभाग के सहयोग से निकलता है, लेकिन इस वर्ष पावर हाऊस वाले पानी निकालने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और जो पहली दिक्कत हमने बतायी कि जो सैल्यूस बने हुए हैं अगर पानी नीचे स्तर पर होता है तो पानी निकलता नहीं है, इससे यह हो रहा है कि पानी नहरों में बहुत कम आ रहा है जो ऊंचाई पर हैं उनकी खेती की सींच हो तो जाती है किसी तरह से लेकिन जिनके खेत नीचे की ओर हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं और दूसरी तरफ पूरे जोर से सिंचाई लगान की वसूली हो रही है व अन्य वसूलयाबी भी चल रही है, इसलिए मेरी इस सिलसिले में यह मांग है कि पावर हाऊस अधिकारियों को यह आदेश हो कि वह पानी के निकालने की व्यवस्था करें ताकि फसलें नष्ट न हों और जिन लोगों को पानी एक भी नहीं मिल पाया है या कम मिल पाया है, उनकी सिंचाई, लगान वसूलयाबी माफ की जाए। इस लिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विकट समस्या पर चर्चा करायी जाए और सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शंकर सिंह की सूचना को मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना का सवाल है, इस पर मैं शासन के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

माननीय किरन पाल सिंह की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, इस पर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है। माननीय गौरी शंकर भैय्या के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि इसके बारे में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मुझको दे दें, विचारोपरान्त इसको स्वीकार कर लूंगा और इसमें यह आ जायेगा। जहां तक वर्मा जी की सूचना का सम्बन्ध है, मैंने इसको शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेजा है और बाकी को मैंने अस्वीकार किया है। अब मद संख्या 18 पर चर्चा जारी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष —

किस बारे में ? अब मैंने दूसरी मद ले ली है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

कार्यस्थगन का प्रस्ताव जो हमने दिया है उसी के सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, अध्यक्ष जी, जो हम नियम 56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन का प्रस्ताव देते हैं जो कि बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व की सूचना होती है। फिर आप अपनी ओर से महत्वपूर्ण सूचना को स्वीकार करके शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं। जो सूचना मैंने दी है आज उसी विषय पर श्री शंकर सिंह ने भी सूचना दी है। मैंने आज से करीब 12 या 15 दिन पहले इस प्रकार की सूचना दी थी, आपने उसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है आपने उस पर शासन का ध्यान भी आकर्षित किया था कि तुरन्त किसानों के लिये सिंचाई की व्यवस्था ठीक करने के लिये व्यवस्था की जाय। आपकी तरफ से शासन का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी शासन ने यद्यपि संसदीय कार्य मन्त्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया था लेकिन इसके बाद भी वहां पर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। उसका कारण है माताटीला बांध और मुकवा बांध कि उससे किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता है। क्योंकि वहां पर पानी विद्युत् विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है और विद्युत् गृह तकनीकी कारणों से बन्द है, इसलिये पानी नहीं मिल सकता है और इसीलिये किसानों को भी पानी नहीं मिल सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज जो आपके पास कार्यस्थगन का प्रस्ताव आया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों को पावर के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं आपने शासन का ध्यान आकर्षित किया है, इसके साथ ही आपका ऐसा निर्देश होना चाहिये कि जिस महत्वपूर्ण सूचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है तो सम्बन्धित विधायक को भी उसके तीन चार दिन के बाद कृत कार्यवाही की सूचना दी जानी चाहिये। शासन क्या कर रहा है या चुपचाप बैठा है, यह हमें मालूम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात को सुना और सुनने के बाद मैं इसी कारण से क्योंकि मैंने आपकी सूचना को पढ़ा अवश्य था और माननीय शंकर सिंह की सूचना को भी पढ़ा था, इस पर कोई कार्यवाही किसी प्रकार से नहीं हो सकती थी, इसी कारण से मैंने इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

अब श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी होगी।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

श्रीमन्, मैं--

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैंने भी एक सूचना दी थी निजी नलकूपों के बारे में, मंड़ाई नहीं हो पा रही है। कम से कम शासन का ध्यान तो आप आकर्षित कर दें कि ट्यूबवेलों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है, मंड़ाई नहीं हो पा रही है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं काशी विश्वनाथ मन्दिर के बारे में--

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। अब हम आगे बढ़ गये हैं। हमने अब दूसरा मद ले लिया है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्णय ले लिया है, आप बैठें।

(व्यवधान)

प्रदेश को वर्तमान बड़ी इकाई को बांट कर चार छोटी इकाइयों में किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

(क्रमागत)†

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश जिसमें हम रहते हैं, अंग्रेजों ने बनाया था और इसको आगरा और अवध को मिलाकर अपनी सुविधा के लिये अंग्रेजों ने निर्मित किया था। श्रीमन् आजादी के बाद टेहरी, रामपुर और बनारस की रियासतों पर जनता ने हमले किए और यह रियासतें चकनाचूर हो गयीं और हमारे प्रदेश में मिल गयी। वह टेहरी रियासत जो सन् 1949 में संयुक्त प्रान्त में शामिल हुई, अब आज हमारे राज्य में है। इस राज्य में, जितना बड़ा इसका क्षेत्र है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी मुख्य मंत्री के लिए सम्भव नहीं होगा कि वह पूरे क्षेत्र के साथ न्याय कर सके। सारे प्रदेश में ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोई शासन ही नहीं चल रहा है। मैं श्रीमन्, इस प्रस्ताव को जिस रूप में रखा गया है,

(इस समय 1 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए।)

पुरी तरह से समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़, नैनीताल, कुमायूं के जिले और देहरादून, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी को मिलाकर एक पर्वतीय प्रान्त अलग बना दिया जाय और मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आरा कोट से मिलाम ग्लेशियर (पिथौरागढ़) तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। यहां पर मान्यवर, जौनसारी, बंगाणी, बावरी, जोड, भोटिया, मार्छिया, गढ़वाली, कुमायुनी, जौहरी आदि लोग रहते हैं। इनकी भाषायें अलग हैं और इनकी संस्कृति अलग है इनकी रीति-रिवाज अलग हैं, इसलिए जरूरी है कि एक पर्वतीय संभाग अलग से बना दिया जाय।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पहाड़ों पर जो जिलाधिकारी हैं, वह अपने जिले की कुल पट्टियों के नाम भी नहीं जानते हैं। कोई भी ऐसा जिलाधिकारी नहीं है जिसको अपने जिले की सारी पट्टियों के नाम मालूम हों, कमिश्नर की बात मैं नहीं कहता पर कोई भी जिलाधिकारी ऐसा नहीं है जो अपने जिले की सभी पट्टियों के नाम बता सके, तो वह वहां पर क्या काम कर सकता है। मैं श्रीमन् से निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो विकास खंड हैं, एक विकास खंड के अन्दर एक तहसील बनायी जानी चाहिए। इससे कम पर काम नहीं चलता। इतने बड़े विकास खंड हैं लेकिन आज जो हमारे प्रदेश की स्थिति है उसमें हमारा यह जो आदरणीय सदन है, यहां पर हम जो कुछ बात कहते हैं, उसे समझ नहीं सकते हैं।

हमारी समस्यायें इतनी विविध हैं इतनी अधिक और विचित्र हैं कि अगर पृथक् पर्वतीय प्रदेश स्थापित नहीं किया जाता तो वहां की जनता की स्थिति न आर्थिक तौर पर सुधर सकती है और न वहां का ठीक तरह से नियोजन हो सकता है। मान्यवर, 12 हजार से लेकर 2 हजार फुट तक पहाड़ के अन्दर लोग अलग-अलग जगहों पर रहते हैं। कहीं गेहूं जाड़ों में पकता है, कहीं बैसाख-जेठ में पकता है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मई में आम खतम हो जाते हैं और कहीं पर सितम्बर के आखिर तक पेड़ों पर रहते हैं। इस सब के लिये अगर अलग से योजना न हो तो लखनऊ के एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर बनायी हुई योजनायें ऐसी ही

†दिनांक 29 मार्च, 1984 की कार्यवाही से।

धरी रह जायेंगी। वहां पर कोई हल की मूठ पकड़कर चलाता है और कोई भेड़-बकरी चराकर अपनी आजीविका चलाता है। इन सब के लिये योजना होनी चाहिए। उन सबके बारे में विशद रूप से इस आदरणीय सदन के अन्दर चर्चा नहीं हो सकती।

हमारा पूरा देश है और पूरा देश एक है और आज भी हमारे यहां के लोग जरूरी समझते हैं कि जीवन में एक बार गया जायेंगे। गया बिहार में है। और विश्वनाथ जी को भी उतना ही आदर दिया जाता है जितना पूरे भारतवर्ष के अन्दर दिया जाता है। विश्वनाथ काशी में है। अगर हम अपने उत्थान के लिये अलग से इस तरह का एक अलग राज्य कायम कर देंगे तो उसे हम देश से जुदा नहीं हो जायेंगे। पूरा देश एक है। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश जब से अलग हुआ तब से वहां पर चुस्ती आयी और वहां के मुख्य मंत्री के बारे में हर पटवारी को यह खौफ रहता है क्योंकि उन सबको मुख्य मंत्री जानते हैं। हमारे जो मुख्य मंत्री हैं, वे जितने पहाड़ों के अन्दर डी0 एम0 हैं उनका नाम नहीं बता सकते हैं। वह फाइलों में रहता है, उसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। अगर छोटा राज्य होगा तो द्रुत गति से विकास होगा और बड़ा होगा तो आपको 85 सीटें जरूर मिल जायेंगे लेकिन यहां की गरीबी नहीं टूट पायेगी। दूसरी जनता जो कि सदियों से सामन्ती दासता में फंसी हुई है, उसका उत्थान नहीं हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इन संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश अपनी विशालता के लिये केवल भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में विख्यात है। उत्तर प्रदेश प्राचीन से लेकर आधुनिक सभ्यता और देश की सारी संस्कृतियों को अपने में समेटे हुये हैं और हमारे इस भारतीय इतिहास में जगद्गुरु शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द और आधुनिक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इन सबने इस देश की एकता और अखन्डता के लिये मार्मिक अपीलें की हैं और वही बात होकर रही की हम एक होकर रहें। जहां तक प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इस प्रदेश को बांटने का प्रश्न है, जिस पर चर्चा हो रही है, मेरे मित्र माननीय नौटियाल जी ने एक नया प्रदेश बनाने की मांग पेश कर दी। उनको समझना चाहिए कि अगर 8 जिलों के लिये एक प्रदेश बना लेंगे तो क्या इस विधान सभा के अन्दर वे प्रवेश पा सकेंगे और क्या वे उत्तर प्रदेश की विशालता देख सकेंगे?

मान्यवर, यह एक संकीर्ण मनोवृत्ति है, आधुनिक समाज में आधुनिक सभ्यता में जो हमारे बड़े-बड़े परिवार थे वह टूटने लगे हैं, हमारा सौहार्द्र कम हो रहा है और भाईचारे की भावना खतम हो रही है और परिवार छोटी इकाई के रूप में बनने लगे हैं। यह एक संकीर्ण मनोवृत्ति है। लोग मां-बाप और अपने पूर्वजों का आदर करना भूल गये हैं, यह छोटेपन की बात समाप्त होनी चाहिये, मैं इसका विरोध करता हूं। इस प्रदेश का यह गौरव है इसे लघु भारत "मिनी इंडिया" के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के विचार को न लाया जाय। अगर शासन में चुस्ती का प्रश्न है और कहा गया कि हमारे जिलाधिकारी यूनिट्स का नाम नहीं जानते हैं गांवों का नाम नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक से एक सक्षम अधिकारी हमारे यहां हैं विद्या सागर जी ने कभी किसी जिला-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धिकारी का टेस्ट लिया होता और वह फेल हो गया होता तो बात ठीक थी। हां, यह बात जरूरी है कि एक आदमी मैदानी क्षेत्र से अगर पहाड़ में आता है तो हो सकता है कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से उसे जानकारी न हो लेकिन क्या पहाड़ का आदमी जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी बन कर जाता है तो क्या सारी जानकारी उसे होती है, वह भी नहीं जानता है।

हमारा देश गुलाम रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा लेकिन उन्होंने जो आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 आदि की आल इंडिया सर्विसेज प्रारम्भ की उससे एक प्रशासनिक इकाई का स्वरूप हमें मिला और सारा भारत एक सूत्र में बंधा रहा। तो इस सदन में इस प्रकार की चर्चा करने की मनोवृत्ति को समाप्त करना चाहिये जिससे प्रदेश का बटवारा न हो। आज देश में छोटी-छोटी बातों पर, धर्म के नाम पर आन्दोलन हो रहे हैं जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो रहा है, हमारी संस्कृति को आघात पहुंच रहा है। इकबाल ने कहा था "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।" जो हमारे देश की धरोहर है, यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता के लिए ही उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। तो उस संस्कृति को इससे आघात पहुंचता है। तमाम विदेशी आक्रमणों के बावजूद, विदेशी शासन के बावजूद हमारी संस्कृति आज भी जीवित है भले ही उस पर कितने ही आघात क्यों न हुए हों। कितने ही आक्रमण हमारे देश पर हुए लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा इस सदन में न करायी जाय और इस चर्चा को समाप्त कराया जाय। इससे विघटन को प्रोत्साहन मिलता है, देश के विघटन की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करा दी जाय। आगे चर्चा न करायी जाय।

*श्री सरदार सिंह --

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय मोहन सिंह के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि हम हिन्दुस्तान से अलग हो रहे हैं। जैसा कि माननीय नौटियाल साहब ने बताया कि हम यहीं रहेंगे हिन्दुस्तान से अलग नहीं होंगे। अमेरिका में भी छोटे-छोटे राज्य हैं। हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है उसमें राज्यों की स्थापना की गयी है, हर प्रदेश की एक इकाई है। आज दूसरे प्रदेशों में एक कुंठा की भावना पैदा होने लगी है। उनका कहना है कि यहां के सबसे ज्यादा मेम्बर पार्लियामेन्ट में हैं और यहीं से प्रधानमंत्री होता है। दूसरे राज्यों में बहुत कम्पलैक्स पैदा हो गया है जिसका नतीजा यह है कि वह अलग होने की मांग कर रहे हैं, आज पंजाब में यही हो रहा है, तमिलनाडू में यही हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी यही मांग हो रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा सांसद हैं इसलिए वे जो चाहते हैं करवा लेते हैं। इसलिए देश की एकता के लिए जरूरी है कि प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाये। इससे हमारी एकता और प्रेम में अन्तर नहीं पड़ेगा बल्कि सम्पन्नता आयेगी।

यह सही है कि राज्य में इतने कर्मचारी और अधिकारी हो गये हैं कि उनके ऊपर नियंत्रण शासन का नहीं हो पा रहा है। स्कूल सभी को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अपने प्रदेश में 9 करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं। शहर में साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है और गांव में साक्षारता नहीं के बराबर है। महिलाओं को आजादी की रोशनी प्राप्त ही नहीं हुई है। 37 सालों में साक्षरता का प्रतिशत 27 है जो कि बहुत ही कम है। हमारे यहां गरीबी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत है। नैतिकता की गिरावट हो रही है। मान्यवर, कानून व्यवस्था को देखें तो हमारी फसल को हरियाणा के लोग काट ले जाते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश के बंटवारे का मतलब यह नहीं है कि हम अलग हो जायेंगे लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि यदि छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाई हो जायेंगी तो हमारा नियंत्रण अच्छा होगा और हम दूसरों से कम्पटीशन में आगे बढ़ सकेंगे जिससे पूर्वांचल, पश्चिम और बुन्देलखंड तरक्की करेगा और पहाड़ भी तरक्की करेंगे जो कि आज नहीं हो रही है चूंकि विशाल प्रदेश है। इसलिए मुख्य मंत्री और मंत्री अच्छी तरह से कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

रोजाना विधान सभा में यहां चर्चायें आती हैं कि कहीं अस्पताल नहीं हैं, अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, दवायें नहीं हैं और चोरबाजारी में बेची जा रही हैं, इसी तरह हर विभाग में नियंत्रण नहीं है और अराजकता की भावना पैदा हो रही है। हरियाणा, पंजाब और दूसरे प्रदेश हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं चूंकि वह छोटे-छोटे प्रदेश हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चूंकि मथुरा, आगरा, काशी सब यहीं रहेंगे वह अलग नहीं हो जायेंगे जैसे कि उत्तर के हमारे जो धार्मिक स्थान हैं उनका दक्षिण के लोग जितना आदर करते हैं उतना ही हम दक्षिण के धार्मिक स्थानों का आदर करते हैं। इसलिये बड़ा प्रदेश होने से हमारी हानि हो रही है। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[समय 2 बजकर 15 मिनट]

श्री भगवती सिंह विशारद--

अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प श्री मोहन सिंह ने प्रस्तुत किया है उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, जब कोई राष्ट्र अपनी प्रशासनिक इकाइयों को बनाता है तो उसका कोई आधार होता है। भौगोलिक स्थितियां, भाषा, रहन-सहन और प्राकृतिक दशायें आदि उनको ध्यान में रखकर प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाता है। हमारे देश में भी जिस समय हम परतंत्र थे उस समय अंग्रेजों ने कई प्रान्तों का बंटवारा किया था। यदि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को देखें तो जिस समय बंटवारा हो रहा था बंगाल से बिहार को अलग किया जा रहा था, उस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आन्दोलन चला था और जो बंग-भंग के नाम से आन्दोलन मशहूर रहा है जिसका इतिहास साक्षी है। हमारे देश की, प्रदेश की करोड़ों-करोड़ों जनता की मनोवृत्ति है सबको एक साथ लेकर रहने की और इसी प्रवृत्ति को लेकर सदियों से, चाहे जो परिस्थितियां रहीं हों, उनमें हमारे देश और प्रदेश ने उन परिस्थितियों को बर्दाश्त करते हुए, उनके थपेड़ों को झेलते हुए अपने अपनत्व को संजोये हुए देश और प्रदेश का स्वत्व बनाये रखा है।

अब आज की परिस्थिति में कहा जाए कि प्रशासनिक इकाइयां कमजोर हैं कलेक्टर का नाम मुख्य मंत्री को नहीं मालूम है और दूसरे छोटे प्रदेशों में पटवारी का नाम भी मुख्य मंत्री को मालूम है, तो इस आधार पर प्रदेश के बटवारे का सवाल बिल्कुल नहीं उठता है। यह विधान सभा प्रदेश के समस्त नागरिकों की प्रतिनिधि सभा है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाये तो इस विधान सभा के बाहर भी एक सभा है जो ऐसे प्रश्नों पर विचार करती रहती है। ऐसे संकल्प को आम जनता में पेश किया जाए तो जिन लोगों का आज यह विचार है कि प्रदेश को 4 हिस्से में बांट देना चाहिए, वह उनकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। यह संकल्प यदि उनकी राय जानने के लिए अर्थात् रेफ्रेन्डम के लिए भेज दिया जाए कि क्या इस प्रदेश को चार हिस्सों में बांट देना चाहिए तो हमारा यह निश्चित मत है कि वह यही कहेगी कि

हमारी जो वर्तमान प्रशासनिक इकाई है, उसको वैसे का वैसा ही रखा जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या कटौती न की जाए। बद्रीनाथ, केदारनाथ से इलाहाबाद और काशी तक हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, हमारे जो विचार हैं, रहन-सहन है और हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है, वह भी हमें इस बात के लिए विवश करती है कि हम एक साथ रह कर अपने प्रदेश के विकास और उत्थान में जुटे।

राजनीतिक दृष्टि से इस तरह का प्रस्ताव रखा जा सकता है और रखना भी चाहिये, लेकिन जिन मित्रों ने इसका समर्थन किया और जो इस विचारधारा के हैं, उनसे मेरा एक निवेदन यह है कि इस चीज को, जब वह अपनी पार्टी का घोषणा-पत्र तैयार करें, तो उसमें पहले शामिल करा देने की कृपा करें, जिससे आगे चलकर उनको यह बात मालूम हो सके कि यह उत्तर प्रदेश की जनता इसको पसन्द करती है या नहीं। इसके साथ मेरा अनुरोध है कि इसको किसी रूप में भी माननीय सदस्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी नौटियाल जी ने एक अपनी राय रखी कि एक पर्वतीय क्षेत्र बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, एक तरफ नेपाल का बार्डर, एक तरफ चीन का बार्डर और एक तरफ हमारे मध्यप्रदेश का बार्डर है। तो हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। इसलिए देश को हर हालत में मजबूत रखने की आवश्यकता है और हमारा प्रदेश भी मजबूत रहना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस संकल्प को किसी रूप में स्वीकार न करें।

*श्री खेरूल बशर—

मान्यवर, जब इस संकल्प पर विचार हो रहा था तो हमारे कुछ लोगों ने यह दलील दी और यह मंशा प्रकट की कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां अलगाव वाली ताकतें अपना सर उठा रही हैं। लेकिन मैं कल पंजाब से आया हूं अमृतसर गया था, सारी स्थिति देखकर आया हूं, आज भी चाहे कुछ भी हो जाय, पंजाब की 75 प्रतिशत जनता पंजाब का विभाजन नहीं चाहती है, वह पंजाब को भारत से अलग नहीं चाहती है। यही बात मैं आसाम के बारे में कह सकता हूं, वहां इतना पुराना झगड़ा है, जो लोग आन्दोलन चला रहे हैं और अन्य दूसरे लोग भी जिनके अन्दर असन्तोष है, जो केन्द्र सरकार के प्रति है, उसको समय पर ठीक प्रकार दूर किया जाता तो आज ऐसी बात न होती। जैसे त्रिपुरा में था, एक प्रजाति है, वह वहां के पुराने वाशिन्दे हैं, जो 20 परसेंट हैं, उनका ही एक भाग भारत से अलग होना चाहता है। कश्मीर में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर कभी उनको बढ़ावा देती है और प्रचार करती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है।

जहां तक, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है यह एक इकाई बहुत पुरानी है और एतिहासिक चली आ रही है। जब अवध राज्य था, तब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश काफी बड़ा इलाका, आगरा और अवध आदि इसमें था। तो यह इकाई बहुत पहले से चली आ रही है। एक भाषायी यह प्रदेश है। हिन्दी का जन्म इसी प्रदेश से हुआ है। यहां पर हिन्दी और उर्दू दोनों जबानें बोली जाती हैं। इसलिये मुझे कोई कमजोरी ऐसी नजर नहीं आती जिसके कारण यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

कहा जाये कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाय । सोवियट यूनियन में भी कई ऐसे बड़े बड़े प्रान्त हैं उजबेक, यूक्रेन साइबेरिया आदि, जहां कहीं पर भी प्रदेश के बटवारे का प्रश्न नहीं उठा, कोई समस्या वहां किसी तरह की बड़ा प्रोत होने के नाते नहीं उठी । चीन में भी इसी तरह के कई बड़े-बड़े प्रदेश हैं, वहां, पर भी ऐसी कोई चीज नहीं उठी । हां, पूर्वांचल के लोगों की यह भावना जरूर है कि उस क्षेत्र की उपेक्षा की आ रही है । ऐसी चीज अगर है है तो इसे दूर किया जाना चाहिये, न कि बंटवारे की बात करना । हां, अगर नये सिरे से भारत का बटवारा हो, नये प्रान्तों को बनाने का प्रश्न हो, तब कुछ सोचा जा सकता है ।

इस समय महाराष्ट्र भी बड़ा प्रान्त है, मध्य प्रदेश भी बड़ा प्रान्त है ऐसे और भी प्रान्त हैं, बगल में, बिहार है, अगर सभी प्रान्त इस तरह की बात करने लगेंगे तो फिर कोई अंत नहीं होगा । इसलिये उत्तर प्रदेश के विभाजन का मैं बुनियादी तौर पर विरोधी हूं । उत्तर प्रदेश की सरकार के कारण या दिल्ली की सरकार कारण जो अलगाव-वादी नीति है उसका विरोध होना चाहिये । हमें ो इस बात का आज गर्व है कि उत्तर प्रदेश में काशी है, यहां पर ऊंची-ऊंची चोटियां हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धाम हैं ताजमहल है और भी ऐसे-ऐसे स्थान हैं जिनके कारण हम गर्व कर सकते हैं । अगर इनको अलग कर दिया जायेगा तो हमारा प्राचीन गौरव ही नष्ट हो जायेगा इतिहास में अगर झांसी की रानी जिन्होंने 1857 की आजादी की लड़ाई लड़ी, मंगल पांडेय जिन्होंने देश का गौरव ऊंचा किया, इतिहास के अन्य ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने हिंद की आजादी में अपनी बलि दे दी, वे सब इसी प्रदेश में पैदा हुये हैं क्या हम इन सब को अलग कर देंगे । उत्तर प्रदेश के विभाजन से उन सब का संबंध इस प्रदेश से मिट जायेगा । इसलिये इसकी मांग करना उचित नहीं है, जो अलगाव वादी प्रवृत्ति पैदा हो रही है, इसका विरोध होना चाहिये इसको अगर कोई बल देता है, चाहे यहां की सरकार देती हो या दिल्ली की सरकार देती हो, उसका विरोध होना चाहिये । भिंडरावाला एक साधु ही तो है, वह मर्डर के केस में पकड़ा गया, जेल में बन्द हुआ, पता नहीं कैसे छूट गया । आज वह छूट कर सारी खुराफात कर रहे हैं ।

जब अकाली दल ने स्वीकार कर लिया कि हम एजीटेशन वापस लेते हैं । दिल्ली की सरकार से जो वार्ता हुई उसको स्वीकार कर लिया गया लेकिन फिर कतले आम शुरू हो गया और वह बड़े नाटकीय ढंग से हो रहा है । जिस दिन इस सारे षड़यंत्र को भारत की जनता समझ जावेगी कि कट्टरवादियों और अलगाव वादयों के पीछे कौन है उस दिन हिंदुस्तान की जनता उनको सबक देगी । तो मैं अपने प्रदेश के विभाजन की मांग का विरोध करते हुये सरकार से यह मांग करूंगा कि जितने पिछड़े जिले हैं, जहां पर उतना विकास नहीं है और जन असंतोष उठ रहा है उसको पूरा करने के लिये कदम उठाये जायं । इस विभाजन से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा । इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझको इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश हमारे देश की एक बहुमूल्य थाती है । मैं पूरे भारत के 14-15 राज्यों में गया हूं । उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य मिला जो दूसरे प्रदेशों से अलग है । यहां पर विभिन्न भाषाओं को

बोलने वाले लोग हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अनेक रीवाजों और धर्म के मानने वाले लोगों का यह प्रदेश है। यहां पर सब जाति के लोग भाईचारे से रहते हैं। अन्य राज्यों में कहीं पर क्षेत्र के नाम पर, कहीं पर निजी स्वार्थ को लेकर तरह-तरह की विभिन्नतायें देखने को मिलीं। हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जिस पर भारत सरकार आधारित है। हमारे देश में हमारे प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये इसके बंटवारे का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे प्रदेश के तीन चार भाग जैसे पठारी, पहाड़ी, मैदानी तथा तराई होते हुए भी हम एक हैं। हमारे यहां की पैदावार, दैनिक जीवन की वस्तुयें इस प्रदेश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाती हैं जिनसे लोगों का भरण-पोषण होता है।

मैंने देखा है कि दूसरे देशों के लोग भी उत्तर प्रदेश के रमणीय स्थलों को देखने के लिये आते हैं। हिमालय पर्वत के समीपवर्ती जो जिले हैं वहां पर अनेक पर्यटन केन्द्र बने हुए हैं और अनेक धार्मिक स्थान भी हैं। यहां पर बराबर लोग आया करते हैं और इससे हमारी अर्थिक स्थिति सुधारने में काफी सहायता मिलती है। हमें अपने निजी स्वार्थ राजनीतिक लाभ के लिये, निजी भावनाओं को उछालने के लिये और प्रदेश की प्रगति में अवरोध डालने के लिये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे या विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के बहुत से मुनि, तपस्वी, महान नेता, महापुरुष इसी प्रदेश में पैदा हुए हैं। जितने महापुरुष हैं वह ज्यादातर इसी प्रदेश में हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत के अन्य प्रदेशों के लोग विशेष मान्यता देते हैं और हमारे प्रदेश को देखने के लिये लालायित रहते हैं कि कैसे हम लोग उत्तर प्रदेश को देखें। हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, भारत की सरकार में बराबर प्रधान मंत्री और शासन को संचालित करने वाले लोग विशेष कर इसी उत्तर प्रदेश के हुए हैं।

तो ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि माननीय मोहन सिंह जी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, एक बहुत बड़े प्रदेश के बंटवारे के बारे में, यह उन्होंने गलत सोचा है। यहां उनको तो पहले अपने गांव, जमीन की बात सोचनी चाहिए।

एक साधारण बात मैं कहना चाहता हूं, उदाहरण के लिए कि क्यों नहीं, उन्होंने पहले सोचा कि मेरी जमीन कितनी है, घर-द्वार, दौलत कितनी अधिक है, उसको क्यों नहीं गरीबों में बांट दिया जाय। उसको उनको पहले बांटना चाहिये था मैं भाई खैरूलबशर को, जिनकी सुबुद्धि इस प्रस्ताव के विरुद्ध है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने राष्ट्र के हित की बात को सोच कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं अपने से अधिक उनके बोलने को महत्व दे रहा हूं। उन्होंने जो विचार रखे हैं और जिन भावनाओं को व्यक्त किया है, वह प्रदेश के हित में है। मैं इसके लिए उनको पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं पहले माननीय मोहन सिंह की जमीन से ही अपना भाषण शुरू कर रहा हूं। अफसोस है कि वह इस समय आज हमारे बीच सदन में नहीं हैं इससे साबित होता है किये खुद अपने ही प्रस्ताव के विरोध में सदन छोड़ कर चले गये हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें, क्योंकि यह प्रस्ताव प्रदेश के अहित में है।

मान्यवर, सदन की कोई राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश का कोई बंटवारा हो। मान्यवर, मेरा इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि हमारे प्रदेश की अपनी महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए इसकी एक अलग परम्परा है, एक

मान्यता है जिसका गौरव हम सभी को है, मान-मर्यादा है, हमारी एक सी भाषा एवं संस्कृति है, हमारी भावना कभी भी विशाल उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि एकता एवं विकास के लिए होनी चाहिए इन शब्दों के साथ में माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री रामेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने जो संकल्प के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि विधायक बनने के पहले मैं प्रदेश के बंटवारे के सम्बन्ध में बहुत बड़ा विरोधी था । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, बुन्देलखण्ड प्रान्त बनाने की जो एक समिति गठित है उसका सदैव मैंने विरोध किया है और मैंने कहा कि प्रदेश का बंटवारा देश के हित में, प्रदेश के हित में किसी प्रकार का औचित्य नहीं है, लेकिन मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सरकार है और जो यह वर्तमान सरकार है, यह अपनी प्रशासनिक दृष्टि को लेकर और विकास की दृष्टि से इस प्रकार से असफल है कि आज बुन्देलखन्ड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है अगर 30-40 वर्ष के सारे लोकतान्त्रिक प्रगति का हिसाब किया जाय, तो श्रीमन् जो आज बुन्देलखन्ड दैवीय संसाधनों से इतना परिपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र हर प्रकार से विकास के क्षेत्र में उसको ऊंचा उठाना चाहिए । लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र से भी बहुत पिछड़ा हुआ है और इस स्थिति में आज उत्तर प्रदेश का जो बुन्देलखन्ड का क्षेत्र है, वह मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड के क्षेत्र से लगा हुआ है ।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का जो बुन्देलखण्ड क्षेत्र है, आज उसका कोई भी गांव ऐसा नहीं है, जहां का विद्युतीकरण न हो गया हो और जो भी पानी उपलब्ध है, आज उन्हीं लिफ्ट योजना के माध्यम से जो कि बुन्देलखन्ड के निवासी हैं, उनके खेतों को पानी पहुंचा दिया है ।

उत्तर प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड की इस प्रकार से उपेक्षा कर रही है कि आज जो सिंचाई मन्त्री ने बजट भाषण में आंकड़े रखे हैं, उसमें केवल 30 प्रतिशत बुन्देलखण्ड के खेतों को पानी प्राप्त हो पाता है । आज उद्योग की स्थिति आप देखें । ललितपुर जनपद में एक भी इकाई नहीं है, उरई जनपद में एक भी इकाई नहीं है, हमीरपुर जनपद में एक भी इकाई नहीं है बांदा जनपद में भी एक इकाई नहीं है । इसके बाद आप वहां के प्राकृतिक स्रोतों को देखें, वहां की वन सम्पदा को देखें । जो अल्मोनियम की खदान है, जो पत्थर की खदानें हैं, आज उत्तर प्रदेश शासन उन खदानों को ठेकेदारों को दे रही है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के ठेकेदारों को दिया गया । बुन्देलखण्ड अपनी वनसम्पदा के आधार पर उत्तर प्रदेश के अन्दर आज सबसे अधिक विकास कर सकता है । उसकी सारी सम्पदा जा रही है ।

मैंने उत्तर प्रदेश के बंटवारे का समर्थन न करते हुए भी, मेरे दिल की जो भावना है, बुन्देलखण्ड की जनता की जो मांग है उसको सदन में रखा है । बुन्देलखण्ड की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बैठने वाली चाहे कोई सरकार हो और यह वर्तमान सरकार आज हमारे विकास की उपेक्षा कर रही है तो आत्मनिर्भर बनने के लिए विकास करने के लिए हमारे प्रदेश को अलग बना दिया जाय । हम छोटे रूप में रहेंगे लेकिन 5 साल के अन्दर अपने संसाधन के आधार पर, मान्यवर, आप आंकड़ों को देखें, आज उत्तर प्रदेश सरकार को जो राजस्व जो आमदनी बुन्देलखन्ड से मिलती है, अगर वह पैसा बुन्देलखण्ड को वापस कर दिया जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में कह सकता हूं कि 2 वर्ष के अन्दर बुन्देलखन्ड क्षेत्र का कोई खेत सिंचाई से वंचित नहीं रहेगा। मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन में रखा था। मैंने जानकारी दी थी कि बुन्देलखन्ड का जो वनवासी है आज वह उजड़ा हुआ है। वह अपना भरण पोषण सारी जिन्दगी वन के सम्पत्ति से करता था। बुन्देलखन्ड में सकड़ों तालाब हैं। हमारे यहां जिसकी कहार, धीमान नाम से पुकारा जाता था, वह दो काम करते थे एक तो सिंघाड़ा को पैदा करना, कमल वेल की जड़ों को निकालना और दूसरा मछलियों का पालन। रियासत काल में उन तालाबों का अतिक्रमण नहीं हुआ न बंटवारा हुआ। कोई नापतौल नहीं थी। वह लोग मछली पकड़ते थे और 2-3 किलो बाजार में ले जाते थे। और अपना भरण-पोषण करते थे। इन सभी तालाबों को चाहे सिंचाई विभाग के हों चाहे वन विभाग के हों, ठेकेदारों को नीलाम कर दिया गया और कहां के ठेकेदारों को कानपुर, लखनऊ, आगर के ठेकेदार वहां पहुंच गये।

आज हमारे यहां दो करोड़ की मछलियों का ठेका हुआ है। लगभग 50 हजार परिवार बुन्देलखन्ड में भूख से परेशान हैं। इसी प्रकार कत्था, चिरौंजी आदि जो वन क्षेत्र में उपज होती थी, उसके हजारों की संख्या में वनवासी सियार जाति के लोग अपना भरण पोषण करते थे क्योंकि उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। इसी प्रकार से बुन्देलखन्ड क्षेत्रों में अनेकों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज वन विभाग उनको फल भी तोड़ने नहीं देता है। मान्यवर, हमारे बुन्देलखन्ड क्षेत्र की 30 प्रतिशत आबादी के लोग भूखे रहने को मोहताज हो गये हैं। श्रीमन, मैंने सदन में अनेक प्रश्नों के माध्यम से इस बात को रखा है कि इस पर विचार करें। मान्यवर, उसी के बगल में मध्य प्रदेश क्षेत्र है वह हमसे कई गुना विकास की ऊंचाई पर है। इस प्रशासन की ओर से बुन्देलखण्ड क्षेत्र की उपेक्षा होती है, तो वहां की जनता की भावना होती है कि जो छोटे-छोटे प्रदेश बने हुए हैं वह विकास की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। यह जनता की भावना है मुझे कहना पड़ता है। अगर आप बुन्देलखण्ड की उपेक्षा यूं ही करते रहे तो बुन्देलखन्ड में भयंकर से भयंकर आन्दोलन वहां खड़ा हो जायेगा और प्रदेश को फिर बाध्य होना पड़ेगा कि उसके विकास के लिए सोचे। क्योंकि बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं। उससे कोई लाभ नहीं है। मध्य प्रदेश का जो बुन्देलखंड का हिस्सा है उसको मिला करके प्रदेश की इकाई हो सकती है।

मैं आज माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव पर सहमत न होते हुए भी इस बात पर जोर देता हूं कि बुन्देलखंड, जो इस प्रदेश के हित में है उसको प्रदेश बनाना चाहिए। बुन्देलखंड में उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश को मिला करके प्रदेश इकाई बनाई जाय तो बहुत से हमारे पानी के स्रोत हैं जो हमारे बुन्देलखंड को नहीं मिल पाता है, उसका समाधान हो सकता है। इसी तरह से अनेक कारण हैं। मैं माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव से सहमत न होते हुए केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बुन्देलखंड के हित में बुन्देलखंड प्रदेश का निर्माण किया जाय।

*श्री जिया राम शुक्ल "विकल साकेती"--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मोहन सिंह द्वारा रखा गया था और जिस पर चर्चा जारी है इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने दो-तीन माननीय सदस्यों के भाषण को सुना। अभी-अभी माननीय अग्निहोत्री जी बोल रहे थे। जहां वह पार्टी को तोड़ने के पक्ष में हैं और प्रदेश को बांटने के पक्ष में हैं यह बात समझ में नहीं आई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, माननीय सदस्य से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरा नाम लिया है। मने यह कहा है कि देश के हित में है। बुन्देलखंड क्षेत्र के विकास की आवश्यकता है।

श्री जियारामशुक्ल "विकल सांकेती"—

यह बहाना तो बना ही देंगे।

मान्यवर, एक पुरानी कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की :—

मेरे नगपति मेरे विशाल,
साकार दिव्य गौरव विराट
पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल,
मेरी जननी के हिमकरीट
मेरे भारत के दिव्य भाल।

मान्यवर, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ी जाए तो उन्होंने लिखा है पूरे देश के प्रति लेकिन लागू प्रदेश के लिए हो जाता है। और हमारा उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। जिसकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, परम्पराएं हैं, इसमें अगर कहीं से घटाव बढ़ाव होता है तो यह मेरी समझ से देश के हित में नहीं है।

माननीय खैरुल बशर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसकी सराहना करता हूं। कुछ बातें मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र भी बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं तो जनसंख्या के हिसाब से तो अन्य प्रदेशों के मुकाबले जरूर बड़ा है। इस लिए मेरी समझ में बटवारा करने की कोई विशेष बात समझ में नहीं आती। और भी बड़े-बड़े प्रदेश हैं। आपको कलकत्ता और बंगाल जाने का अवसर मिला हो तो आप जानते होंगे कि बंगाल वाले, कलकत्ता वाले उत्तर प्रदेश वालों को हिन्दुस्तानी कहते हैं यानी उत्तर प्रदेश माने हिन्दुस्तान। बम्बई के लोगों की कलकत्ता के लोगों की इसी तरह की भावना है। जिस तरह से मान्यवर, गांव में जो बड़ा परिवार होता है, वह बड़ा परिवार अपने आपसी घरेलू अन्तर्द्वंद्वों के होते हुए भी पूरे गांव के लिये मार्ग-दर्शक होता है, पूरा गांव उसकी राय से चलता है, पूरे गांव की सुरक्षा, रीति नीति, रिवाज उसके माध्यम से होते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में जो और छोटे-छोटे प्रदेश हैं, उनको एक सूत्र में बांधने के लिये उत्तर प्रदेश का एक बना रहना और शासन व्यवस्था का इसी प्रकार रहना अनिवार्य है।

इसी प्रकार एक बात वैज्ञानिक भी है। एटम में विस्फोट तब होता है, जब उसके केन्द्र में किसी प्रकार का विस्फोट करा दिया जाता है। विस्फोट से उसके बाहर की तरफ परिधि में जितनी शक्तियां होती हैं, बिखर जाती हैं, और उससे इतना बड़ा विस्फोट होता है जो बहुत बड़ी तबाही ला देता है। यह एक वैज्ञानिक फार्मूला है। इस देश में हमारा उत्तर प्रदेश भारत देश का केन्द्र है और इसके केन्द्र बिन्दु में किसी प्रकार का बंटवारा या विस्फोट किया गया तो यह निश्चित है कि इसकी परिधि में जितनी शक्तियां हैं, बिखर जाएंगी। आज लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हर प्रदेश का अपना-अपना शासन हो जाय और देश की एकात्मकता समाप्त हो जाय, इसलिये मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध करना चाहता हूं कि प्रदेश का बंटवारा देश के हित में नहीं है। यह सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है और इससे देश का कोई लाभ नहीं होगा।

भाषा का जहां तक सवाल है यह अनेक क्षेत्रीय बोलियों के साथ हिन्दी भाषी प्रदेश है। और भी हिन्दी भाषी प्रदेश हैं, लेकिन यह मूल है। यहीं से संस्कृति निकली है, अवतारवाद यहीं से निकला है, सिद्ध यहीं से हुए हैं, तीर्थ भाषा, संस्कृति आदि सब में पूरे देश में एकात्मकता कोई यदि कर सकता है

तो उत्तर प्रदेश ही कर सकता है। और दूसरे प्रान्त तो खिचड़ी व्यवस्था में पड़े हैं।

इस देश को बचाने के लिये देश की रक्षा के लिये उत्तर प्रदेश का बटवारा ठीक नहीं है, इसको प्रशासकीय इकाइयों में बांटना किसी कीमत पर सही नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यहां बात कहते हुए पिछड़ेपन की बार-बार चर्चा की जाती है। प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यह सही है, लेकिन इसी प्रदेश में अगर पश्चिम के इलाके में देखा जाय और पूर्व को देखा जाय, तो दोनों में जो फर्क है, इसलिये पिछड़ापन लगता है। यह आदमी के रीति-रिवाज संस्कृति और रहन सहन से जुड़ा हुआ है। पिछड़ापन कोई बीमारी नहीं है और यदि कोई व्यक्ति तेज होगा, समझदार होगा तो अपना पिछड़ापन जल्दी से दूर कर लेगा।

इस प्रकार जो कारण थे मैंने बताये। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शादी 6 घंटे में हो जाती है, परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश में शादी 60 घंटे में होती है। इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें भी पिछड़ गया। पिछड़ापन हमेशा संस्कृति से जन्म लेता है और एक औद्योगिक चरित्र होता है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब पिछले सप्ताह माननीय श्री मोहन सिंह जी के इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो उसी समय मैं बोल रहा था और माननीय अध्यक्ष जी आ गये। तो उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दी थी कि जिनका यह प्रस्ताव आया है, उनको सदन में रहना चाहिए। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि माननीय श्री मोहन सिंह जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। दूसरा मान्यवर, कोरम नहीं है, इसलिए कोरम के अभाव में सदन का चलना न्याय संगत नहीं है, इस पर कृपया आप व्यवस्था देने की कृपा करें?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्री मोहन सिंह जी के प्रस्ताव के ऊपर केवल परस्युएशन था, कोई कम्पलशन नहीं किया गया था कि उन्हें यहां पर रहना चाहिए। जहां तक कोरम का प्रश्न है 1 से 3 बजे तक कोरम का ख्याल नहीं किया जाता है। और अभी 3 नहीं बजे हैं।

श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"--

मान्यवर, मैं औद्योगिक चरित्र और औद्योगिक इकाई के बारे में कह रहा था। पीलीभीत के इलाके में दोनों तरफ के शरणार्थी बसाये गये थे--पंजाब के भी और बंगाल के भी। बंगाल के सारे शरणार्थी अपनी-जमीन, फार्म बेचकर चले गये, यहां तक की जो मकान बनाये गये थे, उनकी लकड़ियों को भी जलाकर समाप्त कर गये। वहीं दूसरी ओर पंजाब के शरणार्थियों ने परिश्रम से जमीन को बढ़ाया, और पैसे से ट्रैक्टर खरीदा। इसलिए मेरा निश्चित मत है कि औद्योगिक चरित्र होने पर ही विकास होता है और श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सदन से और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में और प्रदेश में जो रीति-रिवाज हैं और जो परम्परायें हैं, उनमें कुछ परिवर्तन कराया जाय और लोग औद्योगिक होने की दिशा में आगे बढ़ें। तभी पुराने रीति-रिवाजों से जो पिछड़ापन है, वह दूर हो सकेगा और तभी इस प्रदेश का कल्याण होगा, जिसकी नकल दूसरे प्रदेश भी करेंगे।

मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां काफी आदिवासी लोग रहते हैं। झांसी के आगे बीना जाते समय जंगलों में गरीब मजदूरों की औरतें लकड़ियों के छोटे-छोटे गठरे लेकर, और उनको गाड़ियों में लादकर बीना ले जाती हैं। पीठ पर उनका बच्चा होता है। उस गठरी को बेचकर वह अपना खाना-पीना चलाती है।

एक सदस्य—

आपकी जो सरकार यहां 35 साल रही, उसकी देन है।

श्री जिया राम शुक्ल "विकल साकेती"—

35 साल में तो सरकार ने बहुत कुछ नक्शा ही परिवर्तित कर दिया। आपको चूंकि वहां दिखाई पड़ता है, तो क्या कहा जाय। अगर ऊंट को मान्यवर, नन्दन बन में पहुंचा दिया जाय, उसको वहां बबूल का पेड़ ही दिखेगा, उसको नन्दनवन के फूलों से मतलब नहीं है।

इन शब्दों के साथ मान्यवर मैं पुनः इस बात का जोरदार समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर भी नहीं होना चाहिए। देश की एकता, स्वतन्त्रता, दृढ़तर-सांस्कृतिक परम्परा के लिये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश यथावत् स्थिति में रहना चाहिये।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

इस चीज पर तो आप कह चुके हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए।

*श्री नरेन्द्र सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मोहन सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे-संकल्प को इस रूप में रखा है। मान्यवर, यह जो संकल्प प्रस्तुत है, इसकी बाबत मैं 2-4 बातें कहना चाहूंगा। क्योंकि ठीक तीन बजते ही, बाजपेयी जी यहां बैठे ही हुए हैं, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले हैं कोरम का तो, इसलिए मुझे संक्षेप में अपनी बात कहनी है।

मान्यवर, यह कहना कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो, कितनी उसकी प्रशासनिक इकाइयां हों, यह कोई नई बात नहीं है। आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे अधिवेशनों में यह मांग बराबर रखी जाती रही है और उसका कारण था कि अंग्रेजों ने मनमाने ढंग से कुछ प्रान्तों का गठन किया था। मुझे ठीक याद नहीं है कि किन-किन वर्षों में, लेकिन अनेक वर्षों में इस मांग को पुरजोर ढंग से रखा गया है। आजादी को दृष्टि में रखते हुए स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मान्यवर, 1953 में स्टेट्स रिअर्गनाइजेशन कमीशन की स्थापना की थी, सैय्यद फजील साहब इसके चेयरमैन थे। तब मैं बच्चा था, जब यह कमीशन उत्तर प्रदेश में आया था और विशेष रूप से मेरठ में आया। मैं विद्यार्थी था उस समय। मुझे भी उस कमीशन को सुनने के लिये जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कमीशन में डाक्टर कुंजरू सदस्य थे और एक पननीकर, जो चायना में एम्बेसडर रहे हैं, वह उसके सदस्य थे। इन दोनों लोगों का मत यद्यपि इसके पक्ष में नहीं था लेकिन डाक्टर पनीकर साहब का उसकी बाबत एक लम्बा नोट है और टिप्पणी भी उन्होंने इसकी बाबत बहुत अच्छे तरीके से की है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने इस बात की पुरजोर अपील की थी और मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, इसकी प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए, इसका कम से कम तीन भागों में विभाजन होना चाहिए।

मैं मान्यवर, एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र बिल्कुल पंजाब हरियाणा से मिला हुआ है। मान्यवर, पहले जो पंजाब था, वह तीन भागों में विभक्त हुआ, हरियाणा और हिमांचल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश उससे निकले । 20-25 वर्ष पहले हरियाणा पंजाब का भाग रहा । वह इतना बैकवर्ड था कि हमारे क्षेत्र के किसी भी बिरादरी का आदमी वहां अपने लड़के या लड़की की शादी वहां करना अपने सामाजिक स्तर से नीचा मानता था चाहे उनमें व्याप्त अशिक्षा की वजह से, खेती बाड़ी भी उनके पास कोई ज्यादा नहीं थी । मान्यवर, अब आपने हरियाणा को स्वयं देखा होगा, बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने हरियाणा को देखा होगा ।

आज हरियाणा, पंजाब के बाद दूसरी स्टेट है, जो इन वर्षों में इतना बेहतर विकसित हुआ है । वहां के खेत देखें, सड़कें देखें, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली और सड़कें तथा हास्पिटल्स न हों । इतना विकास वहां का हुआ है । पहले वहां सिर्फ 6-7 जिले थे, बाद में उन्होंने इनको और अधिक जिलों में विकसित किया, जिससे ऐसा सम्भव हो सका । बावजूद इसके कि उससे भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है, वहां का विकास तीव्र गति से हुआ है ।

हिमाचल और पंजाब में भी ऐसा ही है । पंजाब, पर कैपिटा इन्कम के हिसाब से और हर दृष्टि से विकसित स्टेट है । एक बात और कहना चाहूंगा, वाजपेयी जी ने इमोशनल बात कही कि भारतीय संस्कृति का घर उत्तर प्रदेश है । भारतीय संस्कृति को अगर बंटवारे से चोट पहुंचती है तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इसका विरोध करूंगा । जहां तक राम और कृष्ण की धरती पर जन्म लेने की बात है, भगवान राम और कृष्ण की जिस संस्कृति पर गौरव करते हैं, उसके मानने वाले पंजाब में गुजरात में उत्तर प्रदेश से कम नहीं हैं, अधिक ही हैं । संस्कृति ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बांटा जा सके । अगर हम काश्मीर में जाते हैं तो शंकराचार्य का मन्दिर है, दक्षिण में तिरुपति का मन्दिर है । दक्षिण के लोग उत्तर में जाते हैं और उत्तर के लोग दक्षिण में जाते हैं । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि सारे देश की यूनिटी को उत्तर प्रदेश बनायेगा । यह एक अहंकार है । जिस ताकत के बल पर कि हम बड़ी यूनिट हैं, 425 एम0 एल0 एज0 हैं, प्रधान मन्त्री उत्तर प्रदेश से हैं, इस कारण देश की एकता को खतरा पैदा होगा, यह गलत है । यह ख्याल कि हमारी संस्कृति यहां से मिट जायगी, यह बात बिल्कुल गलत है । रही विकास की बात मैं नहीं कहता कि पश्चिम में रेवेन्यू इकट्ठा होता है और पूर्व में लग जाता है । पश्चिम में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जो पूर्व से भी ज्यादा बैकवर्ड हैं ।

मैं कह रहा हूं कि सारे प्रदेश में इतने उद्योग धन्धे नहीं लगे, जितने प्रधान मन्त्री की कांस्टीटुएन्सी में और मुख्य मन्त्री की कांस्टीटुएन्सी सुल्तानपुर में लगाये गये । इन्दिरा जी का जो नारा है कि उनके हाथ मजबूत कीजिये, तो छोटी स्टेट होगी, तब भी प्रधान मन्त्री के हाथ मजबूत करने में कोई दिक्कत नहीं आयगी । इसी प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहां पर कोई कमीशन बैठा दीजिये । इन प्रान्तों को अगर छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाय तो केन्द्र भी मजबूत होगा और हर प्रदेश का, जैसे बुन्देलखन्ड का मसला माननीय अग्निहोत्री जी ने उठाया, विकास होगा । निश्चित रूप से केन्द्र सरकार से इसके लिये संस्तुति की जानी चाहिये ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि प्रशासकीय दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, लिहाजा इसको छोटे-छोटे आकार में चार भागों में विभाजित कर दिया जाए । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय सदन में कोरम पूरा नहीं है ।

[कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।]

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपसे यह कह रहा था कि मोहन सिंह जी बहुत योग्य और विद्वान आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है तो मान्यवर, उन्होंने ऐसी बात कही है अपने संकल्प के माध्यम से जो कि सरकार को जगाने के लिए, सरकार में नई चेतना लाने के लिए, नई चेतना पैदा करने के लिए है । इसी दृष्टि से उन्होंने यह संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है । नीयत उनकी साफ है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसमें जो यह जोड़ दिया है कि इसको चार हिस्सों में बांट दिया जाय, मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता हूं ।

श्रीमन्, इस विषय पर उस दिन काफी चर्चा हुई थी और आज फिर इस पर चर्चा करने का मौका मिला है । अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे और उन्होंने यह कहा और यह बात सही कही कि जब कांग्रेस की हुकूमत रही तो हम लोगों ने देखा है, कई बार ऐसे मौके आये हैं कि चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे, संगठन के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, ऐसे पहलुओं पर विचार करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था पैदा की जाय, ऐसा कौन सा काम किया जाय जिससे कि इस प्रदेश की तरक्की हो सके, यह विचार निरन्तर चलते रहे । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तरक्की के नाम पर इस प्रदेश का बटवारा कर दिया जाय, देश के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायं ? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ।

हमारी जो संस्कृति है उसमें एक भावना अन्तर्गस्त रहती है । जैसे एक परिवार बहुत बड़ा होता है, लम्बा होता है तो तमाम बातों की कठिनाइयां सामने आती हैं और उन कठिनाइयों को रहते हुए, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने सारे संघर्षों का सामना किया है । ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि थोड़े से आराम के लिए, थोड़ी सी सुख और सुविधा के लिए उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । प्रदेश का बंटवारा कर दिया, गंगा-यमुना का बंटवारा कर दिया, राम-कृष्ण की धरती का बंटवारा कर दिया । मान्यवर हम ऐसा नहीं चाहते हैं ।

अभी हमारे खैरुल बशर साहब ने एक सुझाव दिये और उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली को स्वर्ग बनाया जा रहा है । मान्यवर, उनको इस बात की खुशी होनी चहिए कि वह भी उन्हीं के प्रदेश का भाग है, उन्हीं के देश का हिस्सा है, वह भी उन्हीं का घर है । अगर कोई भी ऐसा कहता है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

वाह वाह ।

श्री अध्यक्षता--

भाषण के दौरान कोई रनिंग कमेन्ट्री नहीं होनी चाहिए ।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र--

मान्यवर, हो यह रहा है कि हमारे सामने जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जैसे रियासत भाई, भीखा लाल जी तो कभी यह विचार होता था कि हम लोग उनसे कुछ सीखें कि कैसे वो लोग समस्याओं का निस्तारण करते हैं, मान्यवर, हम ऐसी भावना ले कर आते हैं लेकिन हमारी वह भावना कल्पना ही रह गयी । जिनके लिए आचार संहिता की बात आती है तो उनके द्वारा ऐसी भावुकता नहीं होनी चाहिए । यह समस्या है, इसका समाधान ढूंढना चाहिए ।

मान्यवर, औद्योगिक विचारों का जहां तक सवाल है किसी देश की तरक्की के लिए, किसी देश की बहबूदी

के लिए तो वह समान हैं कि हम अपने विचारों में परिवर्तन लायें, विचारों को परिवर्तित करें । ऐसा नहीं कि प्रदेश के बंट जाने से हिन्दुस्तान के सारे पूंजीपति घट करके सारा हिन्दुस्तान पूंजीपति हो जायेगा । । अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी केवल कल्पना है । टाटा और बिड़ला का बहुत नाम लिया जाता है अगर उन्हें समाप्त कर दें तो क्या आप पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को टाटा और बिड़ला बना देंगे यह कभी सम्भव नहीं है और कभी आप ऐसा कर नहीं सकते हैं । इसलिए मान्यवर, विचारों के आदान प्रदान में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--
आप क्या बोल रहे हैं ?

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मैं वही बोल रहा हूं, जो आपको समझना चाहिए । इस प्रदेश के बटवारे का सवाल पैदा नहीं होता है, एक साथी बुन्देलखंड की बात कह रहे थे कि हमारे यहां पर खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, मछली है और तमाम साधन हैं, लेकिन साधनों के बावजूद ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मिश्रा जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं और कुशवाहा जी समझ नहीं पा रहे हैं । मेरा निवेदन है कि अपनी मानसिकता और बौद्धिकता का विकास करें और मिश्रा जी की बातों को हृदयंगम करें ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, कुशवाहा जी के लिए अलग से स्कूल खोलना पड़ेगा [× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए । किसी अनपार्लियामेन्टरी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मैंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

आप बैठें, टी0 बी0 के रोगी हैं, ज्यादा बोलेंगे तो बीमार हो जायेंगे ।

श्री खैरुल बशर--

डाक्टर होकर ऐसी बात कहेंगे, तो अच्छी बात नहीं है ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

दवा कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

रनिंग कमेन्ट्री नहीं करनी चाहिए, किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहिए ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

तो मान्यवर, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस बटवारे का कोई सवाल नहीं है और अगर इसे सक्षम बनाना है, इसकी तरक्की करना है, देश को आगे ले जाना है, इसको दिशा देना है तो सरकार के माध्यम से अपील करें । श्री मोहन सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उससे उन्होंने सरकार को जगाया है कि प्रदेश की तरक्की होनी चाहिए । प्रदेश में व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए सही बात है, लेकिन जहां तक प्रदेश के बटवारे का सवाल है तो कोई औचित्य उसका नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय, मोहन सिंह जी ने जो संकल्प रखे हैं, मैं उसका समर्थन करता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं। मान्यवर जब 1952 में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जो मुख्य मन्त्री थे, उसी क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, श्री हरगोविन्द पन्त जी भी वहीं से चुनकर आते थे। पं0 हरगोविन्द पन्त जी इसी सदन में संकल्प लाये थे कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है और कुछ भागों में बांट दिया जाये। जब उन्होंने संकल्प रखा तो पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त ने उनको अपने कमरे में बुलाया और उनसे कहा कि हरगोविन्द क्या तुम इतने बड़े प्रदेश का मुझे मुख्य मंत्री नहीं देखना चाहते हो, उन्होंने उस संकल्प को वापस ले लिया था। भारत सरकार जब यह देख रही है कि देश के प्रशासनिक और विकास के लिए आवश्यक है कि इस में एक आयोग बैठाया जाय। राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था, जिसका हवाला एक माननीय सदस्य ने दिया। पालेकर जी, हैदर अली, हृदय नाथ कुंजरू उसके सदस्य थे। पालेकर जी ने यह कहा था कि प्रदेश के विकास के लिए यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो और इसको छोटे-छोटे भागों में बांटा जाये।

मेरी समझ में नहीं आया जो सदस्य यह सोचते हैं कि यदि प्रदेश का बंटवारा हो जायेगा तो वह कमजोर हो जायेगा और हमारी संस्कृति नष्ट हो जायेगी। और हम बिखर जायेंगे। पता नहीं किस तरह से सोचते हैं। आज जितने भी उन्नतिशील राष्ट्र हैं अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जितने भी पाश्चात्य देश हैं उन्होंने अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए छोटे-छोटे राज्य बनाये। इसका उदाहरण हमारे देश में भी है। बम्बई पहले एक बड़ा राज्य था। मान्यवर, आप जानते हैं कि वहां के लोगों की स्थिति ठीक हमारी जैसी थी जैसी कि पूर्वी, पहाड़ी और बुन्देलखंड के लोगों की है। मराठी लोग ज्यादातर घरेलू काम करते थे, बरतन मलते थे और दक्षिण भारत के लोग ऊंचे-ऊंचे पदों पर थे और उनके ऊपर हावी थे। प्रधान मंत्री उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। वे राजी नहीं हुए। इस पर उन्होंने आन्दोलन किया और उसमें हजारों लोग मारे भी गये और कुछ लोग बेघरबार भी हो गये। अन्त में दो राज्य बने। एक महाराष्ट्र तथा दूसरा गुजरात। आज गुजरात भी अपने ढंग से तरक्की कर रहा है और महाराष्ट्र भी कर रहा है। वह पर विकास हुआ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया हरियाणा का। उनका इलाका हरियाणा से लगा हुआ है। इसी तरह से पर्वतीय अंचल से लगा हुआ हिमाचल प्रदेश है। उसकी हमसे कई गुना गुजरी हालत थी लेकिन आज हिमाचल प्रदेश जैसा कि माननीय विद्या सागर नौटियाल ने उदाहरण दिया मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन आज हिमाचल प्रदेश हमसे कई गुना आगे है। मैंने कई बार इस बात का यहां पर जिक्र किया। हमारा इलाका तिब्बत से लगा हुआ है सीमा और गरब्यांग। वहां से हम लखनऊ के लिए चलें तो चार दिन में पहुंचते हैं। मान्यवर, अभी बीच में खाद्यान्न के मामले में एक प्रश्न आया था। पहले वहां पर 8 किलो प्रति यूनिट दिया जाता था और अब सरकार ने इसे दो किलो कर दिया और वह भी नेपाल को चला जाता है उन लोगों को नहीं मिल पाता है। आज जितनी भी योजनायें पर्वतीय अंचल में बन रही हैं उनके बारे में मैंने कई बार पर्वतीय विकास मंत्री जी से कही, सचिवों से कही डाइरेक्टरों से कही लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

विश्व बैंक के माध्यम से पेयजल योजनायें बन रही हैं। एक योजना तिलो-रचोट बन रही है जिसके लिए 57 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। सन् 82 में वह योजना पूरी हो जानी चाहिए थी। मैंने इसके बारे में प्रश्न किया था कि कितना रुपया इस योजना के लिये स्वीकृत हुआ था, कितना

खर्च हो गया है, कब तक वह योजना पूरी हो जायेगी और कितने रुपये की आवश्यकता इसके लिये और होगी। इस पर सरकार ने यह जवाब दिया था कि 57 लाख रुपये इसके लिये स्वीकृत हुआ था और सन् 82 मे इसको पूरा होना चाहिए था। 1 करोड़ 11 लाख रुपये इसमें अप्रैल तक खर्च हो गये हैं और अभी इस योजना पर और खर्च होगा। मेरा विश्वास है कि लगभग 40/50 लाख रुपया इस योजना पर और खर्च होगा।

इसी तरह से सड़कों, स्कूलों और रोजगार की बात है पर्वतीय अंचल की यह स्थिति है कि वहां का नौजवान लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई और दूसरे शहरों में मारे-मारे फिर रहा है। आज वहां का एम0 ए0 पास लड़का घरों में नौकरी कर रहा है। हिल कैडर की बात सरकार ने इसी लिये चलाई थी ताकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वहीं के लोग रखे जायेंगे वह व्यवस्था भी नहीं की गई और उससे समस्या का हल नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि पहाड़ों पर बलिया और देवरिया से अध्यापक आते हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा प्रस्ताव है कि चूंकि इस पर डेढ़ दिन चर्चा हो गयी इसलिये मैं क्लोजर मूव करता हूं..

श्री अधिष्ठाता--

इस पर अभी कुछ और माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं। इसलिये चलने दें।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, आदरणीय विष्ट जी बोल रहे हैं और अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भारत के इस महान प्रदेश उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के प्रायः स्मरणीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, भारत नाट्य के सम्राट पंडित हेमवती नन्दन बहुगुणा और इस देश की महान विभूति पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग यहां पर शासन कर चुके हैं। अब कौन सी भूख विष्ट जी की रह गयी है जो पूरी नहीं हुई। क्या वह स्वयं कुछ बनना चाहते हैं जो बंटवारा कराना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यहीं लौबी में कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से प्रश्न किया विष्ट जी पर्वतीय अंचल से 4 मुख्य मंत्री हो गये हैं और वे चार मुख्य मंत्री वहां का विकास नहीं कर सके तो क्या अब अलग राज्य बना कर वहां का विकास हो जायेगा। तो मैंने जवाब दिया कि मैं एक छोटा आदमी हूं इस प्रदेश से हिन्दुस्तान के 4 प्रधान मंत्री हो गये हैं और आज उत्तर प्रदेश की हालत अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे गयी गुजरी है। मुझे पूर्वी जिलों में आने का मौका मिला है स्टेशनों में बच्चे बूढ़े औरतें मजदूरी करने के लिए पंजाब के लिए जाते हैं, रेलगाड़ियों की छतों के ऊपर चढ़ कर जाते हैं। अगर राज्य के चार हिस्से हो गये होते तो वहां का विकास हो गया होता और वहां के लोगों को सम्मान मिला होता। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश से सैकड़ों लोग मजदूरी करने के लिए यूरोप या दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां पर उनकी दुर्दशा हो रही है। मेरा मतलब यह है कि भारत सरकार को सुमति आये और हमारी प्रदेश सरकार प्रस्ताव करके भेजे कि राज्य का पुर्नगठन किया जाय छोटे-छोटे राज्य होने से हमारी उन्नति होगी जैसे दूसरे प्रदेशों में हुआ है।

अभी यहां पर मामला आया चमोली में गोलीकांड हुआ वहां पर भौटिया मांग करने लगे कि यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम तिब्बत से मिल जायेंगे क्योंकि वह तिब्बत से जुड़ा हुआ इलाका है। इसी तरह यहां पर बात आई थी मुजफ्फरनगर के बारे में कि वहां की फसल हरियाणा के लोग

काट ले जाते हैं । इसी तरह बलिया के इलाकों से बिहार के लोग फसल काट ले जाते हैं जिसकी उचित व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पा रही है । इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी है कि इस प्रदेश को छोटे हिस्सों में बांटा जाय, चार हिस्सों में बांटा जाय तो यहां का विकास हो सकता है । जब तक ऐसा नहीं होगा इस प्रदेश के लोगों की हालत नहीं सुधरेगी । यहां पर झगड़े होंगे । यों यहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बलात्कार, डकैतियां हो रही हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है, कोई गिरफ्तारियां सरकार द्वारा नहीं हो रही हैं । कल नगर विकास मंत्री जी ने कहा था भ्रष्टाचार होता रहा है, होती है और होता रहेगा, जो उनको नहीं कहना चाहिये था, उनको कहना चाहिये था कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा । हमारे कहने का मतलब है कि अगर छोटे-छोटे राज्य बनाये गये तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा क्योंकि प्रशासन पर पकड़ रहेगी । डकैतियां नहीं होंगी चोरियां नहीं होंगी, अपराधी लोग पकड़े जायगे । इन शब्दों के साथ में जो माननीय मोहन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है उसका हृदय से समर्थन करता हूं और और मांग करता हूं अगर उत्तर प्रदेश को न बांटना हो तो हमारे 8 जिलों का अलग राज्य बनाया जाय ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं वे उत्तराखंड क्रान्ति के अकेले सदस्य हैं तो क्या उनका विचार है कि अलग पहाड़ी प्रदेश बन जाने से वह मुख्य मंत्री बन जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

जी नहीं, ब्रह्मदत्त जी को मुख्य मंत्री बना कर आपको मंत्री बनायेंगे ।

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, आपने मुझे मोहन सिंह जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मोहन सिंह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और वह भी शासन में रह चुके थे अगर वे इस बुद्धिमता को अपने शासन में प्रयोग करते तो ज्यादा बेहतर रहता । भारत में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जिसकी आबादी 11 करोड़ है और इसमें 3 करोड़ जनसंख्या अनुसूचित जाति, जनजाति की है अछूतों की है अगर वे लोग एक ही जाति के लिए कहते कि हमें अलग से अछूतिस्तान दे दिया जाय तो क्या होगा । जिस प्रकार से इस देश में पाकिस्तान बना जिसे जिन्ना साहब ने बनवाया दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान की मांग की गयी । वह भी वहीं बन गया और बीच में इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों की भी संख्या है ।

यदि इसे चार हिस्सों में बांटना शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि एक तरफ अछूतिस्तान और मध्य में पाकिस्तान की मांग की जायेगी । तो इस प्रकार से जो यह संकल्प आया है, इसको भौगोलिक दृष्टि से देखते हुये एक तरफ पहाड़ी भाग और दूसरी तरफ मैदानी भाग में जो भौगोलिक नदियां हैं वह पश्चिम से पूर्व में बहती हैं और पश्चिम से जब उनका बहाव तेज हो जाता है और फैलाव तेज होता है तो निश्चित है कि कछारी और मैदानी भाग होने से फसलें नष्ट होने लगती हैं, उद्योग नहीं लग पाते हैं, यातायात के साधन नहीं बढ़ पाते हैं । इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का बंटवारा जिसमें भौगोलिक स्थितियों को और आबादी देखते हुए यह संकल्प मेरी राय में ठीक नहीं है । इन शब्दों के साथ में मोहन सिंह जी के संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष के सदस्यों को सुनने के बाद अन्दाजा हुआ कि मोहन सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है 4 प्रशासनिक इकाईयों में प्रदेश को, बांटने

का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन करने का, उसका गालिबन मेरे साथी मतलब ही नहीं समझ पाये। एडमिनिस्ट्रेटिव बाड़ी को कुछ साथी कहने लगे कि देश बंट रहा है और अछूतिस्तान बना रहा है और अकलियतों के लिये दूसरा पाकिस्तान बना दिया जायेगा। यह इनकी दिमागी दीवानगी की अकलियत की दलील है। यदि यह खबर अखबारों में छपे कि इस प्रस्ताव में सत्ता पक्ष के साथी ने एक प्रदेश के चार देश बना दिये। तो जनता इनकी किस्मत पर रोयेगी अखबारों की किस्मत पर या सदन की किस्मत पर रोयेगी और माननीय सदस्य की बुद्धि पर तरस खायेगी। लोग सोचेंगे हमने तो चुनकर कुछ और भेजा था, इसे वहां जाकर क्या हो गया? "डिवाइड टु युनाइट" अंग्रेजी का माकूल है। जरूरत इस बात की है कि इन्तजामी अलहदगी अख्तियार की जाये।

मान्यवर, यह सही है कि आप समाज में देखें कि आज भी जो गांवों का करेक्टर है वह शहरों का नहीं है, जो शहरों का है वह मेट्रोपोलिटन सिटीज का नहीं है और जितने शहर बढ़ते जायेंगे जितनी सूबों की आबादी बढ़ती जायेगी, उनकी समस्या बढ़ती जायेगी। हम रोज की जिंदगी में देखते हैं कि गांव में अखला की जराइम कम होते हैं चोरियां कम, रेप कम होते हैं, वहां छोटा बड़े को बड़ा मानता है, बड़ा छोटे के साथ छोटे का रिश्ता बनाता है वहां अच्छाइयों पर नजर रहती है और बुराइयों से दूर रहते हैं, कम आबादी के सबब डर किसी की नजर एक दूसरे पर रहती है। इसलिये जो पैमाना गांव में है वह शहरों में नहीं है और जो अच्छाइयां शहरों में हैं वह मेट्रोपोलिटन सिटीज में नहीं हैं उनको इमारतों में रहने वाले नीचे रहने वाले का हाल ऊपर वाले को नहीं मालूम और ऊपर रहने वाले को उससे ऊपर रहने वाले का हाल नहीं मालूम।

इसलिये जब आबादी बढ़ती है तो करप्शन और बुराइयां बढ़ती हैं और अच्छाइयां घटती हैं मसाइल बढ़ते हैं मवाके घटते हैं लिहाजा यह कहना कि देश बंट रहा है, मुल्क का बंटवारा हो रहा है तो ऐसा नहीं है और न ही प्रदेश के बंटने की बात है बल्कि प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की बात है। हम अपने प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलायें, कैसे अच्छा प्रबन्ध और नियंत्रण हो इसको करने की बात है। यह प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि दुनिया में इसके बराबर के कई मुल्क हैं और हिन्दुस्तान में यह प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान का हुस्न है। अगर इस प्रदेश को अच्छा निजाम देने के लिए कहा जाता है, तो कतई इसका यह मतलब नहीं है कि देश या प्रदेश के टुकड़े किये जा रहे हैं या प्रदेश का हुस्न कम किया जा रहा है।

एक तरफ हमारी सरकार के सामने मंसूबाबंदी का सवाल है। एक तरफ हम अपने मतलब की बात कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसी बात करते हैं, जिससे सारी ताकत हमारे पास रहे, सियासी बागडोर एक हाथ में हो, एक खानदान में हो, एक पार्टी के पास हो। उनको केवल यही डर है कि प्रशासनिक इकाइयों का बंटवारा होने से सियासत का बंटवारा हो जाएगा। सियासी शख्सियतों का बंटवारा हो जाएगा, नये लोग आयेंगे, नये चेहरे आयेंगे, नया निजाम और नया दौर आएगा और जब मैदान में यह लोग आयेंगे तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह सिर्फ एक मंसूबाबंद साजिश है, मंसूबा है जिसके चलते उत्तर प्रदेश इन्तेजामी तौर पर बंटने का षड्यंत्र रचा गया है। हम बंटवारे की बात इंतजाम की बात कर रहे हैं प्रदेश का नया निजाम देने की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं हम प्रदेश में मजबूत का भला चाहने वाले लोग नहीं हैं।

कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ऐसा माहौल हाउस में बनाया जा रहा है कि इस पक्ष में बैठने वाले लोग प्रदेश और देश के दोस्त नहीं है। वह लोग जो उस तरफ बैठते हैं, वही इस देश और प्रदेश के दोस्त हैं, देश के प्रति वफादार हैं और इस तरफ के बेवफा हैं और उनका कोई योगदान या हिस्सा इस देश के विकास में नहीं है। क्योंकि जो एक खास पार्टी के लोग हैं, इसलिए वफादार हैं और इधर बैठने वालों के या तो नाम आपको पसन्द नहीं हैं, शक्ल पसन्द नहीं है, लिबास पसन्द नहीं है, पार्टियों के नाम पसन्द नहीं हैं, इसलिए वह गद्दार हैं। मेरा दावा है कि आप इसकी मुखालिफत इसीलिए करते हैं कि आपको उसकी मुखालिफत करने के लिए दिल्ली से पैगाम आया है। जिस दिन उसका समर्थन करने की ताकीद होगी उसी चीज को आप अच्छा कहने लगेंगे। अगर वाकई हम इस प्रदेश में अच्छा निजाम चाहते हैं, अच्छा माहौल चाहते हैं, तो हमें इस स्थिति को सोचना होगा।

हमने 1947 में पूरे मुल्क के सामने गांधी जी के सपनों को खोलकर रखा था और यह कहा था कि अब नया सवेरा आयेगा, अब यहां किसी के साथ जुल्म न होगा, किसी के कत्ल नहीं किये जायेंगे, रंग और मजहब के नाम पर किसी की आबरू न लूटी जायेगी। अब कोई घर न जलेगा, कोई मासूम नहीं मारा जायेगा और अब हर फूल खिलने का आजादाना मौका पायेगा, लेकिन वह सब उस वक्त हो सकता है जब मजबूत इंतजाम हो। जब इंतजाम की पकड़ लोगों पर हो जो पूरे प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर को सिचुवेशन क्रियेट करना चाहते हैं। श्री मोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें प्रदेश के बंटवारे की कोई बात नहीं है, बल्कि मजबूत इन्तजाम के लिए उनकी जरूरत देखते हुए मैं, उसी पर बल देता हूं और मैं समझता हूं कि वह एक सही प्रस्ताव है और इसको सत्ता पक्ष के लोगों को मान लेना चाहिए।

श्री पन्ने लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बाबू मोहन सिंह जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मोहन सिंह जी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विभाजन के बारे में लाया गया है। उसके बारे में मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सुने। यह बात सही है यह बहुत बड़ा प्रदेश है और इसकी स्थिति भिन्न है। एक तरफ पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ बुन्देलखण्ड का ऊबड़-खाबड़ इलाका है। एक तरफ पश्चिमी क्षेत्र ऐसा विकसित और साधनों से भरपूर इलाका है तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बाढ़ और सूखे से बराबर पीड़ित रहता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ही गरीब है। उसके कई एक कारण हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद स्थिति क्या हो सकती है, यह हम आप सब के समझने की बात है।

जो पहाड़ी इलाका है, यदि उसका विभाजन कर दिया जाए, तो हमारे पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, तो उसको लेकर भी तमाम विवाद पैदा हो सकता है। साथ ही पहाड़ पर जो रत्न मिलते हैं, उनके सम्बन्ध में भी वहां के लोग कहेंगे कि उसको हमारे प्रदेश में ही खर्च किया जाए। जैसे हमारे साथी बुलन्दशहर का एक मामला यहां लाए थे और उस समय उन्होंने कहा था कि वहां जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है, उसको उसी जिले के विकास में लगाया जाए। इस तरह से इसको देखा जाय तो इसमें तमाम कठिनाइयां है।

यह बात सत्य है कि पश्चिम के जिले, पश्चिम का क्षेत्र, बहुत विकसित है, पूर्वांचल का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की अवश्य है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिए अधिक से अधिक धन देकर वहां का विकास किया जाना चाहिए प्रदेश के बंटवारे

से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर उससे कोई लाभ होता तब किसी को इससे एतराज न होता। इससे तो विवाद और बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का हृदय है। चाहे पहाड़ों पर चले जाइये, चाहे जिस क्षेत्र में चले जाइये। आपको अद्भुत दृश्य, अद्भुत स्थान दिखायी देंगे। आज प्रदेश की जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से प्रदेश का विभाजन उचित नहीं होगा, इसलिये मैं माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। पूर्व इसके कि मैं इस प्रस्ताव पर कुछ कहूं, मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ विचार इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने रखने जा रहा हूं वह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं।

श्री अधिष्ठाता--

क्या और जब आप बोलते हैं तो किसी दबाव में बोलते हैं, वह आपके विचार नहीं होते ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह संकल्प ऐसा है कि मुझे इस पर कुछ कहने से पूर्व यह कहना पड़ा। मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने प्रदेश को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की बात कही है। वह प्रशासनिक इकाई कौन सी होगी इसकी कोई व्याख्या उन्होंने नहीं की। क्या एक गोरखपुर होगी, एक मेरठ होगी, एक लखनऊ होगी ? यह चीज अपने आप में ही एक विवादास्पद हो गयी है। अगर इस प्रदेश के क्षेत्रफल को देखा जाये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान भी बड़ा है, मध्य प्रदेश का भी क्षेत्रफल इससे बड़ा है, क्षेत्रफल बड़े होने से प्रशासन कमजोर हो जायेगा, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। उसके छोटे होने से प्रशासनिक क्षमता बढ़िया हो जायेगी ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं।

यह जो हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दिया जाता है, पंजाब छोटा प्रान्त है, पंजाब बनने के बाद वहां की प्रशासनिक क्षमता कौन सी सुदृढ़ हो गयी ? वहां की तो आज हालत यह है कि केन्द्रीय सरकार की सारी प्रशासनिक क्षमता लगा देने के बाद भी वहां का प्रशासन सम्भल नहीं पा रहा है और जो हालत आज है सभी देख रहे हैं। जनसंख्या के घनत्व का प्रभाव केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलने में जरूर पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को माननीय मोहन सिंह जी ने अगर एक प्रशासनिक इकाई बनाने की बात कही होती तो जन संख्या के हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश को केन्द्र से अनुदान ज्यादा मिल जाता, मगर प्रशासनिक इकाई के कारण तो जो संसाधन पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं वे बंट जायेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत आज यह है कि हम अपने संसाधनों से वहां की समस्यायें हल नहीं कर सकते, वहां का विकास नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि जो हमारी परियोजनायें हैं, जब हम प्रशासनिक इकाइयों में प्रदेश को बांट देंगे, तो इसका केन्द्र बिन्दु कौन सा होगा ?

जैसे पंजाब और हरियाणा को बांटने से चंडीगढ़ का विवाद उसमें उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से इस प्रदेश को बांटने से कहीं जल विवाद उत्पन्न होगा, कहीं सीमा विवाद उत्पन्न होगा और कहीं को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और विवाद उत्पन्न होगा जिससे तमाम समस्यायें उत्पन्न होंगी जिनसे किसी का भी लाभ नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक बात कही गयी कि हरियाणा बांट दिया गया, महाराष्ट्र बांट दिया गया और पंजाब हरियाणा हो गया तो मैं कहना चाहता हूं कि यह विभाजन वहां पर जन आन्दोलन की वजह से हुआ था। जन प्रतिनिधियों द्वारा विधान सभा में बैठकर विचार करके यह विभाजन नहीं किया गया था बल्कि इस विभाजन के लिये वहां की जनता ने बड़े-बड़े आन्दोलन खड़े किये थे। आज इस प्रदेश में कौन सा आन्दोलन खड़ा हो गया है कि इसको 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जाय। अगर इसको 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जाय तो इतने प्रशाननिक व्यय में कमी न आकर बढ़ोत्तरी होगी। यह तर्क देना कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक व्यय बढ़ा है और अगर इसको छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाय तो प्रशासनिक व्यय घटेगा, यह कोई तर्क नहीं है।

आज जो हमारा प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है तो वह कौन से कारण हैं कि अगर इसको 4 भागों में बांटेंगे तो उसी अनुपात में खर्च नहीं बढ़ जायगा। तो मेरा कहना है कि प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो हमारी परियोजनायें हैं वह आपसी विवाद के कारण बंद हो जायेंगी और जो हमारी क्षमता है उसमें गिरावट आयेगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जिसके पीछे प्रशासनिक इकाइयों में प्रदेश का बंटवारा करने की है, वह है समन्वित विकास। हमारे प्रदेश के लिये इस प्रकार की योजनायें नहीं बनी जिससे इसका समन्वित विकास होता। योजनाकारों ने ऐसी कोई योजनायें नहीं बनायीं जिससे पश्चिम के मुकाबले में पूर्व और दक्षिण तथा उत्तर का समन्वित विकास होता। तो मैं सुझाव के रूप कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराया जाय कि कहां पर क्या आवश्यकता है, कहां पर उद्योग की आवश्यकता है कहां पर किसी चीज की आवश्यकता है और उस दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना चाहिये।

मान्यवर, आज समन्वित विकास की बड़ी आवश्यकता है, इसे विपक्ष के हम सदस्य लोग कहते हैं और आपके सत्तारूढ़ दल के लोग, भले ही वह डंडे के बल पर या अनुशासन मानने के नाम पर आज सामने यह बात न कहें लेकिन उनके सबके दिल में यह भावना है कि प्रदेश के समन्वित विकास के लिये योजनायें बनें। हमारे जो पश्चिम के साथी हैं उनके दिमाग में यह है कि पूर्वांचल में बाढ़ आ जाती है, दैवी आपदा आ जाती है, और सारे प्रदेश का खजाना दैवी आपदाओं में खर्च किया जाता है। लेकिन हम दैवी आपदाओं के लिये आपसे भीख नहीं मांगते हैं। हम गरीब हो सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन वह पिछड़े नहीं हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमने राम पैदा किया, हमने बुद्ध पैदा किया। हमारी धरती से पैदा हुई संस्कृति आज सारी दुनियां पर छायी हुई है। इसलिए हम पिछड़े नहीं हैं, हम गरीब हैं लेकिन हमारी गरीबी को पिछड़ेपन से जोड़कर हमारा उपहास यहां किया जाता है। हम बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे इसका स्थायी समाधान हो।

मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं मेरे एक जिले को एक साल में 2 करोड़ 60 लाख अनुदान के नाम पर बांटा गया है। हम अनुदान नहीं चाहते हैं, हमें भीख नहीं चाहिये, हम भिखारी नहीं हैं। इस धन से, जो हमारे यहां नेपाल के रास्ते से बाढ़ आती है उसको रोकने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, उसका एक सर्वेक्षण किया जाय और विकास का कौन सा रास्ता वाजिब होगा न्यायोचित होगा उस

आधार पर हमारे समन्वित विकास के लिए योजनायें बनायें। मैं माननीय मोहन सिंह ने जो प्रस्ताव रखा

(इस समय 3 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए।)

हूं। उसका विरोध करता हूं और आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी को पिछड़ेपन के साथ जोड़कर हमारा उपहास न किया जाय और हमारे समन्वित विकास के लिए योजना तैयार करें।

श्रीमती महारानी दोहरे--

सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मोहन सिंह जी ने जो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का जो प्रस्ताव रखा है उस पर अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश हमारा एक संयुक्त परिवार है और इसको हिन्दुस्तान का ताज कहा जाता है। यदि परिवार में किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आती है कि जिससे सम्पूर्ण परिवार पर उसका प्रभाव एवं भार पड़ता है, तो यह स्वाभाविक होता है कि उस परिवार को उसको झेलना पड़ता है। इसी तरह से जो हमारा उत्तर प्रदेश है जिसे हमने एक संयुक्त परिवार का नाम दिया। यह सच है कि आर्थिक स्थिति में हमारा प्रदेश कमजोर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, वह दूसरे प्रदेश से कई गुना है और आबादी यहां की दूसरे प्रदेश से कई गुना है।

जहां बटवारे का यह प्रस्ताव हमारे सम्मानित विद्वान एवं योग्य तथा वरिष्ठ भाई मोहन सिंह जी ने रखा है, उन्हें चाहिए था कि आज वह प्रदेश राजनैतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति तथा जनसंख्या को देखते हुए यह प्रस्ताव रखते कि क्या भारत सरकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखते हुए इसका बजट दूसरे प्रदेशों से दुगुना या और अधिक बढ़ायेगी, यदि यह प्रस्ताव होता, तो इस प्रदेश की जहां 11-12 करोड़ के बीच में जनता अपना जीवन निर्वाह करती है, माननीय मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी की सरकार, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कई करोड़ महिला, छात्र एवं किसानों की सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार से एवं योजनाओं के माध्यम से एक नई मंजिल तय कर रही है, जिस प्रकार से संयुक्त परिवार में जब विघटन होता है और वह एकांकी परिवार में परिवर्तित हो जाता है, तो यह स्वाभाविक होता है, उसमें तेरे-मेरे की भावना जागृत होती है। इसलिए मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रस्ताव को रखने वाले एवं समर्थकों की मंशा अच्छी नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा तो उत्तर प्रदेश की नदियां, गंगा, यमुना, घाघरा, चम्बल इत्यादि नदियों के पानी के बंटवारे का प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है, जो नदियां उत्तर प्रदेश में सोना उगलने का कार्य कर रही हैं तथा सैकड़ों

कया जायगा, तो क्या उत्तर प्रदेश का इतिहास माफ करेगा ? इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तरक्की तथा खुशहाली तभी सम्भव है, जब सब संयुक्त रूप से प्रदेश की गरीबी, महिलाओं की तरक्की, छात्र तथा किसान एवं गांव के सर्वांगीण विकास में अपना सम्पूर्ण सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग दे । मैं चाहती हूं कि भाई मोहन सिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस लें । मैं खेद के साथ प्रस्ताव का विरोध करती हूं । मान्यवर, मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूं ।

श्री खैरुल बशर--

महारानी दोहरे ने उत्तर प्रदेश का नक्शा बहुत बढ़ा दिया है, इसको छोटा करें ।

श्रीमती महारानी दोहरे--

उत्तर प्रदेश के नक्शे में एक बबर शेर है ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह--

शादी होने के बाद एक दिन भी परिवार के साथ नहीं रहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य किसी के पारिवारिक जीवन से सदन का कोई मतलब नहीं है ।

श्री विश्वनाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने कितने भाई वक्ताओं को सुना । जजबे में लगता है, इनके दिल का बंटवारा हो रहा है । प्रदेश के बंटवारे का सवाल नहीं है, सवाल है व्यवस्था की ।

श्रीमती महारानी दोहरे--

अभी किसी माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि शादी के बाद एक दिन भी परिवार में नहीं रहीं । मैं बताना चाहूंगी कि मेरे दो जेठ थे, उनकी मृत्यु के बाद अकेली महारानी दोहरे ऐसी महिला है, जो पूरे परिवार को गांव, शहर और उत्तर प्रदेश तक चला रही हैं ।

(व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जो आक्षेप किया है, उसको कार्यवाही से निकाला जाय । मैं इसको बरदास्त नहीं करूंगी । महिला का अपमान हुआ है, इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

जब माननीय सदस्य किरनपाल सिंह ने कोई बात कही, तो मैंने उसी वक्त कहा था किसी की पारिवारिक जिन्दगी से हमारा कोई मतलब नहीं है । मैं मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वह वरिष्ठ सदस्या हैं, उनको बिना मेरी अनुमति के खड़ी होकर इस तरह से बोलने की तकलीफ नहीं करनी चाहिये थी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

व्यवस्था का प्रश्न है । अधिष्ठाता महोदय, आपने इस प्रकार के उद्गार व्यक्त किये कि पारिवारिक जिन्दगी पर आक्षेप नहीं होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि महिला के बारे में जो अपशब्द कहा गया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है । मन्त्री जी अगर मैं आपकी बात मान लूं, तो मैं समझता हूं कि इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो जायेगी । एक माननीय सदस्य ने कोई बात कही माननीय सदस्या ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया, दोनों चीजें रेकार्ड में हैं । इसमें कोई हित अनहित की बात नहीं है ।

किसी को घरेलू जीवन से कोई मतलब नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय सदस्य और माननीय सदस्या ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया । यह अपनी जगह महत्वपूर्ण है । इस सदन को जिन्हें शेरनी कहा जाता है, उनकी अमृत वाणी को ध्यान में रखते हुए निर्णय करें, इनको बहलायें न, टालें न, ऐसी वाणी कहां मिलेगी ?

*श्री अधिष्ठाता--

मैंने माननीय बाजपेयी जी को सुना । कार्यवाही देख ली जायेगी कोई बात होगी, तो उसको देख लिया जायेगा ।

*श्री विश्वनाथ--

देश के प्रति सभी के मन में अपार प्रेम है । जहां तक प्रशासनिक इकाइयों का सवाल है । प्रदेश का बंटवारा, देश का बंटवारा न किया जाय ।

प्रशासनिक सुविधा के ध्यान से बंटवाया है ऐसा नहीं है । सदस्य लोग बैठे हुए हैं इस समय, बहुत से जिलों के हैं तो क्यों नहीं वह पृथक् हो जाते । इसलिए कि हमारा देश पृथक् नहीं है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए आवश्यक है बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई समस्यायें इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन्तजाम को ध्यान में रखते हुए आपको विभिन्न इकाइयों में बंटवारा करना होगा । यदि आज आप यह फैसला नहीं लेते तो कुछ दिनों बाद फैसला लेना पड़ेगा जिससे प्रदेश में विभिन्न स्तर की प्रगति होगी । जिससे प्रदेश में विषमता कम होगी । तो आपसे निवेदन है कि समय रहते आप चेतें । प्रदेश के असंतुलित विकास के लिए, प्रदेश को कई हिस्सों में बांट-कर देश का बंटवारा हो । तो मैं कहना चाहता हूं, शासक दल के लिए आसानी है । मान्यवर, उस समय देश के राज नेताओं ने बंटवारा करवाया था आज प्रशासनिक क्षमता को अवरुद्ध करने के लिए पूरब पश्चिम और बिहार में असंतुलन पैदा करने के लिए प्रदेश के बंटवारे से मुकर रहे हैं । इसलिए प्रदेश के लिए आवश्यक है, इसके विकास के लिए जरूरी है कि प्रशासनिक इकाइयों मे इसे बांटें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री दीनानाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के बंटवारे के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, बंटवारा घर का हो, प्रदेश का हो, देश का हो कोई अच्छा नहीं होता । मान्यवर, हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दो हिस्सों में बंट गया और आज अखबारों के माध्यम से और राज्य नेताओं के स्टेटमेन्ट के माध्यम से यह सुनने में आता है कि हिन्दुस्तान के बार्डर पर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है । अमेरिका से बड़े हथियार पाकिस्तान को मिल गये हैं । मुल्क में खतरा बढ़ता जा रहा है ।

मान्यवर, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल एक प्रदेश में तीन प्रदेश बनाए गये । लेकिन पंजाब की स्थिति क्या है आज प्रदेश में जितना पंजाब और हरियाणा का ला एन्ड आर्डर खराब है, उतना कहीं नहीं है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश का बंटवारा यदि हो गया तो पूर्वांचल को कुछ नहीं मिलेगा । पश्चिम में सारी बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रियां सारी अच्छी-अच्छी नहरें पश्चिम में हैं वह सब पश्चिम में चली जाएंगी । पूरब में कुछ नहीं है । मैं पूरब का बंटवारा नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का विकास हो । मैं उनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, यदि बंटवारा होता है तो घाटे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूर्वांचल रहेगा। हमको कुछ नहीं मिलेगा। मान्यवर, हमसे पहले माता प्रसाद जी बोल रहे थे, मैं कहता हूं गरीबों का कल्याण हो। जहां सरकार द्वारा योजना नहीं लगायी गयी। जहां इन्डस्ट्री नहीं लगायी गयी। जहां नहरें नहीं लगायी गयी या बन्धे नहीं लगाये गये वहां लगाए जाएं विकसित हों। गोरखपुर में सिसवा क्षेत्र बहुत विकसित है वहां नहरें और सड़क बहुत है।

सिसवां से कोई भी विधान सभा क्षेत्र पश्चिम में विकसित नहीं है। अभी इलेक्शन हुआ है, मुझे जाने का अवसर मिला था। मान्यवर, वहां पर डा० राजेन्द्र प्रसाद की कृपा से नहर निकाली गयी। उस नहर का पानी देवरिया, गोरखपुर तथा बिहार को दिया गया।

सिसवा विधान सभा क्षेत्र में गन्ने की इतनी पैदावार होती है, सड़कें इतनी हो गयी हैं कि वहां का किसान अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाता है, वहां का किसान बम्बई नहीं जाता है पंजाब, हरियाना या बम्बई नहीं जाता है, यद्यपि पूर्वांचल के, बस्ती के, बहराइच और गोंडा जिले के लोग बम्बई जाकर जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन इन जिलों के लिये सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया। मान्यवर, जितने मुख्य मन्त्री हुए हैं, पश्चिम के हुए। चन्द्र भानु गुप्त पश्चिम के थे चौधरी चरण सिंह पश्चिम के हैं, गोविन्द बल्लभ पन्त पश्चिम के थे, नारायण दत्त तिवारी पश्चिम के हैं, हेमवती नन्दन बहुगुणा पश्चिम के हैं और पूरब के जो मुख्य मन्त्री हुए, उनका कार्यकाल मात्र एक साल, डेढ़ साल, दो साल रखा गया। मान्यवर, मैं पूर्वांचल के विकास की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर बंटवारा हुआ तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है यह कहां जायगा, किसको लखनऊ दिया जायगा। इसी बात को लेकर हाउस में ही नहीं सड़कों पर चर्चाएं होने लगेंगी। इसलिये मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। बंटवारा देश के लिये, प्रदेश के लिये दोनों के लिये नुकसानदेह है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मोहन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि अपने इस प्रस्ताव को वापस लें यही प्रदेश के हित में होगा।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह जो पिछले दो दिनों से इस प्रस्ताव पर जो बहस हो रही है, उसको मैं ध्यान से सुन रहा हूं। इस मामले में हम इतने बहक गये हैं कि सही दिशा में लाना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। पहले इस बात पर विचार होना है कि बंटवारा प्रशासनिक इकाइयों का होना है या किसी और आधार पर होना है। किस तरह से होना है। नदियों के जरिये से, पहाड़ों के जरिये से या और कौन से भौगोलिक कारण हैं, जिनके कारण बंटवारा होना है। इसका कारण बताना चाहिये। इसका कारण संस्कृति या भाषा हो सकता है। यहां कबाइली भाषा हो तो कारण बन सकता है, प्रशासनिक दृष्टि से समान इकाई बनाने की दृष्टि से ढाई-ढाई करोड़, तीन-तीन करोड़ आबादी के हिसाब से देश भर में फिर से बंटवारे पर विचार कर लें। एक कारण यह हो सकता है। देश अनेकता में फैली हो तो राष्ट्रीय एकता किस तरह से हो इस दृष्टि से, या एक राष्ट्रभाषा का लाभ पाना हो, इस दृष्टि से बंट सकता है ताकि प्रशासनिक झगड़ा न हो।

जहां तक भाषा के आधार पर बंटवारे की बात है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पहले भाषा के आधार पर विभाजन हुआ। आज हिन्दी राष्ट्र-भाषा है, लेकिन बहुत से प्रदेशों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंग्रेजी चल रही है और हिन्दी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पा रही है। मैं एक बार दक्षिण गया तो देखा कि कहीं तो बंगाली, रोमन और देवनागरी तीन लिपियां मिलीं, कहीं तेलगू, अंग्रेजी और रोमन लिपि देवनागरी में मिलीं, कहीं तमिल या कन्नड़ या अंग्रेजी है और देवनागरी लिपि में मिली। मान्यवर, ये एक लिपि देश भर में कायम नहीं कर पाए। अब बंटवारे का सवाल उठाया जायगा तो देश टूटता चला जायगा। बंटवारे का लाभ क्या है और नुकसान क्या है, इस पर भी विचार होना चाहिये। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना बहती है, नदी का पानी कभी इधर और कभी उधर जाता है, जमीन का नुकसान हो जाता है और आदमी मर जाते हैं, इस बात का झगड़ा है। बिहार से गंगा का झगड़ा है। मान लीजिये पश्चिम में यमुना के किनारे से बंटवारा होता है, बंटवारे से जो झगड़ा होगा उससे कितने आदमियों के जीवन की हानि होगी। अतः नुकसान को भी नजर में रखें। और फिर देखें कि हम बंटवारा किस हिसाब से चाहते हैं।

देश का बंटवारा राष्ट्रीय एकता के लिए हो। 3-3 करोड़ और ढाई-ढाई करोड़ के सूबे बना दिये जायं और जो संस्कृतियां शोषित हैं जैसे मोजो संस्कृति है, नागा संस्कृति है, हूण संस्कृति है और संथाल संस्कृति है, इस प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनका सूबा बना दिया जाय। बाकी को जनसंख्या के आधार पर बना दिया जाय। आज आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक कई आदिवासी रहते हैं, इनकी संस्कृति का सूबा बना दिया जाय। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ये तीनों बड़े प्रदेश हैं। हम 2 लाख 98 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं जबकि उक्त सभी प्रदेश 3 लाख से 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहते हैं, तो हम बड़े सूबों के बंटवारे का सवाल कैसे पैदा होता है? बंटवारा तभी किया जाय, पहले उसमें देखा जाय कि बंटवारे से हमें लाभ क्या है और इसके आधार क्या हैं। आज तक इतने दिनों से इस पर बहस हो रही है, परन्तु किसी ने भी यह आधार नहीं बताया संस्कृति के आधार पर होना चाहिए भाषा का आधार होना चाहिए और देश की राष्ट्रीय एकता का आधार होना चाहिए।

मान्यवर, अभी तरक्की सम्पत्ति का आधार दिया जा रहा था। जो छोटे-छोटे सूबे हैं वे तरक्की शुदा हैं, परन्तु उड़ीसा बहुत छोटा-सा स्टेट है जो बहुत कमजोर है। अभी कुछ माननीय सदस्य पंजाब की बात कर रहे थे। मान्यवर, जब पंजाब और हरियाणा दोनों आपस में मिले हुए थे, तो उस समय भी वहां पर प्रत्येक व्यक्ति आय हिन्दुस्तान में और मुल्कों के बजाय ज्यादा थी। इसके देखते हुए पिछड़ेपन के कारण क्या हैं पिछड़ेपन के कारण हैं अन्ध-विश्वास, ऊंच-नीच और जातियां। यही कारण है कि उड़ीसा में जातीयता ज्यादा होने से और सामंतवादी संस्कृति होने से वह बहुत पिछड़ा हुआ है। क्योंकि जो सामंतवादी लोग हैं, वे नीचे के लोगों को ऊपर उठना नहीं देना चाहते हैं। पंजाब में जाति और ऊंच-नीच का भेद नहीं है वहां पर अन्ध विश्वास भी इतना नहीं था और वे लोग कमाऊ थे, जिसकी वजह से पंजाब सब राज्यों में एक सम्पन्न राज्य है।

मान्यवर, मुझे एक बात याद आती है। कानपुर में एक रंडुवा सम्मेलन हुआ था। उसमें उन रंडुवों ने जिस पवित्र आत्मा महात्मा गांधी जी ने देश की सेवा की थी उनके बारे में कहा था कि "सत्य अहिंसा का बहुत दीन उपदेश, जब गांधी रंडुवा हुए तब स्वतन्त्र हुआ है देश।" इस प्रकार जब रंडुवे को ही आधार मान लिया जाय कि जब गांधी रंडुवे हुए थे, तभी देश आजाद हुआ, यह एक हास्यास्पद बात है और निरर्थक बात है और जो कल्पना से भी परे है।

ठीक है, यह विवाद खड़ा हुआ था तो माननीय श्री मोहन सिंह जी को इसके आधार तय कर लेने चाहिए थे कि किन आधारों पर इसका बंटवारा होना चाहिए। परन्तु उन्होंने कोई आधार पेश नहीं किए हैं। बराबर इसमें बहस चलती रही, परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। सभी लोग कहने लगे कि राष्ट्रीय एकता और पिछड़ेपन को देखते हुए बंटवारा किया जाना चाहिए। यह बात सत्य से परे है और निरर्थक है। देश की रक्षा के लिए देश का बंटवारा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर देश और प्रदेश जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाय। पिछड़ेपन का जहाँ तक कारण है, जब तक अंध-विश्वास, जाति-पांति और ऊंच-नीच इस देश और प्रदेश से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं और जो यह प्रस्ताव रखा गया है, उसे हम निरर्थक समझते हैं।

[समय 4 बजकर 15 मिनट]

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय अध्यक्षता जी, आपने माननीय मोहन सिंह द्वारा रखे गये संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, यह 4 प्रशासनिक इकाइयों में प्रदेश को बांटने का जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसकी कोई मंशा नहीं मालूम होती है। अब इनका मतलब क्या हो सकता है? चार प्रशासनिक इकाइयों में प्रदेश को बांटने का अगर इनका विचार है तो चाहते क्या हैं? अगर वह प्रशासनिक इकाइयों को बांटने की बात कहते हैं, तो इस समय 12 मंडल प्रदेश में बन गये हैं, 12 मंडलों में 12 डी0 आई0 जी0 होते हैं, 12 कमिश्नर होते हैं। हरेक जिले में कलेक्टर होता है। तो प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये, इस प्रकार का बंटवारा मण्डलों के रूप में किया गया है। अगर उनकी मंशा यह है कि चार प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया जाय, तो फिर क्या वह चार आई0 जी0 चाहते हैं, चार मुख्य सचिव चाहते हैं? आखिर चाहते क्या हैं, चार हाईकोर्ट चाहते हैं? याने मंशा क्या है। अगर मंशा यह नहीं है, चार आई0 जी0, चार मुख्य सचिव, चार हाई कोर्ट इस प्रकार अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयां बांटकर प्रशासन चलाने की बात इन्होंने नहीं कही है, जिससे साफ-साफ जाहिर होता है कि इसके पहले जो एक संकल्प आया था कि प्रदेश को चार हिस्सों में बांट दिया जाय, उसी से सम्बन्धित वह अपनी बात कह डाले। हां अगर, इनकी मंशा प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की है, तो मैं यह कहूंगा कि माननीय मोहन सिंह जी द्वारा यह प्रस्ताव नहीं आना चाहिए था। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वह किसी नेता के नेतृत्व में चल रहे हैं, लेकिन बंधुवा मजदूर की तरह से अपनी बातें नहीं कहे हैं, स्वतन्त्र तबियत से उन्होंने अपनी बात यहां पर कही है, जो बिल्कुल उचित है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आप यह मेरे बारे में क्या कह रहे हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मैं आपके पक्ष में बात कर रहा हूं। आप बंधुवा मजदूर नहीं हैं, स्वतन्त्र तबियत से अपनी बात को कहे हैं। अगर स्वतन्त्र तबियत के न होते, तो चूंकि विपक्ष में हैं, इसलिए उस संकल्प के पक्ष में बोलते। पक्ष में नहीं कहे, जो सही बात है, उसको आपने कहा। तो अगर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की जो बात पहले कही गयी थी, उसके आधार पर हम कहेंगे कि भाई मोहन सिंह जी को यह प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये था, कोई पश्चिम का आदमी —

तथा कथित नेता के विचारों से सम्बन्धित हैं, अगर वह इस बात को कहता, तो वह बात दूसरे ढंग की बनती लेकिन यह पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल के लोगों की यह इच्छा नहीं है कि प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा जाय।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शास्त्री जी, आज जो विषय है, उस पर बोल रहे हैं, या उनकी नीयत पर बोल रहे हैं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जो उनका विषय है, उस पर बोल रहा हूं-प्रशासनिक इकाईयों को चार हिस्सों में बांटकर प्रदेश को चलाया जाय। उसी के संदर्भ में बोल रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

शास्त्री जी मान्यवर, हमारे दल के पुराने सदस्य हैं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जब इन्होंने इसका कोई पर्याप्त आधार नहीं दिया है, तो बिना आधार के यह अनुचित बात होगी। क्योंकि जब कोई आधार नहीं है, तो बिना आधार के कोई बंटवारा भी नहीं होना चाहिये। अगर बिना आधार के कोई बंटवारा होगा, तो वह बंटवारा बिल्कुल अनुचित होगा। किसी परिवार को अगर काम के आधार पर बांटा जाय, तो कुछ लगता है कि काम के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है, 4 लोगों को काम सौंपा जा रहा है। लेकिन, यहां तो इनका कोई आधार नहीं है। मान्यवर, समाज को पहले चार हिस्सों में बांटा गया था, उस पर भी बड़ा विवाद है, बड़ी समस्यायें हैं, पहले ये भी विवाद चल रहा है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। काम के आधार पर समाज को चार हिस्सों में बांटा गया था। उसको भी समाप्त होना चाहिए। क्योंकि पूरे हिन्दुस्तान के लोग हिन्दुस्तानी हैं, भारतीय हैं। सभी लोगों के बीच में बराबर का व्यवहार होना चाहिये, यह बात कही जाती है।

माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने भी कहा था कि कोई आधार नहीं दिया है, तो बात बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा कि इसमें चर्चा नहीं चलानी चाहिये, इसे समाप्त किया जाना चाहिये और जो यह संकल्प रखा गया है, इसे निरस्त कर, खत्म किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे मोहन सिंह जी द्वारा रखे गये संकल्प पर बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का, जो अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह कल से ही प्रदेश को चार प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की बात चल रही है..मैं भी अपने चन्द विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कई बार इस सदन में यह मामला आ भी चुका है और माननीय सदस्यों के विचार किसी न किसी रूप में सामने आ चुके हैं, लेकिन माननीय मोहन सिंह के संकल्प में एक बात मालूम होती है, इसे देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने दिया है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से पूर्वांचल की घोर उपेक्षा हो रही है और आज भी 36 वर्षों के बाद भी कितनी ही पंचवर्षीय योजनायें चली गयीं, बीत गयीं, बुनियादी तौर पर यह आधार दिया गया था कि क्षेत्रीय विषमता दूर होगी और पूर्व और पश्चिम का भेद मिटेगा, लेकिन आज भी सरकारी आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि आज भी प्रति व्यक्ति आय पश्चिम के जिलों में काफी है और पूर्वांचल में काफी गिरावट है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का रकबे के लिहाज से नवां स्थान रखता है और आबादी के लिहाज से दसवां अंश है। ऐसे विशाल प्रदेश में यह स्वाभाविक है कि असन्तोष हो सकता है, लेकिन आप अंग्रेजों के टाइम में भी देखेंगे कि आगरा और अवध नाम से यह प्रदेश बंटा हुआ था लेकिन बाद में उनको अनुभव हुआ कि यहां की संस्कृति और सभ्यता बंटवारे का विरोध करती है, इसलिये बाद में उनको चेतना आयी कि गंगा और यमुना का बंटवारा नहीं हो सकता और विभिन्न भाषा और संस्कृति में बंटे हुए लोग एक विचार के हैं, एक देश और संस्कृति से सम्बन्ध रखते हैं। बाद में लाचार होकर उन्होंने आगरा और अवध के प्रान्तों का बंटवारा समाप्त करके एक प्रदेश का गठन किया। एक बात कहना चाहूंगा सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। यह सत्ता में बैठे हुए लोग रोजाना मुख्य मन्त्री जी को परेशान किया करते हैं कि वे विभागों का बंटवारा नहीं करते हैं। इस तरह से पूर्वांचल के लोग भी काफी तकलीफ में हैं। इसलिये इस बात की मांग कर रहा हूं कि आर्थिक विषमता उत्तर प्रदेश की बढ़ती जा रही है। जो भी व्यवस्था बजट में की जा रही है, आज भी आर्थिक विषमता बढ़ गयी है। इस भावना से मालूम पड़ता है कि माननीय मोहन सिंह जी ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि देश और प्रदेश की एकता के लिये उत्तर प्रदेश का विभाजन जनहित में उचित नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री राम भजन लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मसला जो इस समय दरपेश है, यह 52 से 57 के बीच भी जब श्री चन्द्र जी थे पश्चिमी जिलों के वह इसके लिये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे और यह चाहते थे कि सूबे का विभाजन हो जाय और इसके बाद में और भी यदा-कदा बराबर यह मसला उठता रहा है लेकिन इसे बराबर टाला जा रहा है और टालने का सबब भी है क्योंकि हम जानते हैं कि भाइयों-भाइयों में बड़ा प्रेम होता है।

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन बटवारे के बाद कायम नहीं रहता है। देश के अन्दर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्दर जहां-जहां बंटवारे की बात हुई है चाहे आसाम, पंजाब का हो या और कहीं का हो, बराबर सीमा विवाद चलते रहते हैं, कहीं दरियाओं के पानी पर विवाद चलता है कहीं और किसी चीज पर चलता है और बहुत से झगड़े और बातें पैदा होती हैं। इस मौके के ऊपर जब कि देश में निर्माण सम्बन्धी काम चल रहा है और देश के सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं और उलझनें हैं, जिनको हल नहीं कर पाते हैं, यह मसला उठाकर एक बड़ी मुसीबत पैदा कर देंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह की मांग उचित नहीं है।

हमारा भारत महान है, हमारा प्रदेश महान है और इस बात का हमें गर्व है कि हमारा देश संस्कृति और सभ्यता में सबसे आगे है और महान है और इसकी ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता है और इसको अगर पूरे संसार का एक देश मान लिया जाए तो आबादी में इसका 9वां नम्बर है। इस हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से यह बड़ा जरूर है, लेकिन इसे बड़ा रहने दीजिए कोई हर्ज नहीं है, इससे इसके बंटवारे का सवाल पैदा नहीं होता है अगर इस प्रकार से बंटवारे की बात होती तो यह बहुत पहले बंट गया होता, इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन साहब ने इस प्रश्न को उठाया है, वह कृपया इस संकल्प को वापस ले लें।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आप मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने का अवसर दिया। मैं वर्ष 1977 से ही इस विचार का हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ी इकाई हो चुकी है कि इसका भला अब तभी होगा जब इसको छोटी-छोटी इकाईयों में बांट दिया जाए। भाई मोहन सिंह जी ने जो संकल्प रखा है कि 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाए, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं, हमारे एक दूसरे साथी ने जैसा कहा कि इसे 4 प्रांतों में बांट दिया जाए, मैं इससे सहमत हूं लेकिन अगर इसे चार प्रांतो में न बांटा जाए तो कम से कम 3 में जरूर बांट दिया जाए। इन विचारों को मैं सन् 1977 में कह चुका हूं।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश यदि बांट दिया जाए तो इससे देश टूट जायेगा, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इससे प्रदेश क्या टूट जायेगा, इससे कई बार पहले देश को प्रदेशों के रूप में टूट-फूट की गयी तो इससे क्या देश टूट गया। पहले पंजाब, हरियाना और हिमांचल प्रदेश एक था और उसको तोड़ दिया गया तीन-तीन अलग-अलग कर दिये गये तो क्या इससे देश टूट गया और एक जिले को कई जिले कर रहे हैं तो क्या इससे प्रदेश टूट गया, मेरठ में मेरठ और गाजियाबाद अलग कर दिया तो क्या इसमें प्रदेश टूट गया। कानपुर में कानपुर देहात और कानपुर शहर अलग कर दिया तो क्या इससे भी प्रदेश पर कोई असर पड़ा। प्रदेश तो प्रदेश है, इसे सिर्फ प्रशासनिक इकाईयों में बांटने की बात की जा रही है ताकि हम प्रशासन को सुचारुरूप से चला सकें। ठीक है एक समय में आगरा और अवध एक था, लेकिन उस समय की आबादी क्या थी और आज हमारी आबादी क्या है, क्या आज यह सम्भव है कि इतनी बड़ी आबादी को एक जगह से कंट्रोल किया जा सकता है।

साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि योजना आयोग जो आपको आज पैसा देता है, वह क्या दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा देता है, ज्यादा आबादी के होते हुए, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा और हिमांचल प्रदेश जब एक थे तो उनको इतनी राशि नहीं मिलती थी जितनी आज तीनों के अलग-अलग होने से मिलती है प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो हम लोगों के मुकाबले में 10-12 परसेंट ऊपर चला गया है, हम उस अनुपात में उससे वह धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और जब हम भी तीन प्रान्तों में अलग-अलग होंगे तो अवश्य हमें भी उसी हिसाब से धन मिलेगा और यह अगर कहा जाए कि हम अलग हो गये तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जायेगा तो सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाये रखने के लिए हम अपने प्रदेश को तरक्की से रोके रहें और यहां की जनता की प्रगति से खिलवाड़ करें।

आप देखिए हमसे उद्योग में, शिक्षा में व अन्य तमाम क्षेत्रों में दक्षिण भारत आगे है और आज अगर इसी सोच में हम पड़े रहे तो हमसे दक्षिण भारत न मालूम कितना आगे बढ़ जायेगा। हम केवल अपना वर्चस्व बनाते-बनाते नीचे चले जायेंगे। कोई भी आदमी, कोई भी कार्य को भागों में बांटकर कर सकता है। आज पूरब की हालत क्या हो गयी है? हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं कि इतना पैसा मिलता है तो इसमें पूरब का कितना जाता है या जो फन्ड मिला इसमें जो धन का उपयोग हुआ वह कैसे और क्यों हुआ, कितना पूर्व को मिला और कितना पश्चिम पर खर्च किया गया या पहाड़ को कितना मिला, मैं इन सब विवादों में नहीं जाना चाहता हूं।

लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पहाड़ और बुन्देलखन्ड को आप अलग-अलग मानें पूर्व और पश्चिम को कम से कम तीन भागों में विभाजित किया जाय। उसके अन्दर एक भावना

होगी कि मुझे इतना धन विकास करने के लिये मिला है इसमें हमें अपने यहां का विकास करना है तो इसे किस तरह से करें। पश्चिम के लोग फिर यह नहीं कह पायेंगे कि हम पूरब को मदद दे रहे हैं या पूरब के लोग यह नहीं कह पायेंगे कि आप पश्चिम को दे रहे हैं। यह विवाद गलत है कि यदि उत्तर प्रदेश को खन्डित कर दिया गया तो इससे देश विभाजित हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है।

अभी मैं दीनानाथ जी का सर्वप्रिय भाषण सुन रहा था, मैं नहीं जानता था कि बहुगुणा जी पश्चिम के थे और सी0 बी0 गुप्ता जी पश्चिम के थे, यह जानकारी मुझे आज ही हुई है। मान्यवर, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि प्रदेश का मुख्य मन्त्री किस तरफ का है। प्रश्न यह उठता है, जैसी कि आम भावना है कि पूरब के लोग कम मेहनती हैं और पश्चिम के लोग ज्यादा मेहनती हैं। यह जैसा लोग कहते हैं तो वह अपनी मेहनत करके और आगे बढ़ें, भगवान उनको और आगे ले जाये लेकिन जो पूरब के लोग हैं और कम मेहनती हैं तो हमको भी मौका दिया जाय कि हम अपनी ही मेहनत पर आगे बढ़े, कम से कम दूसरों के बल बूते पर न रहें, इसका हमें मौका दिया जाय।

अभी मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि 'जनता बनाम राजनीतिक" आज राजनैतिक लोग जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपनी वर्चस्व बनायें रखने के लिये अपनी ही जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। आने वाला इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। यह मैं मानता हूं कि प्रशासकीय इकाई नहीं होनी चाहिये बल्कि इसे तीन प्रदेशों म अलग-अलग बांटा जाना चाहिये।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में अपनी राय व्यक्त की है, उन पर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इस प्रस्ताव को सामने रखने का मन्तव्य यही है कि इस प्रदेश के जन प्रतिनिधि जो कि इस प्रदेश की मजबूत इकाई हैं, इसके बारे में समय-समय पर अलग-अलग ढंग से विचार किया गया है, इस रूप में, ऐसी इकाइयां रख कर, इस भूखंड की जनता की सेवा जिस मात्रा में करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यह नहीं कि इसको विचार में लाया जाय और इस पर विचार किया जाय।

कुछ सदस्यों ने अपने भाषण में एक वाक्य यह "हम इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं" कह कर लेकिन बाद में अपनी बातों से इस बात की ही पुष्टि करते रहे कि इस प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसके कार्यसंचालन की शक्ति पर अपनी चिन्ता प्रकट की है यदि चिन्ता ही प्रकट करते रहेंगे तो क्या हम अपनी चिन्ता की इतिश्री कर लेंगे? जरूरत इसके मजबूत बनाने की है, आन्दोलन की नहीं। कुछ सदस्य इस समस्या को तर्क मानते हैं, कुछ आन्दोलन मानते हैं। लेकिन यह तर्क नहीं बल्कि आन्दोलन जबरदस्त है और अगर आन्दोलन हुआ तब सम्भवतः वे बंटवारे के हक में हो जायेंगे। लेकिन हम जैसे लोग उस आन्दोलन के गम्भीर परिणाम की स्थिति से बचना चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसके लिये यह माना जाता था कि वहां एक ही प्रदेश की भावना बड़ी जबरदस्त है, वहां के लोग बंटवारा नहीं चाहते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूं कि वहां के लोगों में प्रदेश के बंटवारे की भावना बढ़ रही है और भोजपुरी प्रान्त बनाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए संगठन खड़े हो रहे हैं, आन्दोलनों की शुरूआत हो रही है।

सत्तादल के विधायक भी ऐसे संगठनों में अपनी सहानुभूति रख रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में पिछड़ापन है, खास तौर से बुन्देलखंड, पर्वतीय अंचल और पूर्वी अंचल में पिछड़ापन है। उनमें बटवारे की भावना प्रारम्भ से है। सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार पक्ष और विपक्ष में व्यक्त किए। जो संकल्प मैंने सदन में विचारार्थ रखा है, उस पर मैं बल देता हूं। जो हमारी वर्तमान प्रशासनिक इकाई है, इसको इसी रूप में रखकर इस भूभाग की तरक्की नहीं हो सकती है, हम कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं। एक समय था जब प्रदेश के मुख्य मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोग प्रदेश का नुमाइन्दा मानते थे। अब प्रदेश का मुख्य मन्त्री या मंत्रि मंडल के सदस्य केवल अपने इलाके के नुमाइन्दे रह गये हैं। वह यही चाहते हैं कि कैसे हमारे इलाके में बजट का रुपया व्यय हो जाये और उनके इलाके का तरक्की हो जाये और प्रदेश की तरक्की हो या न हो। ऐसी स्थिति में अलगाव की प्रवृत्ति पैदा होती है। और हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, तो प्रदेश का बटवारा जरूरी है। इन शब्दों के साथ में अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव पर चर्चा इस सदन में चल रही थी, उसको मैंने ध्यान से सुना। माननीय माता प्रसाद पान्डे ने उसका पूरा उत्तर दे दिया है, आपको चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है, गुप्ता जी ने जवाब दिया, उनका मुख्य कारण यह था कि प्रशासनिक इकाई जो है बहुत बड़ी है, उत्तर प्रदेश की, इसको छोटा होना चाहिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2·94 लाख वर्ग मील है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3·42 लाख वर्ग मील है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4·42 लाख वर्ग मील है। इसी तरह से अपने देश ही में नहीं विदेशों में भी आप देखें तो पश्चिमी आस्ट्रेलिया जो एक इकाई है उसका क्षेत्रफल 9·75 लाख वर्ग मील है, इसी तरह से क्वीन्स लैंड का क्षेत्रफल 6·70 लाख वर्ग मील है। जहां तक क्षेत्रफल का सम्बन्ध है, उसके बारे में निवेदन किया, संचार के युग में क्षेत्रफल की बात बहुत मायने नहीं रखती है। मिनटों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान से बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से से बात कर सकते हैं यहां तक कि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से से बात कर सकते हैं, और अब आने जाने की भी कोई कठिनाई नहीं है। रेल के बाद हवाई जहाज और हेलीकाप्टर हैं जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान के सम्बन्धों को कायम रख सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में बात कर ली जाती है, सारे इन्सट्रक्शन्स गाइड लाइन्स दी जा सकती हैं और दी जा रही हैं।

पापुलेशन की बात कही है कि यह बहुत बड़ी पापुलेशन है। उनके हिसाब से अगर प्रशासनिक इकाइयां बनने लगेंगी तो फिर हर दसवें वर्ष इसका हिसाब करना पड़ेगा कि अब कौन सा नया स्टेट बनाया जाय क्योंकि आबादी बढ़ाने में कुछ लोग लगे हुये हैं। प्रशासन में चुस्ती की बात कही गयी है, छोटी इकाई की बात कही गई है कि इससे प्रशासन में चुस्ती आती है। छोटी इकाइयों पर अध्यक्ष जी, मुझे यहां पर कोई बात करने का अधिकार नहीं है लेकिन अगर आप देखें कि हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और जितनी पकड़ इस सरकार की अपने शासन पर है उतनी छोटी इकाइयों पर नहीं है। मान्यवर, जब मैं यह बात कहता हूं तो बड़े जोर से कहता हूं और प्रमाण के साथ कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि सब आसां हो गई। उसी तरह से आपकी पकड़ इस वक्त है।

श्री राम नरेश शुक्ल—

जो छोटी इकाइयों के राज्य हैं यदि उनको आप देखें कि किस तरह से उनका प्रशासन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और न मुनासिब ही समझता हूं और न मुनासिब ही होगा कि एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के बारे में अपनी राय दे। इन बातों को देखते हुए एक बात अपनी जगह पर निश्चित है कि छोटी इकाइयां कमजोर हो जाती हैं और उनका विकास इतनी तेजी से नहीं हो सकता है जितनी कि बड़ी इकाइयों के पास संसाधन होने के कारण बड़ी-बड़ी योजनाओं को लगा सकते हैं। हमारे यहां आप देखेंगे कि आज बड़ी-बड़ी योजनायें बिजली की जा रही हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

सब योजनायें रायबरेली और अमेठी जा रही हैं।

श्री राम नरेश शुक्ल—

मुश्किल यह है कि इनको रायबरेली और अमेठी का फोबिया हो गया है।

एक सदस्य—

यह तो हमारे प्रदेश में ही है।

श्री राम नरेश शुक्ल—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय मोहन सिंह जी के इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है कि इस प्रदेश को चार प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाय तो ऐसे प्रस्ताव के यहां पर लाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे यहां 57 प्रशासनिक इकाइयां हैं, 12 कमिश्नरियां हैं और वे काम कर रही हैं। तो इस संकल्प की मंशा साफ नहीं है। उनके ही एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इन प्रशासनिक इकाइयों में संशोधन की आवश्यकता है। वर्तमान प्रस्ताव जो है वह अपनी तरह का जान पड़ता है और जल्दबाजी में किसी को खुश करने के लिए लाया गया है।

जहां तक हिसाब-किताब का सम्बन्ध है वह मैंने आपके सामने बात रख दी और जहां तक मुकदमों आदि मामलों का सम्बन्ध है तो पिछले दिनों में भी जब राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव आया था उस समय उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी बात नहीं कही गयी थी माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने एक बात कही कि कोई एक आधार होना चाहिए। कौन सा आधार बांटने का माना जाय भाषा का आधार माना जाय तो वह भी नहीं बैठता। दूरी की बात अगर उठायी जाय तो वह भी नहीं बैठती है क्योंकि आज संचार के साधन इतने विकसित हो गये हैं कि उसमें दूरी की बात करना व्यर्थ है जबकि आज अंतरिक्ष से बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यह केवल भावना की एक बात हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दुबारा माननीय मोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रदेश की जनता की भावना को जानें जो राम कृष्ण को अलग नहीं करना चाहते हैं, इस प्रदेश की जनता गंगा जमुना को नहीं बांटना चाहते हैं और जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है श्री श्रीपति मिश्र की और इससे पहले की जितनी कांग्रेस सरकारें थी वह कभी भी इस प्रदेश के बंटवारे के लिए सहमत नहीं थी और न आज होंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करते हुए माननीय मोहन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे वापस लें। उन्हें इस प्रकार का प्रस्ताव लाना शोभा नहीं देता है। हां अगर कोई दूसरा लाया होता तो दूसरी बात थी।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चोरबाजारी ब्लैक मार्केटिंग, भाई भतीजावाद, कत्लेआम आदि तमाम चीजों को बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रशासकीय इकाई आकार में वृहद है। इसलिए यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि वह प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बांटकर 4 छोटी प्रशासकीय इकाइयों में किए जाने हेतु कार्यवाही करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री दूधनाथ राजभर का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित होने पर श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारा गया।)

विद्यालयों में कक्षा आठ तक उर्दू की शिक्षा अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 8 तक उर्दू की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय।"

श्री अध्यक्ष--

अब इसे आगे लेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज मुझे 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं मैंने श्री बदन सिंह की सूचना आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन पर पी० ए० सी० द्वारा रेल कर्मचारियों की पिटाई के सम्बन्ध में है, स्वीकार किया है बाकी को अस्वीकार किया है।

श्री रियासत हुसैन--

आपने हमारी सूचना के बारे में जो बदायूं में असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या के सम्बन्ध में है, कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष--

आप इसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दे दें मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री बदन सिंह--

वक्तव्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष--

जैसे-जैसे कार्यक्रम लगा हुआ है उसी के अनुसार होगा।

मैथाडिस्ट मिशन तथा लखनऊ पब्लिशिंग हाउस का कथित सी० आई० ए० केन्द्र के रूप में प्रकट होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(सूचना राज्य मंत्री खड़े के होने पर)

श्री अध्यक्ष--

क्या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ठीक है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

[प्राप्त सूचनानुसार मैथाडिस्ट चर्च आफ इंडिया की लखनऊ शाखा के सदस्यों में आपसी मतभेद के कारण असन्तुष्ट गुट के कुछ इसाइयों द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1984 को प्रातः

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10-30 बजे लखनऊ पब्लिशिंग हाउस के प्रांगण में श्री एस0 के0 परमार, बिशप मेथाडिस्ट चर्च के आवास के सामने क्रमिक अनशन किया गया जो दिनांक 26 मार्च, 1984 को बिशप श्री परमार तथा अनशनकारियों के मध्य वार्तालाप के उपरान्त समाप्त हो गया। उक्त अनशन का सम्बन्ध सी0 आई0 ए0 के लिए कार्य करने वाले संदेहास्पद लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने से नहीं था। अनशनकारियों पर कथित असामाजिक तत्वों को छोड़े जाने की बात की पुष्टि नहीं हुई। पब्लिशिंग हाउस के प्रांगण में अनशन के समय पुलिस की समुचित व्यवस्था थी।

2--भूतपूर्व एयर वाइस मार्शल लाकिन्स तथा सी0 आई0 ए0 की गतिविधियों से सम्बद्ध व्यक्तियों के सम्बंध में केन्द्र सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह परिलक्षित हो कि श्री एस0 के0 परमार बिशप मेथाडिस्ट चर्च, श्री एस0 पी0 तिवारसन प्रधानाचार्य क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ, श्री ए0 के0 दास, भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रबन्धक व सचिव आई0 टी0 कालेज, लखनऊ, डा0 सुरेन्द्र सिंह, भूतपूर्व उप कुलपति व श्री जी0 एन0 सिंह, भूतपूर्व अरण्य-ाल उत्तर प्रदेश का सी0 आई0 ए0 की गतिविधियों से सम्बन्ध हैं]

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त--

मान्यवर, इस वक्तव्य में शासन ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो मेथाडिस्ट चर्च आफ इंडिया है जिसके अन्तर्गत इस समय करीब 12-14 संस्थायें चल रही हैं इसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बंगाल और बिहार में ईसाई देश भक्ति से ओतप्रोत हैं, प्रदर्शन किया....

आपसी मतभेद के द्वारा ऐसा किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह इन्हीं जो असंतोष था, अनशन के लिये गये थे, तो उन्होंने मुख्य मंत्री को कोई क्या ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पहले तो यह बात सही नहीं है कि दो गुटों में मतभेद है। यह तो उनकी कार्यवाही से असंतुष्ट हैं, इसलिए असंतोष की आवाज वहां उठा रहे हैं। जो वहां अनशनकारी बैठे थे उनकी मुख्य मांगें 9 हैं :--

1--मैथोडिस्ट चर्च की संपत्ति पर अनाधिकृत लोगों के कब्जे हटाये जायं।

2--प्रापर्टी कमेटी के अध्यक्ष के 3 वर्ष का एकाउन्ट आडिट किया जाये।

3--बिशप एस0 के0 परमार तथा उनके सहयोगियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार को दूर किया जाय।

4--आई0 टी0 कालेज प्रधानाचार्य के निलम्बन के निर्णय को वापस लिया जाये।

5--मिशन की लखनऊ रीजनल कांफ्रेंस की सभी 10 संस्थाओं के 15 वर्ष के एकाउन्ट का किन्हीं अन्य आडिटरों द्वारा आडिट कराया जाये।

6--क्रिश्चियन चिल्ड्रेन फंड (सी0 सी0 एफ0) तथा कांफ्रेंस ले-लीडर आदि प्रदत्त स्कालरशिप की जांच व आडिट किया जाये तथा इन संस्थाओं के एकाउन्टेंट श्री ए0 डी0 वेचलर को हटाया जाये।

7--बिशप परमार की पत्नी श्रीमती एंजेलिना परमार को सी0 सी0 एफ0, बंगाल कांफ्रेंस के कोषाध्यक्ष तथा कल्टीवेशन सेक्रटरी पद को निरस्त किया जाय।

8—श्री जसवंत ब्राउन को जो गोंडा गर्ल्स स्कूल से हटाया जाय ।

9—श्री माइकल पाल को जो लखनऊ पब्लिशिंग हाउस के प्रोडक्शन मैनेजर हैं को मसीही समाज से तथा मिशन की नौकरी से हटाया जाये क्योंकि इन्होंने जनता के सामने कहा है कि "टू हेल विथ बाइबिल एन्ड आई किक दि बाइबिल" ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या यह सही है कि जो यह ज्ञापन था इसके अलावा मुख्य मंत्री से भी इसके लोग मिले हैं और उन्होंने भी ज्ञापन दिया है और उन्होंने मांग किया है कि जांच की जाये । उसके साथ ही मैथाडिस्ट चर्च के विशेष स्थानों पर जो लोग बैठे हैं, जिनका कब्जा है, जिनकी राष्ट्र विरोधी गति विधियां हैं जिसकी सूचना दिया था, क्या इस सम्बन्ध में कोई आपको जानकारी मिली है । यदि आपको जानकारी नहीं मिली है, तो मुझको मिली है और जब मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिया था उसमें मैंने 4-5 व्यक्तियों के नाम लिये थे और कहा था कि इनके बारे में इस तरह की बात आयी थी और लारकिन्स के बारे में जैसे चर्चा हुई कि उन पर सी0 आई0 ए0 की जासूसी करने का आरोप लगाया गया, तो उत्तर दिया गया कि केन्द्र सरकार का इससे सम्बन्ध है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जब सूचना आपको मिली तो उसके बाद शासन ने, चूंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अपने सूत्रों से केन्द्र सरकार से संपर्क किया और उनके खिलाफ जो आरोप हैं उनके समाधान की कोई कोशिश किया ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह गंभीर विषय है जिस पर शासन सदैव सतर्क रहता है । जो माननीय सदस्य की सूचना है तो ऐसे गंभीर पहलू पर शासन की नजर रहती है । मान्यवर, मेरी जानकारी में ऐसी गतिविधियां नहीं आयीं । यदि स्पष्ट हो कि यह सी0 आई0 ए0 के एजेंट हैं तो अवश्य कार्यवाही होगी ।

श्री मोहन सिंह—

इस संस्था से सम्बन्धित मुख्य संस्था में आडिट रिपोर्ट आती रहती हैं और यह प्रमुख संस्था आई0 टी0 कालेज है जिसकी आडिट रिपोर्ट 1980 में आयी कि 15 लाख रुपये का घपला इस संस्था में है और इससे सम्बन्धित प्रबन्ध मंडल के लोगों ने अपने व्यक्तिगत खातों में और विद्यालय की पुस्तकों को अपने घर ले गये, धन को अपने खातों में ले गये, जिस पर रिपोर्ट आयी प्रिंसिपल पर, तो उन पर क्या कोई कार्यवाही की गयी । मान्यवर, एक विवादित संपत्ति से सम्बन्ध है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड है तो उसी तरह इसमें भी क्या कोई वक्फ बोर्ड बनायेंगे जिससे उनकी जो सम्बन्धित संस्थायें हैं उनकी संपत्ति की रक्षा हो सके ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह अल्पसंख्यकों का विद्यालय है, उसको चलाने में वह स्वतन्त्र हैं । लेकिन जो ऐसी बात आयेगी जिससे समाज और राष्ट्र का अहित होगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, किन्तु निश्चित सूचना आये तो ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आडिट रिपोर्ट से बढ़कर क्या सूचना होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जैसा इस वक्तव्य में कहा गया है कि सी0 आई0 ए0 की गतिविधियों का सारा काम करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है और प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है । भले ही जनहित में आप उसको मत बतलाइये, लेकिन इस बात का हमें विश्वास दिलाइये कि अगर कोई किसी तरीके का सी0 आई0 ए0 से सम्बन्ध रखता है तो

आपकी सरकार उस पर नजर रखे हुये हैं और आप हर वक्त उस पर ध्यान दिये हुये हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

कोई भी संस्था इस देश या प्रदेश में ऐसी है जो किसी भी बाहरी देश की जासूसी या किसी अन्य प्रकार की ऐसी संस्था से सम्बन्धित है, जिससे देश का हित प्रभावित होता है तो उस पर स्वतः सरकार निगाह रखती है और जिसका आपने हवाला दिया है, हम इसका इंतजार नहीं करते हैं कि कोई रिपोर्ट करे या न करे, यह प्रदेश की सुरक्षा को देखते हुए स्वतः ध्यान रखा जाता है और रखा जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की बात कही, जिसमें लिखा हुआ है कि भाषायी और मजहब के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने रुचि के विद्यालय चलाने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 29 में भी कुछ लिखा है कि किसी बात पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, विभेद नहीं किया जायेगा, उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी । तो जहां तक उनकी निजी रुचि से शिक्षा देने और विद्यालय चलाने का सवाल है उसको चुनौती नहीं देता हूं, पर प्रबन्ध के बारे में आन्ध्र और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि मैनेजमेंट का मतलब मिसमैनेजमेंट नहीं है और उसी आधार पर केरल सरकार ने उसमें हस्तक्षेप भी किया है । तो जिस सरकार को यह जानकारी है कि वहां पर सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है और उनको इस सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञापन भी मिला है । तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मैथाडिस्ट चर्चों की व्यवस्था को भी मुस्लिम वक्फों की तरह न चलाने का क्या कारण है ? जैसे शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ हैं उसी तरह का वक्फ मैथाडिस्ट चर्चों के प्रति न बनाने का क्या कारण है ? दूसरी बात यह है कि जो ज्ञापन सरकार को मिला है, उसे मिलने के बाद सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या कोई जांच की है, क्या कोई कमेटी बनाई है, आदि ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह जो मौजूदा सरकार है, यह तो अल्पसंख्यकों के हितार्थ संकल्पबद्ध है और सदैव रही है और रहेगी । भाई राजेन्द्र कुमार जी अल्पसंख्यकों के कितने हमदर्द हैं, यह तो सभी जानते हैं, कहने की बात नहीं है . . .

(व्यवधान)

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ जो भी आवश्यक कदम होंगे, मौजूदा सरकार उन्हें उठायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, आप हमें नियम 38 के अन्तर्गत संरक्षण दें । मंत्री जी ने जो बात कही उसका यहां कोई सन्दर्भ नहीं था । मैंने केवल यह जानना चाहा था कि उनके कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार को देखते हुए क्या सरकार मैथाडिस्ट चर्च के लिए भी कोई वक्फ बोर्ड बनाने के लिए तैयार है ? दूसरा सवाल यह है कि जो ज्ञापन उनको अनशनकारियों ने दिया है, उस पर कोई कार्यवाही तो हुई होगी--या तो फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा और कुछ किया होगा । तो उस ज्ञापन का क्या हुआ ? कोई उस पर जांच हुई ? कोई उसके लिये जांच कमेटी बनायी गयी ? मैंने इस आदरणीय सदन में जब एक बार यह प्रश्न उठाया था यह मांग की थी कि कर्मचारियों को शोषण से बचाया जाय और उस समय माननीय अम्मार रिजवी साहब ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस मामले में सतर्क है और कोई व्यवस्था अवश्य ऐसी की जायगी जिससे कर्मचारियों का शोषण नहीं होने

दिया जायेगा । जो सम्पति है उसकी भी रक्षा की जायेगी । तो कृपया तीन बातों पर उत्तर देने की कृपा करें कि क्या सरकार वक्फ बोर्ड बनायेगी, क्या कर्मचारियों के शोषण को रोकेगी, उनकी सुरक्षा होगी और ज्ञापन जो दिया है उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वक्फ बोर्ड बनाने के बारे जो आप जानना चाहते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि बनाने के कोई कारण नहीं हैं, बनाने के कारण जब होंगे तो बनाया जायेगा । दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, माननीय गुप्ता जी ने भी उसे देखा होगा, मैंने भी मुख्य मंत्री होने के नाते और एक वकील होने के भी नाते, उसे देखा है । इसलिये उस फैसले को देखते हुये, उसका अतिक्रमण न हो, इसे दृष्टि में रखते हुये, कर्मचारियों की जितनी सुरक्षा की जा सकती है वह हम करेंगे । उसका अतिक्रमण हम नहीं कर सकते । तीसरी बात आपने ज्ञापन की कही । कोई हमसे मिला नहीं, ज्ञापन मिला । उस पर जांच हुई है, उस सम्बन्ध में जांच और होगी, यहां से बाहर तक जो आवश्यक है वह हो भी रही है, बहुत सी जांच ऐसी होती हैं, जो हो भी रही हैं, जिन्हें जनहित में बताना अच्छा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि जांच हुई है, हो रही है, आदि आदि । मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो जांच रिपोर्ट आयी है, अगर वह गोपनीय नहीं है, तो इतना बता दें कि उसमें क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अभी कोई ऐसी बात का पता नहीं चला कि जिससे इसका सम्बन्ध सी० आई० ए० से हो, यह कहा जा सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ज्ञापन में जो 9 मांगे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं कि जांच में क्या पता चला ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, 26 तारीख को अनशन शुरू हुआ 10 बजे रात से और 11 बजे दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया और अनशन समाप्त हो गया ।

बलिया बिहार राज्य की सीमा पर बिहार के अराजक तत्वों द्वारा रबी की फसल को काटने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, काशी नाथ जी नहीं हैं ।

(श्री गौरी शंकर भैय्या के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

गौरी शंकर भैय्या तो हैं । क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी ।)

श्री प्रमोद कुमार—

[प्राप्त सूचनानुसार उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया तथा बिहार के जनपद भोजपुर की सीमा पर स्थित ग्राम हांसनगर (उत्तर प्रदेश) तथा नैनीजोर (बिहार) के काश्तकारों के बीच एक सीमावर्ती भू-भाग पर स्वत्व और अध्यासन के प्रश्न पर दीर्घकाल से विवाद है। इस प्रश्न पर प्रस्तुत वाद अवर न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ग्राम हांसनगर (उत्तर प्रदेश) के काश्तकारों के पक्ष में निर्णीत हो चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968, जो दिनांक 10 जून, 1970 से प्रभावी हुआ, के बाद उक्त भू-भाग अब स्थायी रूप से बिहार से अन्तरित होकर उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुका है। इस अधिनियम के अधीन दोनों राज्यों के मध्य स्थायी सीमा निर्धारित की गयी है तथा सीमा स्तम्भ लगाये गये हैं जिनमें से कुछ स्तम्भों को ग्राम नैनीजोर के कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा वर्ष 1981 में उखाड़ दिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना हल्दी, जनपद बलिया में दो अभियोग पंजीकृत किए गए थे जिनमें साक्ष्याभाव में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। सीमा स्तम्भों की सुरक्षा का भी यथा-सम्भव प्रयास किया जाता रहा है तथा लुप्त एवं विनष्ट स्तम्भों की पुनर्स्थापना हेतु सर्वे आफ इण्डिया से पत्राचार किया जा रहा है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह कहना सही नहीं है कि बलिया का प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और रबी की फसल ग्राम नैनीजोर (बिहार) के अराजक तत्व लूट रहे हैं। वास्तविकता यह है कि दिनांक 9-3-84 को फसल की कटाई के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार करने के लिए वाराणसी में आयुक्त स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य के अवांछनीय तत्वों द्वारा फसल लूटने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा पर दिनांक 25-3-84 से एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था कर दी गयी है तथा बिहार के सम्बन्धित अधिकारियों से भी निकट सम्पर्क बना हुआ है।

प्रश्नगत मामले में अब तक बराबर मौके की स्थिति के अनुरूप शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं ग्राम हांसनगर के काश्तकारों के विधि सम्मत अधिकारों की सुरक्षा तथा माननीय न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है।

अभी तक हांसनगर के काश्तकारों से बिहार के अवांछनीय तत्वों द्वारा फसल लूटने की कोई सूचना नहीं मिली है।]

श्री गौरी शंकर भंडया—

माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन भी जिस दिन यह मामला आया था तो हमने अनुरोध किया था। जो कुछ पूछा गया है वह पूरे बलिया जनपद के बारे में गंगा नदी के किनारे जो बार्डर है उसका डिसप्यूट है, तो केवल एक गांव के बारे में सूचना दे दी गयी है। मैं आपसे खासतौर से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मामला आया उसी तरह से

उत्तर प्रदेश और बिहार के बार्डर पर स्थिति है। वहां से डाकू आते हैं, हमारे क्षेत्र में और काशीनाथ मिश्र जी के क्षेत्र में आते हैं और डाका डालते हैं, फसलें काट ले जाते हैं। जो बार्डर लाइन बनी हुयी है उस पर हजारों लोग आते हैं फसलें उखाड़ते हैं। करीब 45 मील लम्बाई में और 5-7 मील चौड़ाई में जो दियरा है, जो उसके बीच में त्रिवेदी आयोग की रेखा है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करती है तो वह जो इलाका है वह एक नया चम्बल घाटी बनता जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के डाकू उस दियरे के अन्दर रहते हैं और काश्तकारों को दबा कर, मारपीट कर उनकी फसलें काटने का काम करते हैं। इस सन्दर्भ में मैंने आपका ध्यान उस दिन आकर्षित किया था आप सुन नहीं पाये थे। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक गांव के बारे में सूचना दे दी गयी है। बार्डर डिस्प्यूट के लिये आप कहें तो मैं दूसरे दिन चर्चा के लिये दे दूं।

श्री अध्यक्ष--

(सूचना राज्य मंत्री से)

क्या आपके पास पूरी सूचना नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पूरी सूचना है बार्डर और बलिया के सम्बन्ध में। जो पूछेंगे मैं बताऊंगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि 25-3-84 से एक मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कुछ पुलिस की व्यवस्था वहां पर की गयी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा करेगी। जैसा कि गौरी भैय्या ने कहा पिछले 10-12 वर्षों से उमरपुर दियरा, शिवपुर दियरा में बदमाश आते हैं और फसल काट कर बाहर चले जाते हैं। आप कहते हैं आयुक्त स्तर पर वार्ता हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगभग 60-70 किलोमीटर बीच से जाती है और उसमें सीमा विवाद है। त्रिवेदी आयोग की संस्तुतियों को उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार से लागू नहीं करवा पायी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बार्डर की सीमा रेखांकन जो त्रिवेदी आयोग द्वारा किया गया है उसको, हमारे प्रदेश की अक्षम सरकार उस रेखांकन को नहीं करा पायी है। तो क्या इस 60-70 कि0 मी0 लम्बी सीमा पर एक मैजिस्ट्रेट और थोड़े से पुलिस वालों की मदद से पूरी सीमा की देख-रेख कर पायेंगे? मान्यवर, अभी जैसा अखबार में देवरिया में गोपालगंज के बारे में पढ़ा तो जैसे देवरिया में एक पुलिस स्टेशन और बिहार के एक पुलिस स्टेशन को वायरलेस द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है, तो क्या उसी तरह से दोनों तरफ की जो पुलिस चौकियां हैं, इस क्षेत्र की रक्षा के लिये, क्या दोनों तरफ की पुलिस में तालमेल करने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, दो-तीन प्रश्न एक साथ कर लिये गये कि एक तो जो आयोग था, उस पर माननीय मोहन सिंह को बताना चाहता हूं कि उसका रेखांकन हो गया है। दूसरी बात यह कही गयी, एक मजिस्ट्रेट और एक प्लाटून पी0 ए0 सी0 वहां पर पोस्टेड हैं। यह प्रश्न एक विशेष गांव के लिए था, उस गांव में सरकार ने चुस्ती और मुस्तैदी के साथ एक मजिस्ट्रेट लगा दिया और जहां-जहां विवाद होगा, उस पर सरकार पूरी नजर रखेगी। अगर कोई बाहर से आकर उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहेगा, तो उस पर सरकार पूरी सतर्क है।

[समय 5 बजकर 15 मिनट।]

प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में आलू के मूल्य में गिरावट आने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री लल्लू सिंह चौहान—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज चर्चा हो रही है यह हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। अगर इस सरकार ने पहले से व्यवस्था की होती, तो शायद यह परिस्थिति न आई होती और हम लोग चर्चा की मांग भी न करते। मान्यवर, प्रदेश के किसानों की मुख्य उपज आलू है, जो कैश क्राप है। मान्यवर, करोड़ों रुपये का आलू पैदा होता है और जो मुख्य खाद्य-पदार्थ है। मैं मैनपुरी से आता हूं, मैनपुरी और फर्रुखाबाद आलू की पैदावार के लिए काफी प्रसिद्ध है। कल मैं फैजाबाद गया था, जिस स्थान इनायतनगर थाने पर गया था, वहां पर जो कोल्ड स्टोरेज रास्ते में मिला था, उस कोल्ड स्टोरेज के सामने सड़कों के दोनों तरफ 3 फरलांग तक बैलगाड़ियां लगी थीं। ये बैलगाड़ियां 300-400 थीं, जिनके कारण सड़क इतनी जाम थी कि हम लोग आधे घंटे में कार से निकल पाये। फर्रुखाबाद और मैनपुरी में कोल्ड स्टोरेज में, उनके सामने 30-30, 40-40 हजार बोरा आलू 10-10 दिनों से पड़े हैं। वहां की अब इतनी भयावह स्थिति हो गयी है कि किसान रो रहा है क्योंकि आलू सड़ रहा है। सरकार तत्काल यह व्यवस्था करे और यह व्यवस्था युद्ध स्तर पर होनी चाहिए कि जिलाधिकारी को तथा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसरों को और 'नेफेड' को आदेश दिया जाय कि वे किसानों का सारा आलू 50 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तत्काल खरीदें और किसानों को इस संकट से बचायें। शीत भंडारों के मालिकों को नियंत्रित करने की व्यवस्था बनायें, जिससे वे फर्जी नामों से आलू की बुकिंग नहीं कर सकें और व्यापारियों को अतिरिक्त लाभ की गुंजाइश न रहे और किसान को अपनी मेहनत का सही लाभ मिल सके।

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज का रेट नियमानुसार 19 रुपया है, वह उन्हीं किसानों का आलू रखते हैं, जो 6 रुपये प्रति कुंटल एडवांस देकर अपना स्थान रिजर्व करा लेते हैं। मान्यवर, माननीय बलराम सिंह यादव जब कृषि मन्त्री थे, तब भी यह प्रश्न आया था और शीत भंडारों के मालिकों और अधिकारियों की सांठ-गांठ का पर्दाफाश किया गया था, तब सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि अतिरिक्त प्रीमियम देकर बुकिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी और किसानों को कोई असुविधा नहीं होने दी जायेगी, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज भी भ्रष्टाचार प्रचलित है और किसान परेशान है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह सख्त कार्यवाही करे और कोल्ड स्टोरेजों को अनुशासित करे, जिससे वह बिचौलियों और व्यापारियों को लाभ न दिला सकें।

आलू किसी व्यापारी का होता है और नाम लिखा होता है चुन्नी लाल, पुत्र फलां और गांव फलां। मान्यवर, व्यापारी आलू को निकाल कर दुगुने-तिगुने दाम पर बेचता है। किस बुरी तरह से किसान तबाह हो रहा है। एक और कारण आलू की स्थिति खराब होने की है। सरकार ने घोषणा की थी कि 50 रुपये कुंतल से नीचे आलू का दाम नहीं आने पायेगा।

(इस समय 5 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पुनः पीठासीन हुए।)

अगर इससे नीचे आता है तो सरकार स्वयं खरीदना शुरू कर देगी। सरकार द्वारा आलू खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीन दिन पहले मैनपुरी में 7 रुपये मन में आलू बिक रहा था। इस प्रकार आलू का दाम 17, 18 रुपये कुन्तल से नीचे रह गया है, कहीं 8, 9, 10 था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 रुपया कुन्तल से ज्यादा नहीं है। आलू पर कितना खर्च आता है, बोने में, खोदने में कितना खर्च

आता है, सब हिसाब लगाया जाय तो 30 रुपया कुन्तल से ज्यादा पड़ता है। 30 रुपये से नीचे बिकने पर किसान का लास होता है। तीन वर्ष पहले जो भाव था कि लोगों ने अपनी आलू को खोदा नहीं था। खोदने में नुकसान होता था, बोरों का नुकसान होता था। यही स्थिति इस समय हो गयी है, वहां आलू लेट बोई गयी थी वह आलू को खोद नहीं रहे हैं। जो आलू कोल्ड स्टोरेज पर है, वह वहां सड़ जायेगा और जो ट्रान्सपोर्ट एजेन्सियों पर है वह सड़ जायेगा।

सरकार युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश के सभी जिले के जिलाधिकारियों को ऐसे आदेश दें, कोआपरेटिव विभाग को, मार्केटिंग विभाग को, 'नेफेड' के जरिये से तत्काल खरीदने की व्यवस्था की जाय ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। करोड़ों रुपये का नुकसान तो उनका हो चुका है। इस चर्चा के माध्यम से मांग करता हूं, कृषि मन्त्री जी इस विभाग के प्रति विशेष उत्तरदायी हैं, मुख्य मन्त्री जी तो किसान से मतलब रखते नहीं, वह तो अपने को वकील कहते हैं, किसान बनने की कोशिश वह नहीं करते हैं। कृषि विभाग के तहत सारी मण्डियां हैं, बचवा पाठक जी सहकारिता के हैं, दोनों आदमी मिलकर इस समस्या का समाधान करें। गेहूं रह सकता है, सरसों रुक सकती है लेकिन आलू तो 10-5 दिन में सड़ जायगा। सरकार का तात्कालिक कर्तव्य है कि युद्ध स्तर पर आलू खरीद की व्यवस्था की जाय। कोल्ड स्टोरेज को नियंत्रित करने के लिये विशेष कदम उठाये जायं।

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)---

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने आलू के रेट्स गिरने पर अपनी चिन्ता व्यक्त किया, वह स्वाभाविक है और सही है। लेकिन जैसा सम्मानित सदस्य ने फर्माया कि सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है।

श्री मोहन सिंह---

लेटी हुई है।

श्री यशपाल सिंह---

मोहन सिंह जी ने कहा लेटी हुई है, इसकी मंशा यह हुई।

श्री अधिष्ठाता---

आज तक मोहन सिंह अपना नाम छिपाये हुए थे।

श्री यशपाल सिंह---

इसका साफ मतलब हुआ कि सरकार सतर्क है। अगर दूर से भी मैल आ गयी हो तो वह निकल जाय। आप जानते हैं और सम्मानित सदन जानता है कि इस साल आलू का भारी उत्पादन अपने प्रदेश में हुआ है। जिसका श्रेय कृषक भाईयों को मिलता है कि मेहनत से पैदावार बढ़ाई है। पिछले साल प्रदेश मे 150 प्रति कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन था। इस वर्ष 160 से 170 तक की संभावना है। इसके लिए मैं बधाई का मुस्तैद हूं लेकिन इसके साथ ही साथ उसको उत्पादन की व्यवस्था के लिए जो प्रयास सरकार ने किया वह भी कम नहीं है। इसलिए कि 50 लाख मीट्रिक टन से 60 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन आपके प्रदेश में आलू का है और 15 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक जितना भी आलू खोदा गया, बाजार में गया मान्यवर, मंडियों के रेट्स उठा कर देखें कि 70 से 90 तक की रेंज में बिका। 50 से जो गिरना शुरू हुआ है 29 मार्च के बाद।

जो आलू का भाव गिरना शुरू हुआ इसमें मान्यवर, बम्पर क्राप फेस किया गया। मान्यवर, जो हमारा व्यापारी वर्ग है वह इस तरीके से षड़यंत्र करते हैं कि किसी तरह से सस्ते दामों पर फसल मिल जाए। पहले उन्होंने कई जगहों से मिल कर साजिश की, षडयंत्र किया, जिन रेलवे वैगन का प्रबन्ध किया गया था,

वह समय पर न पहुंच पायें इस तरीके की साजिश की गयी। तो उनका षड़यंत्र टूट गया। 28 मार्च तक भाव इस तरह से मंडियों में बहुत अच्छा बना रहा। इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज के बारे में मामला चला। उन्होंने साजिश की, जैसा माननीय सदस्य ने कहा फर्जी नामों पर बुकिंग करके काश्तकारों को मना कर दिया। उसमें तुरन्त टेलेक्स के जरिये मजिस्ट्रेट को आदेश दिये गये कि चेकिंग करें। चेकिंग का नतीजा यह हुआ कि 29 तारीख में जो 47 रुपये था वह 55 रुपये पहुंच गया।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि काश्तकारों ने कुछ देर में बुआई की और तेजी का रुख देख कर कुछ देर में खुदाई की। लेकिन इस बात का एहसास उन्होंने नहीं किया कि तापक्रम बढ़ जायेगा तो आलू खराब हो जायेगा। तापक्रम बढ़ जाने के बाद उनके सामने आलू की परेशानी आई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार सतर्क है कि किसी भी तरीके की साजिश न हो। किसी भी तरीके से किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। पी0सी0एफ0 की वजह से कुछ लोगों ने हुज्जत भी किया। लेकिन उस हुज्जत को खत्म करके केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया। अब यह सरकार उसे वहन करने को तैयार है। पी0 सी0 एफ0 उसको वहन करेगा। किसी प्रकार का शोषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री किरनपाल सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो सुझाव दिया है यह कहा मैं किसानों को बधाई देता हूं हमारे प्रदेश के किसानों ने इस बार रिकार्ड उत्पादन किया, लेकिन मान्यवर, आप तुलना पंजाब से और बंगाल से करके देखें। यहां पर जो किसान जिस लागत से उर्वरक, पानी और कीटनाशक दवा लगा कर 160 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर पैदा लेता है इस बार रिकार्ड उत्पादन करके वहीं वहां का किसान 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पंजाब में लेता है उसी लागत पर और बंगाल में पौने तीन सौ क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेता है उसी लागत से। आपके निकम्मेपन की वजह से हमारे यहां का किसान डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विन्टल लागत पाता है।

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी तथा लगातार 5 मिनट तक घंटी बजते रहने पर और कोरम पूरा न होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

कोरम के अभाव में हम उठते हैं, कल प्रातः 10-00 बजे हम फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 31 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

6 अप्रैल, 1984

मसौदा प्रदर्शन हेतु

सूची "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर।)

वर्ष	खण्ड	ठेकेदारों की संख्या	स्तम्भ—3 के ठेकेदारों द्वारा कर-निर्धारण से पूर्व जमा धनराशि	स्तम्भ—3 के ठेकेदारों पर बकाया (कर ब्याज व अर्थदण्ड)
1	2	3	4	5
			रु0	रु0
80—81	1	3	780.00	130520.00
81—82	1	निल	..	..
82—83	1	निल	..	..
	योग ..	3	780.00	130520.00
80—81	2	1	निल	6400.00
81—82	2	2	8920.00	182478.00
82—83	2	..	..	..
	योग ..	3	8920.00	188878.00
80—81	3	8	निल	146500.00
81—82	3	4	13997.40	165602.60
82—83	3	8	निल	183100.00
	योग ..	10	13997.40	495202.60
80—81	4	1	4670.00	51428.00
81—82	4	..	..	..
82—83	4	..	..	..
	योग ..	1	4670.00	51428.00

1	2	3	4	5
			रु0	रु0
80-81	5	2	17777.12	26772.88
81-82	5	2	30223.50	44859.44
82-83	5	..	..	..
	योग ..	4	48000.62	71632.32
80-81	6	..	..	..
81-82	6	..	..	..
82-83	6	..	..	..
	योग ..	..	..	..
80-81	7	2	23789.72	42399.65
81-82	7	2	43960.28	81089.72
82-83	7	2	27594.05	105275.20
	योग ..	6	95344.05	228764.57
80-81	8	1	724052.00	..
81-82	8	..	..	..
82-83	8	..	..	..
	योग ..	1	724052.00	..
80-81	9	1	14428.00	49572.00
81-82	9	2	16411.00	57989.00
82-83	9	1	..	38500.00
	योग	4	30839.00	146061.00

अविभाजित मुक्त संस्करण

1	2	3	4	5
			रु0	रु0
80–81	10	5	..	233500.00
81–82	10	6	..	476870.00
82–83	10	3	..	389400.00
	योग ..	14	..	1099770.00
80–81	11	4	..	157480.00
81–82	11	4	..	146000.00
82–83	11	..	..	..
	योग ..	8	..	303480.00

पी0 एस0 यू0 पी0—15 वि0 सभा 24-8-84—813 (पी0डी0)

विधान सभा उत्तर प्रदेश